

क. सामान्य डाटा		विवरण	आंकड़े
क्र. सं.			
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क	2001 की जनगणना अनुसार	2.11 करोड़
3	ख	2011 की जनगणना अनुसार (अनन्तिम)	2.54 करोड़
	क	जनसंख्या घनत्व (2001) (अखिल भारतीय घनत्व=325 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	478 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	ख	जनसंख्या घनत्व (2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	573 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=27.5 प्रतिशत)		14 प्रतिशत
5	क	साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत=64.8 प्रतिशत)	67.91 प्रतिशत
	ख	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 प्रतिशत)	76.64 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु - दर (1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=50 प्रति 1000 सजीव जन्म)		51
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=63.5 वर्ष)		66.2 वर्ष
8	गिनी सहकारी कारण ¹		
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.30)	0.32
9	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.37)	0.36
	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) 2010 - 11		2,57,793 करोड़
10	जी.एस.डी.पी. ² सी.ए.जी.आर. ³ (2001-02 से 2010-11)		16.42 प्रतिशत
11	प्रति व्यक्ति जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2001-02 से 2010-11)		12.62 प्रतिशत
12	जी.एस.डी.पी. सी.ए.जी.आर (2001-02 से 2009-10)	हरियाणा	15.64 प्रतिशत
13		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	13.37 प्रतिशत
14	जनसंख्या वृद्धि (2000-01 से 2010-11)	हरियाणा	19.90 प्रतिशत
15		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 प्रतिशत
ख.		वित्तीय आंकड़े	
क्र.सं.	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)	
1	सी.ए.जी.आर.	2001-02 से 2009-10	2001-02 से 2010-11
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा
क	राजस्व प्राप्तियों का	15.20	13.54
ख	स्वयं का कर राजस्व	14.53	13.00
ग	कर भिन्न राजस्व का	13.87	6.42
घ	कुल व्यय का	13.53	14.74
ड	पूँजीगत व्यय का	22.61	17.19
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	12.73	17.07
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	11.97	15.89
ज	वेतन एवं मजदूरियों का	11.45	13.65
झ	पेशन का	14.09	17.52

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एस.एस.ओ. डाटा 61वीं राठंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग एवं एन.एस.एस.ओ. डाटा के गैर सरकारी अनुमान 61वीं राठंड 2004 - 05 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण (2010 - 11) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जन संख्या योग, नीरज शेरवर, निदेशक जनगणना परिचालक, हरियाणा द्वारा प्रकाशित))।

- गिनी सहकारी कारण, आय संवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।
- जी.एस.डी.पी. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
- सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)¹/समय वर्षों में)-1]*100]

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं प्रारूप

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, कोषालय बिलों को जारी करके वसूल किए सभी ऋण, आन्तरिक और बाह्य ऋण और राज्य सरकार द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान में प्राप्त धन, भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित ‘राज्य की समेकित निधि’ शीर्षक एक समेकित निधि बनाएगी।

भाग II: आकस्मिक निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अन्तर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिक निधि; अग्रदाय प्रकृति की है जो राज्य के राज्यपाल के अधिकाराधीन रखी जाती है ताकि राज्य विधायिका से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यन्त आवश्यक अप्रत्याशित व्ययों को पूरा किया जा सके। ऐसे व्यय हेतु और समान राशि के आकस्मिक निधि से आहरण हेतु विधायिका का अनुमोदन बाद में प्राप्त कर लिया जाता है, तत्पश्चात् समेकित निधि से अग्रिमों की वापसी निधि को कर दी जाती है।

भाग III: लोक लेखा: अल्प बचतें, भविष्य निधियों, आरक्षित निधियों, जमाओं, प्रेषणों आदि जैसे कुछ सम्पादनों से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण जो समेकित निधि का अंश नहीं होती, को भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अन्तर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा उन पर राज्य विधायिका द्वारा मतदान नहीं किया जाता।

भाग खवः वित्त लेखाओं का प्रदर्शन

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

विवरणी	प्रदर्शन
	<p>वित्त लेखे दो खण्डों में विभाजित होते हैं। खण्ड I सामान्य रूप से समझा आने वाले संक्षिप्त फार्म प्रारूप में सरकार के वित्तीय विवरणों को दर्शाता है वहाँ इनका विस्तृत विवरण खण्ड II में दर्शाया जाता है।</p> <p>खण्ड I में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का प्रमाण - पत्र नीचे दिए गए चार संक्षिप्त विवरण एवं लेखाओं व लेखा योजना पर टिप्पणियां शामिल होते हैं।</p>
विवरणी संख्या - 1	<p>वित्तीय स्थिति की विवरणी: सरकार के दायित्व एवं परिसम्पत्तियों जो वर्ष के अंत तक होती है के समेकित ऑडेंस विवरण में दर्शाये जाते हैं। सम्पत्तियां वित्तीय सरकारी परिसम्पत्तियों होती हैं जिन पर अभी तक का पूँजीगत व्यय लेखाकरण योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक लागत के अनुसार किया गया है।</p>
विवरणी संख्या - 2	<p>प्राप्तियां एवं संवितरण की विवरणी: यह वर्ष के दौरान सरकार द्वारा रखे जाने वाले लेखों के तीनों भागों यथा - समेकित निधि, आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा से किये गये सभी संवितरणों एवं प्राप्तियों का संक्षिप्त विवरण होता है। आगे, समेकित निधि में राजस्व व पूँजीगत खातों की प्राप्तियों एवं प्राप्तियों एवं व्ययों को अलग से दर्शाया जाता है।</p> <p>सरकार के राजकोषीय मानदण्ड जैसे प्रारम्भिक, राजस्व एवं राजकोषीय घटा सरकार की समेकित निधि, के प्रचालन के आधार पर गणना किए जाते हैं। इस प्रकार निम्न दो विवरणियां समेकित निधि के प्रचालन को संक्षिप्त रूप में दर्शाते हैं।</p>
विवरणी संख्या - 3	<p>प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): इस विवरण में राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियां तथा भारत सरकार, अन्य संस्थान व बाजार से सरकार द्वारा लिए गए ऋणों से प्राप्तियों तथा सरकार द्वारा दिए ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियों को दर्शाया जाता है।</p>
विवरणी संख्या - 4	<p>व्ययों की विवरणी (समेकित निधि): इस विवरण में केवल कार्यों पर किए गये व्ययों को ही नहीं वरन् कार्यों के उद्देश्यों (गतिविधियों) पर किये गए व्ययों (व्यय का उद्देश्य) को भी संक्षिप्त में दर्शाया जाता है।</p>
<p>इसके अतिरिक्त इस खण्ड में एक परिशिष्ट है, परिशिष्ट 1। जिसमें सरकार के रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों के निवेश का विवरण है।</p> <p>दूसरे खण्ड में तीन भाग होते हैं। प्रथम भाग में निम्न 6 विवरणियां होती हैं:</p>	
विवरणी संख्या - 5	<p>संचित पूँजीगत व्ययों की विवरणी: इस विवरणी में कार्यों में विस्तृत संचित पूँजीगत व्यय होते हैं, जिनके जोड़ विवरणी 1 में दर्शाये जाते हैं।</p>
विवरणी संख्या - 6	<p>कर्ज तथा अन्य देनदारियों की विवरणी: सरकार के कर्जों में द्वारा लिए गए बाजार ऋण (आन्तरिक ऋण) तथा ऋण व अग्रिम जो भारत सरकार से प्राप्त किए गए, शामिल हैं। यह दोनों मिलकर राज्य सरकार के लोक ऋण में शामिल है। इसके अतिरिक्त यह संक्षिप्त विवरणी, अन्य देनदारियों जो कि लोक लेखे में विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत शेष हैं, को दर्शाती है। देनदारियां हैं। इस विवरणी में देन दारी सेवाओं पर टिप्पणी जैसे राजस्व प्राप्तियों से अदा किए गए निवल व्याज प्रभार की मात्रा पर टिप्पणी शामिल होती है।</p>
विवरणी संख्या - 7	<p>सरकार द्वारा दिये ऋण की विवरणी: राज्य सरकार द्वारा दिये गए ऋण एवं अग्रिम विवरणी - 1 में तथा वसूली संवितरण विवरणी संख्या 2,3 व 4 में दर्शाये जाते हैं। इसमें ऋण एवं अग्रिम संक्षिप्त रूप क्षेत्र एवं ऋणी समूह अनुसार दर्शाया जाते हैं। इसमें नीचे उन ऋणों की बकाया वसूली के सम्बन्ध में टिप्पणी होती है जिनका विस्तृत विवरण महालेखाकार कार्यालय द्वारा तथा राज्य सरकार के विभागों द्वारा रखा जाता है।</p>
विवरणी संख्या - 8	<p>राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सहायतानुदान की विवरणी: समूह अनुसार सहायतानुदान प्राप्त संगठनों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इसमें अनुदान के प्रकार के ऊपर टिप्पणी भी शामिल होती है।</p>
विवरणी संख्या - 9	<p>सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटी की विवरणी: वैधानिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, स्थानिय निकायों व अन्य संगठनों द्वारा वर्ष के दौरान लिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों एवं गारंटियों की धन राशि जो वर्ष के अंत बकाया हो का विवरण इसमें होता है।</p>
विवरणी संख्या - 10	<p>भारित एवं दत्तमत व्यय की विवरणी: इस विवरणी में भारित एवं दत्तमत व्ययों का विवरण होता है।</p>

विवरणी	प्रदर्शन
खण्ड II भाग II : इसमें खण्ड - I व खण्ड - II के भाग - I संबंधित विवरणियों में दिये लघु शीर्षों के लेन - देनों से संबंधित विस्तृत विवरणों को दर्शने वाली नौ विवरणियां होती है।	
विवरणी संख्या - 11	लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण: इसमें सरकार की राजस्व व पूँजीगत प्राप्तियों का विस्तृत विवरण होता है।
विवरणी संख्या - 12	लघु शीर्ष अनुसार राजस्व व्ययों की विस्तृत विवरणी: इसमें सरकार के राजस्व व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनेतर तथा योजनागत व्ययों को अलग - अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के कार्यों के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है।
विवरणी संख्या - 13	पूँजीगत व्ययों की विस्तृत विवरणी: इसमें सरकार के पूँजीगत व्ययों का विस्तृत विवरण होता है। इसमें योजनागत व योजनेतर व्ययों को अलग - अलग दर्शाया जाता है और पूर्व वर्ष के व्ययों के साथ उनकी तुलना भी दर्शाई जाती है। सचित पूँजीगत व्यय जो वर्ष के अंत तक होते हैं उन्हें भी इसमें दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में चालू वर्ष व गत वर्ष में सरकार के हिस्सा पूँजी व ऋणपत्रों में किए गए विभिन्न प्रतिष्ठानों में निवेशों की स्थिति को दर्शाया जाता है। इसमें शेर्यस के प्रकार उनकी मूल कीमत व प्राप्त लाभांश को भी दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 15	आहरण एवं अन्य दायित्वों की विवरणी: इसमें आहरणों (सरकार द्वारा बाजार से लिए गए व भारत सरकार से लिए गए ऋणों) की लघु शीर्ष अनुसार व लिए गए सभी ऋणों की भुगतान तिथि एवं उनके पुनर्भुगतान का विवरण इस विवरणी में दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 6 में भाग 1 के खण्ड 11 से तत्संबंधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 16	सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिमों की विवरणी: इस विवरणी में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों एवं अग्रिमों, उनके बदले हुए ऋण शेषों, बट्टे रखाते डाले ऋणों, ऋणों से प्राप्त व्याज इत्यादि को दर्शाया जाता है। इसमें योजनागत ऋणों को भी अलग से दर्शाया जाता है। यह विवरणी संख्या 7 के भाग - 1 खण्ड 11 से तत्संबंधित विस्तृत विवरणी है।
विवरणी संख्या - 17	राजस्व लेखों के अतिरिक्त व्ययों की निधियों के स्रोत एवं उनके क्रियान्वयन की विस्तृत विवरणी: इसमें पूँजीगत एवं अन्य व्ययों (राजस्व लेखों को छोड़कर तथा व्यय के लिए निधि के अन्य स्रोतों) के विस्तृत विवरण को दर्शाया जाता है।
विवरणी संख्या - 18	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन - देनों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि पर प्रभारित व्ययों, निधि के विनेयोजन, व्ययों प्रतिपूर्ति धनराशि आदि को दर्शाया जाता है। इसमें लोक लेखा के लेन - देनों का विस्तृत विवरणी भी होता है।
विवरणी संख्या - 19	चिन्हित शेषों की विस्तृत विवरणी: इस विवरणी में लोक लेखा की सचित निधि से किए गए निवेशों का विस्तृत विवरण होता है।

भाग क: वित्तीय स्थिति के निर्धारण

हेतु अपनाई गई पद्धति

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत (परिशिष्ट 1.2 का भाग ख) विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु टी.एफ.सी. द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि जी.एस.डी.पी. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, जैसे मुख्य वित्तीय योगों राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जी.एस.डी.पी. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्पादकता सह - दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकलित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग जी.एस.डी.पी. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु जी.एस.डी.पी. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में प्रवाह

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (‘ करोड़ में)	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	19.99	18.55	18.56	18.25	19.19

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सारिव्यकी विश्लेषण, हरियाणा

नोट: आंकड़े, अस्थायी अनुमान 2008 – 09, त्वरित अनुमान 2009 – 10 तथा अग्रिम अनुमान 2010 – 11 पर हैं।

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शर्तों की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्पादकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर / जी.एस.डी.पी. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के सम्बन्ध में पैरामीटर (एक्स) की उत्पादकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	[(चालू वर्ष राशि/गत वर्ष राशि)-1]* 100
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(गत वर्षों की वित्तीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की वित्तीय देयताएं)2]* 100
ब्याज फैलाव	जी.एस.डी.पी. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	प्राप्त ब्याज [(ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक + अन्त शेष)2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
वित्तीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूँजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेत्तर राजस्व व्यय - ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

भाग ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम, 2005 (संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 की हरियाणा अधिनियम संख्या 6)

सरकार के राजकोषीय प्रचालन में राजस्व घाटे का प्रगतिशील विलोपन, राजकोषीय घाटे में कमी, राजकोषीय धारणीयता से सुसंगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबन्धन और पारदर्शिता द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में विवेकपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए तथा मध्यम कालिक रूपरेखा में राजकोषीय नीति का संचालन करने के लिए राज्य सरकार के उत्तरदायित्व तथा उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (क) यह अधिनियम हरियाणा राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005, कहा जा सकता है।
 - (ख) यह ऐसी तिथि को लागू होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: -
 - (क) “‘बजट’” से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अधीन हरियाणा राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखवा गया वार्षिक वित्तीय विवरण,
 - (ख) “‘चालू वर्ष’” से अभिप्राय है, आगामी वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष;
 - (ग) “‘आगामी वर्ष’” से अभिप्राय है, वित्तीय वर्ष जिसके लिए बजट प्रस्तुत किया जा रहा है;
 - (घ) “‘वित्तीय वर्ष’” से अभिप्राय है, प्रथम अप्रैल से शुरू होने वाला तथा ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष;
 - (ड.) “‘जी.एस.डी.पी.’” से अभिप्राय है, चालू बाजार कीमतों पर सकल राज्य धरेलू उत्पाद;
 - (च) “‘राजकोषीय घाटा’” राजस्व प्राप्तियों, कर्जों की वसूली तथा गैर ऋण पूँजी प्राप्तियों से संकलित सवितरण (शुद्ध ऋण के पुनः भुगतान) से आधिक्य है;
 - (छ) “‘राजकोषीय सूचक’” ऐसे सूचक हैं जो राज्य सरकार की राजकोषीय अवस्था के मूल्यांकन के लिए विहित किए जाएं।
 - (ज) “‘राजकोषीय लक्ष्य’” राजकोषीय सूचकों के लिये संख्यात्मक उच्चक मूल्य तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) का या जी.एस.डी.पी. का अनुपात है;
 - (झ) “‘विहित’” से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(८) “पूर्व वर्ष” से अभिप्राय है, चालू वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष;

(ट) “राजस्व घाटा” से अभिप्राय है, राजस्व खर्च तथा कुल राजस्व प्राप्तियों (टी.आर.आर.) के बीच का अन्तर;

व्याख्या: कुल राजस्व प्राप्तियों में शामिल है राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियां (कर तथा कर रहित दोनों) तथा केन्द्र से चालू अन्तरण (अनुदानों तथा केन्द्रीय करों के राज्य के हिस्से को समाविष्ट करके)

(ठ) “विशेष प्रयोजन साधन” से अभिप्राय है, राज्य प्रतिभूतियों के विरुद्ध विशिष्ट प्रयोजनों के लिये वित्तीय संव्यवहारों या वित्तीय संस्थाओं या बाजार से कर्ज लेने के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विशिष्ट समानुदेशनों/कर्तव्य के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन या संस्थान;

(ड) “राज्य सरकार” से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार; तथा

(ट) “कुल दायित्वों” से अभिप्राय है, राज्य की संचित निधि तथा राज्य के लोक लेखे के अधीन दायित्वों तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधनों तथा प्रतिभूतियों सहित अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां मूल तथा /या ब्याज, राज्य बजट में से दिए जाने हैं, भी शामिल होंगे।

3. राज्य सरकार:

(क) राजस्व घाटे का विलोपन करने तथा उसके बाद पर्याप्त राजस्व अधिशेष बनाए रखने तथा पोषणीय स्तर पर राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने तथा परिसम्पत्तियों के आधिक्य में या निधिकरण पूँजी खर्च के लिए दायित्वों के निर्वहन के लिए ऐसे अधिशेष, उपयोग हेतु समुचित उपाय करेगी;

(ख) लागत वसूली तथा साम्या का सम्यक् ध्यान रखते हुए कर रहित राजस्व को बढ़ाने के लिए नीतियां जारी करेगी; तथा

(ग) पूँजी खर्च की प्राथमिकता के लिए मानक अधिकथित करेगी तथा ऐसी खर्च नीतियां जारी करेगी जिनसे आर्थिक विकास, गरीबी घटाने तथा मानव कल्याण के उत्थान के लिए प्रोत्साहित करेगी।

4. राज्य सरकार निम्नलिखित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी, अर्थात्:

(क) राजकोषीय नीति उद्देश्यों की स्थापना में पारदर्शिता, लोक नीति के कार्यान्वयन तथा राजकोषीय सूचना का प्रकाशन ताकि लोक राजकोषीय नीति के संचालन तथा लोक वित्तों की स्थिति की संवीक्षा करने में समर्थ हों;

(ख) राजकोषीय नीति बनाने की प्रक्रिया में स्थिरता तथा प्रकथनीयता तथा रीति जिसमें राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था को दृढ़ बनाए;

(ग) लोक वित्तों के प्रबन्धन में उत्तरदायित्व, जिसमें बजट बनाने की सत्यनिष्ठा शामिल है;

(घ) स्पष्टतौर पर सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के नीति निर्णय भावी पीढ़ी पर उनकी वित्तीय विदक्षा का सम्यक् ध्यान रखते हैं; तथा

- (ड) राजकोषीय नीति को बनाने तथा कार्यान्वित करने में तथा पब्लिक सैक्टर तुलन - पत्र की परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों के प्रबन्धन में दक्षता।
5. राज्य सरकार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख बजट के साथ राजकोषीय नीति के निम्नलिखित विवरण रखेगी, अर्थात् :-
- (क) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण;
 - (ख) मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरण; तथा
 - (ग) राजकोषीय नीति योजना विवरण।
6. बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण ऐसे रूप में होगा, जो विहित किया जाए, जिसमें राज्य अर्थव्यवस्था का अति विचार, विकास तथा जी0एस0डी0पी0 के क्षेत्रीय संयोजन का विश्लेषण, राज्य सरकार के वित्तों तथा भावी प्रत्याशाओं से संबंधित निर्धारण अन्तर्विष्ट होंगे।
7. (क) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में नीचे बताई गई पूर्वाधारणा के स्पष्ट कथन के साथ विहित राजकोषीय सूचकों के लिए तीन वर्षीय चल प्रवृत्ति लक्ष्य दिया जाएगा।
- (ख) विशिष्टित्या तथा उपधारा (1) में दिए गए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यम कालिक राजकोषीय विवरण में राजकोषीय सूचकों के पीछे विभिन्न पूर्व धारणाओं तथा स्थिरता से संबंधित निम्नलिखित निर्धारण शामिल होंगे:-
- (i) राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व खर्च के बीच का अतिशेष;
 - (ii) पूँजी प्राप्तियां, जिसमें उत्पादक परिसम्पत्तियां उत्पन्न करने के लिए उधार लेना शामिल है, का उपयोग; तथा
 - (iii) आगामी दस वर्ष के लिए जीवनांकिक आधार पर गणन किए गए अनुमानित वार्षिक पेंशन दायित्व।
- परन्तु यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रथम तीन वर्ष की अवधि के दौरान जीवनांकिक आधार पर पेंशन दायित्व की गणना करना संभव नहीं है, तो राज्य सरकार उस अवधि के दौरान विकास दरों के रूप के आधार पर पूर्वानुमान करते हुए पेंशन दायित्वों का अनुमान लगा सकती है।
- (8) राजकोषीय नीति योजना विवरण ऐसे रूप में होगा जो विहित किया जाए तथा इसमें अन्य बातों के साथ - साथ निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगा -
- (क) कराधान, खर्च, उधारा लेने तथा अन्य दायित्व (जिसमें पब्लिक सैक्टर उपक्रमों तथा विशेष प्रयोजन साधन तथा अन्य समकक्ष लिखतों द्वारा लिए गए उधार जहां पुनः भुगतान के लिए दायित्व राज्य सरकार पर है, शामिल हैं), उधार देना, निवेश, अन्य आकस्मिक दायित्व, सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपभोग प्रभार तथा अन्य क्रिया - कलापों का विवरण जैसे कि प्रतिभूतियां तथा पब्लिक सैक्टर उपक्रम जो संभावित बजट विवक्षा रखते हैं के क्रिया - कलापों से संबंधित आगामी वर्ष के लिए राज्य सरकार की राजकोषीय नीतियां;
 - (ख) आगामी वर्ष के लिए राजकोषीय क्षेत्र में राज्य सरकार की प्राथमिक योजना;

- (ग) कराधान, आर्थिक सहायता, खर्च, उधार लेना तथा सार्वजनिक वस्तुओं/उपयोगिताओं पर उपभोग - प्रभार से संबंधित राजकोषीय उपायों में किसी मुख्य परिवर्तन के लिए आधारभूत राजकोषीय उपाय तथा मूलाधार; तथा
- (घ) धारा 4 में उपवर्णित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों की तुलना में राज्य सरकार की चालू नीतियों का मूल्यांकन, धारा 7 की उपधारा (1) में मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण में उपवर्णित राजकोषीय उद्देश्य तथा धारा 9 में उपवर्णित राजकोषीय लक्ष्य होंगे।
9. (क) राज्य सरकार ऐसे लक्ष्य जो वह राजकोषीय प्रबन्धन उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे, विहित कर सकती है।
- (ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार -
- (i) वित्त वर्ष 2005 - 06 से उत्तरोत्तर राजस्व घाटा कम करेगी ताकि 2008 - 09 तक इसे शून्य तक लाया जा सके तथा इसके पश्चात् राजस्व अधिशेष उत्पन्न किया जा सके।
- (ii) वित्त 2005 - 06 तक उत्तरोत्तर राजकोषीय घाटा कम करेगी ताकि मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष तक जी.एस.डी.पी. तीन प्रतिशत से अधिक न हो सके:
- (iii) वित्त वर्ष 2005 - 06 से शुरू होने वाली तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के भीतर सुनिश्चित करेगी कि बकाया कुल ऋण आकस्मिक दायित्व सहित उस वर्ष के लिए अनुमानित जी0एस0डी0पी0 के 28 प्रतिशत से अधिक न हो:
- परन्तु राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा, आंतरिक अशान्ति या प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय सुरक्षा या ऐसे अन्य आपवादित आधार जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें से उत्पन्न होने वाली राज्य सरकार की अप्रत्याशित वित्तीय मांग के आधार या आधारों के कारण इस धारा के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है:
- परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के संबंध में विवरण पूर्वोक्त लक्ष्यों से ऐसी घाटा राशि के अधिक होने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।
10. (क) राज्य सरकार लोक हित में अपने राजकोषीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा कम से कम यथा साध्य बजट को तैयार करने में गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए उपर्युक्त उपाय करेगी;
- (ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, बजट प्रस्तुत करते समय विस्तृत सूचना ऐसे रूप में, जो विहित की जाए, सहित निम्नलिखित पर प्रकटीकरण करेगी:-
- (i) राजकोषीय सूचकों की गणना को प्रभावित कर रहे या प्रभावित करने वाले गणन मानकों, नीतियों तथा प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का;
- (ii) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिमों/ओवर ड्राफ्ट द्वारा लिए गए उधारों के ब्यारे का।

- (ग) जब कभी राज्य सरकार बिना शर्त तथा तत्वत् मूल राशि का पुनः भुगतान तथा /या किसी पृथक विधिक परिस्थितियों का व्याज भुगतान करने के लिए वचन देती है तो ऐसा दायित्व इस प्रकार दर्शाना होगा जैसे कि राज्य का उधार हो।
11. (क) वित्त विभाग का भारसाधक मंत्री (जिसे, इसमें, इसके बाद “वित्त मंत्री” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), बजट आकलनों के संबंध में प्राप्तियों तथा खर्च के रूख का अर्धवार्षिक पुनर्विलोकन करेगा तथा ऐसे पुनर्विलोकनों के निष्कर्ष राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष रखेगा।
- (ख) जब कभी वहाँ राजकोषीय नीति योजना विवरण या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में वर्णित अभ्यन्तर वर्ष लक्ष्यों के विषय में या तो राजस्व में कमी या खर्चों की अधिकता हो जाती है तो राज्य सरकार राजस्व में बढ़ोत्तरी करने के लिए तथा /या खर्च घटाने के लिए जिसमें राज्य की संचित निधि में से भुगतान तथा प्रयुक्त की जाने वाली प्राधिकृत राशियों की काट छाट भी शामिल है, समुचित उपाय करेगी:
- परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के खण्ड (3) के अधीन राज्य की संचित निधि पर प्रभारित खर्च या कोई अन्य खर्च जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किया जाना अपेक्षित है, जो स्थगित या घटाया नहीं जा सकता, को लागू नहीं होगी।
- (ग) (i) इस अधिनियम के अधीन यथा उपबंधित के सिवाए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने में कोई भी परिवर्तन राज्य विधानमण्डल के अनुमोदन के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (ii) जहाँ अकल्पित परिस्थितियों के कारण, कोई परिवर्तन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार की सूत्रबद्ध बाध्यताओं के निर्वहन करने के लिए किया जाता है, तो वहाँ वित्त मंत्री राज्य विधानमण्डल के सदन में स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित के बारे में विवरण देगा:-
- (कक) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के सूत्रबद्ध दायित्वों के निर्वहन करने में किसी परिवर्तन का;
- (कर) चाहे ऐसा परिवर्तन मूलभूत है तथा वास्तविक या सम्भाव्य बजट निष्कर्ष से संबंधित है; तथा
- (कग) प्रतिकारी उपाय, जिन्हें राज्य सरकार करने के लिए प्रस्तावित करें।
- (घ) वित्त वर्ष के दौरान प्रस्तावित कोई उपाय, जिससे राजस्व घाटे में या तो खर्च में बढ़ोत्तरी या राजस्व में कमी करके बढ़ोत्तरी की जा सकती है, ऐसी बढ़ोत्तरी या कमी तटस्थ करने के लिए प्रस्तावित प्रतिकारी उपाय के विवरण सहित होंगे तथा ऐसा विवरण राज्य विधानमण्डल के सदन के सम्मुख रखा जाएगा।
- (ड.) राज्य सरकार समय - समय पर इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के पुनर्विलोकन के लिए राज्य सरकार की स्वतंत्र एजेंसी स्थापित करेगी तथा ऐसे पुनर्विलोकनों को राज्य विधानमण्डल के पटल पर रखेगी।

12. किसी बात के लिए जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशावित हैं, राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई भी वृद्धि अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं चलाई जाएंगी।
13. इस अधिनियम के उपबन्ध तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे तथा उनके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
14. (क) इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत ऐसे उपबन्ध जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, कर सकती है;
बशर्ते इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
(ख) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश इसके किए जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।
15. (क) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।
(ख) विशिष्टितया तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित मामलों में से सभी या किन्हीं के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्:-
(i) धारा 6 के अधीन वृहत् आर्थित रूपरेखा विवरण का प्रारूप;
(ii) मध्यम कालिक राजकोषीय नीति का प्रारूप जिसमें धारा 7 के अधीन राजकोषीय सूचकों के लिए चल प्रवृत्ति लक्ष्य भी शामिल है;
(iii) धारा 8 के अधीन राजकोषीय नीति योजना विवरण का प्रारूप;
(iv) धारा 10 की उप - धारा (2) के अधीन प्रकटीकरण के लिए प्रारूप;
(v) अनुपालन लागू करने के उपाय;
(vi) धारा 11 के अधीन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुपालन के पुनर्विलोकन की रीति; तथा
(vii) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या किया जा सकता है।
(ग) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा यदि सदन नियम में कोई उपान्तरण करने के लिए सहमत हो जाता है या सदन सहमत हो जाता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिये, तो तत्पश्चात् यह नियम यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा तथापि कोई ऐसा उपान्तरण या निष्प्रभावन उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 6 एवं 26)

(करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
भाग – क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	17,952	19,751	18,452	20,993	25,564
(i) कर राजस्व	10,928 (61)	11,618 (59)	11,655(63)	13,220(63)	16,790 (66)
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	6,853 (63)	7,721(67)	8,155(70)	9,032(68)	11,082 (66)
राज्य उत्पाद शुल्क	1,217 (11)	1,379(12)	1,419(12)	2,059(16)	2,366 (14)
वाहनों पर कर	224 (2)	234(2)	239(2)	277(2)	457 (3)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,765 (16)	1,763(15)	1,326(12)	1,294(10)	2,319 (14)
भू-राजस्व	13 (-)	9 (-)	9 (-)	9	10
माल एवं यात्रियों पर कर	738 (7)	379(3)	370(3)	392(3)	387 (2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	98 (1)	108(1)	106(1)	120(1)	130 (1)
अन्य कर	20	25	31	37	39
(ii) कर – भिन्न राजस्व	4,591 (26)	5,097(26)	3,238(18)	2,741(13)	3,421 (13)
(iii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	1,296 (7)	1,634(8)	1,725(9)	1,775(8)	2302 (9)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	1,138 (6)	1,402(7)	1,834(10)	3,257(16)	3,051 (12)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियां	-	10	7	9	8
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	2,201	214	352	213	233
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूँजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	20,153	19,975	18,811	21,215	25,805
5. लोक ऋण प्राप्तियां	2,012	844	3,888	8,455	9,843
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्रॉफ्ट रहित)	1,990 (99)	776(92)	3,822(98)	8,320(98)	9,535 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्रॉफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम3	22 (1)	68(8)	66(2)	135(2)	308 (3)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	22,165	20,819	22,699	29,670	35,648
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	-	-	-	193
8. लोक लेखे प्राप्तियां	6,732	9,433	12,308	15,789	16,595
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	28,897	30,252	35,007	45,459	52,436
भाग – ख व्यय/सवितरण					
10. राजस्व व्यय	16,362	17,527	20,534	25,257	28,310
योजनागत	2,454 (15)	3,176(18)	3,918(19)	5,715(23)	6,251 (22)
योजनेत्तर	13,908 (85)	14,351(82)	16,616(81)	19,542(77)	22,059 (78)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	4,845 (30)	5,230(30)	6,024(30)	7,755(31)	9,328 (33)
आर्थिक सेवाएं	6,627 (40)	6,222(35)	7,035(34)	7,530(30)	7,997 (28)
सामाजिक सेवाएं	4,615 (28)	5,739(33)	7,259(35)	9,902(39)	10,904 (39)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	275 (2)	337(2)	216(1)	70(-)	81 (-)
11. पूँजीगत व्यय	2,428	3,426	4,502	5218	4,031
योजनागत	2,486 (102)	3,411(100)	3,990(89)	4,203(81)3	,845 (95)

(करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
योजनेत्तर	(-) 59 (-2)	15	512(11)	1,015(19)	186 (5)
सामान्य सेवाएं	90 (4)	171(5)	195(4)	187(4)1	99 (5)
आर्थिक सेवाएं	1,689 (68)	2,333(68)	3,198(71)	3,961(76)	2,602
सामाजिक सेवाएं	649 (26)	922(27)	1,109(25)	1,070(20)	1,230 (31)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	185	286	332	830	722
13. कुल (10+11+12)	18,975	21,239	25,368	31,305	33,063
14. लोक ऋण के पुनर्भुगतान	1,114	841	1,292	2,746	3,971
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	1,002 (90)	728(87)	1,178(91)	2,576(94)	3,846 (97)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	112 (10)	113(13)	114(9)	170(6)	125 (3)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	-	-	-	190
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	20,089	22,080	26,660	34,051	37,224
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	-	-	-	3
18. लोक लेखे संवितरण	5,395	8,818	11,442	14,320	15,324
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	25,484	30,898	38,102	48,371	52,551
भाग ग - घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+)(1-10)(+)	1,590(+)	2,224(-)	2,082(-)	4,264(-)	2,746
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+)(4-13)(+)	1,179(-)	1,264(-)	6,557(-)	10,090(-)	7,258
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+)(21+23)(+)	3,444(+)	1,082(-)	4,218(-)	7,353(-)	3,939
भाग - घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,265	2,346	2,339	2,737	3,319
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	922	1,572	2,053	1,947	2,223
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	-	-	92(5)	170(7)	670(8)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज ⁴	-	-	0.04	0.05	1.16
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁵	1,30,141	1,54,283	1,82,914	2,16,287	2,57,793
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	28,616	29,118	32,278	39,337	46,282
29. ब्याज सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	5,074	4,402	4,575	4,536	4,528
30. गारंटी दी गई अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	12,694	6,341	5,188	4,757	5,515
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	20	23	29	15	21
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	36.30	74.74	85.60	30.00	41
33. राजस्व का बकाया (कर एवं कर भिन्न राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता)	1,602 (10)	1,982 (12)	2,367 (16)	3,232 (20)	3,444 (17)

4. अर्थोपाय अग्रिमों पर ` 1.16 लाख का ब्याज 7.25 प्रतिशत की दर पर दिया गया था।
5. आर्थिक एवं सारिव्यकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टरेट द्वारा वर्तमान मूल्यों पर जी.एस.डी.पी. आंकड़े संचारित थे। 2008-09 के लिए जी.एस.डी.पी. के आंकड़े अस्थाई अनुमान पर हैं, 2009-10 तुरन्त अनुमान और 2010-11 अग्रिम अनुमान पर हैं।

(` करोड़ में)

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
भाग – ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.084	0.075	0.064	0.061	0.065
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/जी.एस.डी.पी.	0.035	0.033	0.018	0.013	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/जी.एस.डी.पी.	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/जी.एस.डी.पी.	0.146	0.138	0.139	0.145	0.128
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.057	1.075	1.375	1.491	1.293
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.862	0.825	0.809	0.807	0.856
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.277	0.314	0.330	0.364	0.374
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.440	0.409	0.409	0.374	0.329
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.128	0.161	0.177	0.167	0.122
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.123	0.153	0.170	0.161	0.116
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.012	0.014(-)	0.011(-)	0.020(-)	0.011
राजकोषीय घाटा/जी.एस.डी.पी.	0.009(-)	0.008(-)	0.036(-)	0.047(-)	0.028
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/जी.एस.डी.पी.	0.026	0.007(-)	0.023(-)	0.034(-)	0.015
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	1.349(-)	1.759	0.318	0.423	0.378
प्राथमिक राजस्व शेष/जी.एस.डी.पी.	0.006	0.005(-)	0.023(-)	0.034(-)	0.021
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/जी.एस.डी.पी.	0.220	0.189	0.176	0.182	0.180
वित्तीय देयताएं/आर.आर	1.594	1.474	1.749	1.187	1.811
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	1.317	0.409(-)	1.437 (-)	4.181(-)	1.004
ऋण विमोचन (मूल+ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	1.072	1.338	0.897	0.740	0.831
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर आवर्त	5.62	6.05	8.27	9.60	2.48
वर्तमान राजस्व से शेष (` करोड़ में)	3,087	4,300	572	(-)117	2,326
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.86	0.94	0.88	0.80	0.77

भाग क: वर्ष 2010 – 11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2009-10		2010-11		2009-10		नान – प्लान	प्लान	कुल
20,992.66	भाग क: राजस्व			25,257.39	I. राजस्व व्यय	22,058.68	6,251.51	28,310.19
13,219.50	कर राजस्व	16,790.37	7,755.35		सामान्य सेवाएं	9,262.30	65.84	9,328.14
2,741.40	कर भिन्न राजस्व	3,420.93	9,902.22		सामाजिक सेवाएं	6,574.39	4,329.69	10,904.08
1,774.47	संघीय करों का राज्य का हिस्सा	2,301.75	5,206.55		शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	4,259.34	1,637.46	5,896.80
1,617.33	योजनेत्तर अनुदान	1,765.98	1,021.94		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	741.09	327.30	1,068.39
920.37	राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	749.74	1,093.90		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	917.50	294.25	1,211.75
719.59	केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान	534.90	69.47		सूचना एवं प्रसारण	33.68	15.53	49.21
			161.31		अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	27.52	172.21	199.73
				186.37	श्रम एवं श्रम कल्याण	160.745	3.78	214.52
				2,156.29	समाज कल्याण एवं पोषण	427.84	1,829.16	2,257.00
				6.39	अन्य	6.68	-	6.68
				7,529.91	आर्थिक सेवाएं	6,140.75	1,855.98	7,996.73
				1,122.33	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	718.60	642.14	1,360.74
				869.11	ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	253.71	714.15	967.86
				858.47	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	680.79	219.95	900.74
				2,787.87	ऊर्जा	2,947.85	7.93	2,955.78
				69.80	उद्योग एवं खनिज	39.19	50.21	89.40
				1,481.53	यातायात	1,453.81	52.17	1,505.98
				35.09	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.03	13.15	15.18
				305.71	सामान्य आर्थिक सेवाएं	44.77	156.28	201.05
				69.91	सहायता अनुदान तथा अंशदान भाग (ख) को अग्रनीत राजस्व सरप्लस	81.24	-	81.24
4,264.73	II. भाग ख को अग्रनीत राजस्व घटा		2746.52					
25,257.39	योग भाग क		28310.19	25,257.39		22,058.68	6,251.51	28,310.19
3,404.94	भाग ख – अन्य			493.42	-	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्रॉफ्ट		
9.39	III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष		8.00	5,218.48	IV. पूंजीगत परिव्यय	186.09	3,845.0	14,031.10
				187.37	सामान्य सेवाएं	-	198.94	198.94
				1,070.00	सामाजिक सेवाएं	0.02	1,229.69	1,229.71
				113.71	शिक्षा, खेल, कला एवं साहित्य	0.02	75.66	75.68
				74.59	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	-	18.51	18.51
				769.29	जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास		1,046.68	1,046.68

परिशिष्ट 1.5 भाग क

(करोड़ में)

प्राप्तियां				संवितरण				
2009-10		2010-11	2009-10			नान - प्लान	प्लान	कुल
			2.80	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			2.66	2.66
			17.59	समाज कल्याण एवं पोषण			7.81	7.81
			92.02	अन्य			78.37	78.37
			3,961.11	आर्थिक सेवाएं	186.07	2,416.3	92,602.45	
			1,031.06	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	185.89	10.93	196.82	
			756.36	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	-	760.61	760.61	
			898.82	ऊर्जा	-	653.95	653.95	
			1.69	उद्योग एवं खनिज	-	0.67	0.67	
			1,247.23	यातायात	0.18	972.02	972.20	
			25.95	सामान्य आर्थिक सेवाएं-		18.20	18.20	
212.84	V. ऋणों एवं अधिग्रामों की वसूलियां	233.05	829.69	V. संवितरित ऋण एवं अधिग्राम	183.37	538.50	721.87	
20.58	बिजली परियोजनाओं से	6.91	123.54	बिजली परियोजनाओं हेतु	-	223.56	223.56	
148.53	सरकारी कर्मचारियों से	159.46	189.62	सरकारी कर्मचारियों को	183.37	5.23	188.60	
43.73	अन्यों से	66.68	516.53	अन्यों को	-	309.71	309.71	
	VI. राजस्व आधिकार्य नीचे लाया गया		4,264.73	VI. राजस्व घटा नीचे लाया गया	-		2,746.52	
8,455.37	VII. लोक ऋण प्राप्तियां बाह्य ऋण	9842.73	2,745.97	VII. लोक ऋण का पुनर्भुर्गतान बाह्य ऋण	3,846.52		3,971.08	
8,319.97	अर्थोपाय अधिग्रामों तथा ओवर ड्रॉफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	9,534.46	2,576.41	अर्थोपाय अधिग्रामों तथा ओवरड्रॉफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण				
-	ओवर ड्रॉफ्ट के अधीन निवल संपादन	-		अर्थोपाय अधिग्रामों के अन्तर्गत निवल संपादन	-			
135.40	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अधिग्राम	308.27	-	सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अधिग्रामों का पुनर्भुर्गतान	124.56			
-	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन		190.00	VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन			190.00	
-	IX. आकस्मिक निधि को स्थानान्तरित राशि		2.83	IX. आकस्मिक निधि से व्यय			2.83	
15,789.41	X. लोक लेखा प्राप्तियां	16594.62	14,319.66	X. लोक लेखा संवितरण			15,324.41	
1,870.32	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	1,964.13	1,008.40	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	1,216.33			
419.80	आरक्षण निधियां	317.04	99.27	आरक्षण निधियां	370.61			
	उचन्त एवं विविध	*602.69	616.08	उचन्त एवं विविध	648.45			
5,526.75	प्रेषण	5,360.62	5,809.71	प्रेषण	5,055.54			
7,312.84	निक्षेप एवं अधिग्राम	8,350.14	6,786.20	निक्षेप एवं अधिग्राम	8,033.48			
-	XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्रॉफ्ट		493.42	XI. समाप्ति पर नकद शेष			376.84	
			0.54	कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54			
			(-)1,132.20	भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	(-)1,776.40			
			4.11	स्थायी अधिग्रामों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	14.04			
			1,620.97	नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,138.66			
27,871.95	योग भाग - रख	27364.65	27,871.95	योग				27,364.65

* एम.एच. 8680 - विविध सरकारी लेखाओं के अन्तर्गत क्रेडिट 599.20 + 3.49

भाग खंड: 31 मार्च 2011 को हरियाणा

सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1 एवं 1.7.1; पृष्ठ 1 एवं 26)

(` करोड़ में)

31 मार्च 2010 को	देयताएं	31 मार्च 2011 को
26,798.04	आन्तरिक ऋण ब्याज युक्त बाजार ऋण 2.39 12.90 4,863.21 10,990.35	15,086.84 2.37 9.86 5,462.24 11,924.67
1,996.72	अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को विशेष प्रतिभतियां जारी केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम 0.43 30.59 1,924.01 13.37 28.32	32,485.98 -- 27.70 2,114.90 11.47 26.36
10.00	आकस्मिक निधि	2,180.43
7,471.36	लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	8,219.16
2,748.37	निक्षेप	3,065.03
1,839.94	आरक्षण निधियां	1,786.37
4.00	प्रेषण शेष	15.20
40,868.43		47,952.17
31 मार्च 2010 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2011 को
29,386.96	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेरों में निवेश	33,410.05
2,494.10	अन्य पूंजीगत परिव्यय ऋण एवं अग्रिम बिली परियोजनाओं हेतु ऋण	27,033.07
0.88	अन्य विकास ऋण सरकारी कर्भचारियों को ऋण तथा विविध ऋण अग्रिम उच्चन्त एवं विविध शेष	458.98
-	प्रेषण शेष	2,001.40
289.88	नकद	522.55
493.42	कोणालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण रिजर्व बैंक में निक्षेप विभागीय नकद शेष स्थायी अग्रिम नकद शेष निवेश आरक्षण निधि निवेश सरकारी लेखाओं पर घाटा	0.88
8,203.19	(-)1,132.20 4.00 0.11 103.34 1,517.63 4,264.73 3,938.46	45.25
40,868.43	कुल	376.84
40,868.43		11,136.22
40,868.43		47,952.17

* (-) 3.49 करोड़, शीर्ष “8680 – विविध सरकारी लेखे” के अन्तर्गत किए गए समायोजनों को दर्शाता है।

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: – आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति संवित करता है जो वाणिज्यिक लेखाकान में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदे अथवा स्टाक आकड़ों में छास अथवा भिन्नता जैसे मदे लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उच्चन्त एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा “भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2011 को सूचित किए गए आंकड़ों में 5.37 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2011)।

वर्ष 2010 – 11 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 एवं 1.7.2; पृष्ठ 1, 9, 13, 14, 16 एवं 27)

(‘करोड़ में)

विवरण	टीएच.एफ.सी. द्वारा निर्धारण	एफ.सी.पी. में प्रक्षेपण	एम.टी.एफ.पी.एस. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,07,230	2,30,900	2,57,793
स्वयं का कर राजस्व	17,613.74	18,743.64	16,469.29
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व	11,990.17	3,972.45	3,548.52
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	29,603.91	22,716.09	20,017.81
योजनेतर राजस्व व्यय	15,789.90	22,944.28	21,698.04
योजनागत राजस्व व्यय			6,784
वेतन	6,456.50	9,500	10,191.28
ब्याज भुगतान	3,474.32	3,509	3,573.49
पेशन	1,939.32	2,950	3,070
कुल परिदान		3,480	3,586.65
परिदान - विद्युत		3,200	3,200.65
परिदान - अन्य		280	385.99
राजस्व घाटा		2,046.80	
राजकोषीय घाटा		6,927 (जी.एस.डी.पी का 3 प्रतिशत)	
बकाया ऋण		46,157.47 (जी.एस.डी.पी का 22.4 प्रतिशत)	

मुख्य घटकों के सम्बन्ध में कर तथा कर - भिन्न राजस्व के संग्रहण तथा उनके संग्रहण पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला ब्यौरा
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3.1; पृष्ठ 8)

शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	संग्रहण पर व्यय की प्रतिशतता	अखिल भारतीय औसत
		(करोड़ में)			
कर राजस्व					
बिक्रियों, व्यापारों इत्यादि पर कर	2006-07	6,853.24	45.42	0.66	0.82
	2007-08	7,720.98	50.64	0.66	0.83
	2008-09	8,154.73	65.92	0.81	0.88
	2009-10	9,032.37	78.48	0.86	
	2010-11	11,082.01	87.82	0.79	
वाहनों पर कर	2006-07	223.66	6.93	3.10	2.47
	2007-08	233.79	5.47	2.34	2.58
	2008-09	239.30	8.00	3.34	3.66
	2009-10	277.07	11.32	4.09	
	2010-11	457.36	13.38	2.93	
राज्य उत्पाद	2006-07	1,217.10	12.09	0.99	3.30
	2007-08	1,378.81	12.95	0.94	3.27
	2008-09	1,418.53	18.46	1.30	2.77
	2009-10	2,059.02	20.48	0.99	
	2010-11	2,365.81	21.57	0.91	
स्टाम्प तथा पंजीकरण	2006-07	1,764.98	10.59	0.60	2.33
	2007-08	1,763.28	12.04	0.68	2.09
	2008-09	1,326.39	16.31	1.23	2.93
	2009-10	1,293.57	13.72	1.06	
	2010-11	2,319.28	11.72	0.51	
माल एवं यात्रियों पर कर	2006-07	738.41	-	-	
	2007-08	379.39	1.13	0.30	
	2008-09	370.29	1.50	0.41	
	2009-10	391.45	1.94	0.50	
	2010-11	387.14	1.94	0.50	

अंततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति (31 मार्च 2011 को)
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.3; पृष्ठ 22)

		निवेश (2010-11 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(` करोड़ में)		
I. सरकारी कम्पनियां				
1.	हरियाणा पिछ़ा वर्ग तथा आर्थिकतः कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	19.52	7.54	2005-06
2.	हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्त विकास निगम	29.81	2.22	2006-07
3.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	10.89	311.72	2009-10
4.	हरियाणा टैनरीज लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.17	10.57	2009-10
5.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	185.74	93.16	2008-09
6.	हरियाणा राज्य लघु उद्योग तथा निर्यात निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	1.81	24.60	2009-10
7.	हरियाणा राज्य हथकरघा तथा हस्तशिल्प निगम लिमिटेड, चण्डीगढ़	2.65	5.37	2008-09
8.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड, पंचकूला	2,494.66	108.12	2009-10
9.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, पंचकूला	1,397.12	22.09	2008-09
10.	उत्तर हरियाणा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, पंचकूला	809.71	3,690.63	2008-09
11.	दक्षिण हरियाणा हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड, हिसार	823.19	1,894.15	2009-10
कुल		5,776.27	6,170.17	

**विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिजिक / अर्ध-वाणिजिक
उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्थिति
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6.4; पृष्ठ 23)**

(करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूँजी	साधन सरकारी पूँजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तियां	वर्ष के दैरान प्रावधान किया गया हास	आवर्त	निवल लाभ/हानि	पूँजी पर ब्याज	कुल प्रतिलाभ (9+10)	पूँजी पर प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1987-88	-	-	-	-	0.03	(-) 0.10	-	(-) 0.10	-
2.	कृषि विभाग (कौटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1985-86	2.53	2.30	-	-	1.96	0.06	-	0.06	3
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2006-07	25.20	21.58	0.09	0.01	15.95	1.26	1.48	2.74	13
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2009-10	2,792.88	2,307.85	-	-	2,659.50	(-) 153.37	-	(-) 153.37	-
5.	यातायात विभाग हरियाणा परिवहन	2005-06	402.67	383.96	464.93	0.53	518.41	(-) 131.30	24.33	(-) 106.97	-
कुल			3,223.28	2,715.69	465.02	0.54	3,195.85	(-) 283.45	25.81	(-) 257.64	

सार्वजनिक निजी साझेदारी मूलभूत संरचना के अन्तर्गत पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (` करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी.ओ.टी.)	पूर्णता की तारीख
1.	फरीदाबाद में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण तथा दिल्ली - आगरा रेलवे लाईन तक इसकी पहुंच	लोक निर्माण विभाग	6.94	बी.ओ.टी.	29 सितम्बर 2000
2.	यमुनानगर - घिपली - पेहोवा मार्ग पर कुरुक्षेत्र में दो लेन वाला रेलवे ओवर ब्रिज	लोक निर्माण विभाग	16.00		मार्च 2007
3.	फरीदाबाद जिले में बल्लभगढ़ में बल्लभगढ़ - सोहाना मार्ग पर लेवल क्रासिंग सं. 575 - बी के बदले में रेलवे ओवर ब्रिज तक पहुंचने के लिए दो लेन मार्ग का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	24.00		सितम्बर 2000
4.	आधिगिक पार्क, सैक्टर - 33 - 34, फरीदाबाद का विकास	हुड़ा	60.00	एम.ओ.आई.	26 जून 2009
5.	सैक्टर 3, पंचकुला में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुड़ा	4.00	बी.ओ.टी.	21 दिसम्बर 2007
6.	सैक्टर 38, गुडगांव में क्रिकेट स्टेडियम का उन्नयन तथा पट्टे पर देना	हुड़ा	4.00	बी.ओ.टी.	25 मार्च 2008
कुल			114.94		

कार्यान्वयन के अन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी

मूलभूत संरचना के विवरण

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (` करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	गुडगांव - फरीदाबाद तथा बल्लभगढ़ - सोहना मार्गों का डिजाइन, अभियान्त्रिकी, वित्त, निर्माण, प्रचालन तथा अनुकूलक्षण	लोक निर्माण विभाग	180.00	बी.ओ.टी.	31 जनवरी 2009	मई 2011
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रैसवे का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	2,545.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	31 दिसम्बर 2009 तक आंशिक पूर्णता
3.	महात्मा गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, झज्जर की स्थापना	एच.पी.जी.सी.एल.	6,000.00	बी.ओ.टी.	23 जुलाई 2008	यूनिट-I: दिसम्बर 2011, यूनिट II: मई 2012
4.	झज्जर विद्युत प्रसारण प्रयोजना	एच.वी.पी.एन.एल.	382.00	डी.बी.एफ.ओ.टी.	28 मई 2010	दिसम्बर 2011
5.	गुडगांव में खेलकूद पार्क का निर्माण	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	70.50	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	मार्च 2008 तथापि, कार्यान्वयन में लिलंब है
6.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुडगांव	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वयन की जानी है
7.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	नौ वर्षों की अवधि के दौरान तीन चरणों में कार्यान्वयन की जानी है
8.	यूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली - सोनीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	दो चरणों में कार्यान्वयन की जानी है
9.	पेट्रोकैमिकल हब, पानीपत	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	2016 तक दो चरणों में कार्यान्वयन की जानी है
10.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्टूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वयन की जानी है
11.	यूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई.आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्टूबर 2006	दो चरणों में कार्यान्वयन की जानी है
12.	सैक्टर 29, गुडगांव में आइटोरियम भवन को पट्टे पर देना	हुडा	40.00	बी.ओ.टी.	15 फरवरी 2008	फरवरी 2010
13.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एनएच - 8, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास	हुडा	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	जुलाई 2012
14.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	16 अप्रैल 2012
15.	बड़खल में होटल प्रबंधन संस्थान	पर्यटन विभाग	40.00	पट्टा आधार पर	29 जुलाई 2009	परिस्थिति की जा रही है
16.	100 गांवों में 100 आरक्षित औसतेसिस प्लांटस की स्थापना	जनस्वास्थ्य विभाग	11.25	बी.ओ.टी.	23 जुलाई 2008	31 मार्च 2010
17.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	18 नवम्बर 2014
18.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	24 नवम्बर 2014
19.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	18.30	सेवा करार	28 मई 2007	31 मार्च 2010
20.	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम	स्कूल शिक्षा	9.53	सेवा करार	30 मई 2007	31 मार्च 2010
21.	213 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	03 मार्च 2010	मार्च/अप्रैल 2015
कुल			64,336.58			

राज्य सरकार के विचाराधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी परियोजनाओं के विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.4; पृष्ठ 28)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग/एजेंसी	अनुमानित लागत (` करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी. / बी.ओ.टी.)
1.	राय मलिकपुर - नारनौल - महेन्द्रगढ़ - दादरी - भिवानी - खरक कारीडोर का विकास	लोक निर्माण विभाग	1,201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.
2.	यमुनानगर - लाडवा मार्ग का विकास	लोक निर्माण विभाग	172.00	बी.ओ.टी.
3.	सैक्टर 29 तथा 52 - ए, गुडगांव में एम्युजमैट पार्क	हुड़ा	100.00	बी.ओ.टी.
4.	सैक्टर 29, गुडगांव में एकीकृत मल्टी लेवल पार्किंग	हुड़ा	100.00	बी.ओ.टी.
5.	कालेसर में एकीकृत पर्यटन रिजोर्ट - (लगभग 9.00 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
6.	मल्लाह में एकीकृत पर्यटन रिजोर्ट एवं स्पा - (लगभग 9.00 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
7.	माधोगढ़ में एकीकृत पर्यटन रिजोर्ट एवं स्पा - (लगभग 8.00 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
8.	धारुहेड़ा में शॉपिंग माल /मल्टीप्लैक्स - (6.29 एकड़)	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
9.	कर्ण लेक (9.00 एकड़) तथा कुरुक्षेत्र (पिपली) - (8.00 एकड़) में एम्युजमैट /थीम पार्कों की स्थापना	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
10.	तिलयार लेक, रोहतक - (5.00 एकड़) में एम्युजमैट पार्क	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
11.	सूरजकुण्ड (2.00 एकड़), दमदमा, होड़ल (1.50 एकड़) तथा धारुहेड़ा (0.75 एकड़) में इडवेंचर कैम्पिंग साईट्स	पर्यटन विभाग		पट्टा आधार पर
12.	हरियाणा में 20 स्थानों पर बस स्टैंडों का विकास	पर्यटन विभाग		बी.ओ.टी.
13.	गुडगांव में इन्ट्रा सिटी बस सर्विस	परिवहन विभाग	परिकलित की जा रही है	बी.ओ.टी.
14.	पिंजौर, करनाल, भिवानी तथा नारनौल में अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहाल /फिक्सड बेस ओपरेशन (एफ.बी.ओ.) सुविधाओं की स्थापना	नागरिक उड्डयन विभाग	परिकलित की जा रही है	
15.	पिंजौर, करनाल, भिवानी तथा नारनौल में इकोनोमिक्स स्टीम्यूलस के अन्तर्गत विभिन्न रूप से अध्यमों के लिए विशेष स्कूलों /संस्थानों की स्थापना	नागरिक उड्डयन विभाग	परिकलित की जा रही है	बी.ओ.टी.
16.	पैकेज	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	150.00	परिचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एण्ड एम.) करार
17.	अबुब शहर में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	5.70	ओ. एण्ड एम. करार
18.	पानीपत में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	4.91	ओ. एण्ड एम. करार
19.	पंचकुला में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
20.	हिसार में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
21.	नारनौल में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ. एण्ड एम. करार
22.	रोहतक में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	5.16	ओ. एण्ड एम. करार

क्र.सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (` करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ.टी./ बी ओ टी)
23.	करनाल में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.77	ओ.एण्ड.एम. करार
24.	गुडगांव में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	4.39	ओ.एण्ड.एम. करार
25.	कुरुक्षेत्र में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	5.63	ओ.एण्ड.एम. करार
26.	झज्जर (बेरी) में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.32	ओ.एण्ड.एम. करार
27.	सोनीपत में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	4.39	ओ.एण्ड.एम. करार
28.	फरीदाबाद में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.90	ओ.एण्ड.एम. करार
29.	जींद में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ.एण्ड.एम. करार
30.	पेहोवा में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	2.21	ओ.एण्ड.एम. करार
31.	यमुनानगर में पैक हाऊस कम कोल्ड स्टोरेज की सुविधा	एच.एस.ए.एम.बी.	3.90	ओ.एण्ड.एम. करार
32.	सिरसा जिले के अबुब शहर में किन्नू तथा अन्य फलों एवं सब्जियों के लिए जुसिंग / प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना	एच.एस.ए.एम.बी.	66.00	
33.	रोहतक में फलों एवं सब्जियों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना	एच.एस.ए.एम.बी.	70.00	
34.	सोनीपत जिले के गन्नौर में फलों एवं सब्जियों के लिए टर्मिनल मार्किट	एच.एस.ए.एम.बी.	180.00 फेस - I में	

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां बचत प्रत्येक प्रकरण में ` 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी, की विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 38)

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचतें	बचतों की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)					
1	2	राज्यपाल और मंत्रिपरिषद	59.19	15.69	27
2	4	राजस्व	1,218.65	273.17	22
3	7	योजना एवं सार्विकी	254.23	84.27	33
4	8	भवन तथा सड़कें	1,033.80	369.31	36
5	9	शिक्षा	6,173.08	610.53	10
6	10	तकनीकी शिक्षा	261.48	66.22	25
7	13	स्वास्थ्य	1,317.88	249.65	19
8	14	शहरी विकास	100.84	69.69	69
9	15	स्थानीय सरकार	945.59	654.40	69
10	16	श्रम	30.38	6.72	22
11	19	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	259.98	60.25	23
12	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,578.96	34.05	2
13	21	महिला और बाल विकास	469.96	106.86	23
14	23	खाद्य तथा आपूर्ति	243.41	153.93	63
15	24	सिंचाई	1,177.07	311.48	26
16	27	कृषि	709.27	54.74	8
17	28	पशुपालन और डेयरी विकास	325.30	20.75	6
18	32	ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	1,079.94	69.48	6
19	34	परिवहन	1,169.94	80.82	7
20	36	गृह	1,638.04	51.76	3
21	38	जनस्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	944.56	73.88	8
22	40	ऊर्जा तथा बिजली	3,225.53	261.28	8
23	41	इलैक्ट्रोनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी	22.69	6.20	27
24	42	न्याय प्रशासन	240.20	25.95	11
राजस्व (भारित)					
25	6	वित्त	4,018.69	594.25	15
पूंजीगत (दत्तमत)					
26	8	भवन तथा सड़कें	1,400.98	260.48	19
27	14	शहरी विकास	353.02	21.28	6
28	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	25.86	6.74	26
29	20	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2.86	1.92	67
30	23	खाद्य तथा आपूर्ति	4,187.78	456.74	11
31	36	गृह	130.50	39.60	30
32	38	जनस्वास्थ्य एवं जल आपूर्ति	1,001.70	303.54	30
33	40	ऊर्जा तथा बिजली	1,054.77	400.82	38
34	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम	1,602.40	880.53	55
पूंजीगत (भारित)					
35	8	भवन तथा सड़कें	8.00	2.15	27
36		लोक ऋण	7,867.65	3,226.09	41
योग			46,134.18	9,905.23	

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां व्यय प्रत्येक प्रकरण में 10 करोड़ से अधिक अथवा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक था, की विवरणी (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 42)

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	आधिक्य व्यय	आधिक्य की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)						
1	6	वित्त	3,119.00	3,139.22	20.22	1
पूंजीगत (दत्तमत)						
2	24	सिंचार्ड	514.4	712.98	198.58	39
योग			3,633.40	3,852.20	218.80	

बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण दर्शाने वाले विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 43)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	आहरित राशि		अभ्युक्तियां	लेखापरीक्षा की अवधि
		दिनांक	राशि (` लाख में)		
1	प्रधानाचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) कुरुक्षेत्र	31 मार्च 2010	40.98	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ	अप्रैल 2010
2	मुख्य अध्यापिका, आई.टी.आई. (महिला), करनाल	26 मार्च 2010	1.83	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ	मई 2010
3	मुख्य अध्यापिका, आई.टी.आई. (महिला), टोडाना (फतेहाबाद)	25 मार्च 2010	4.99	बैंक खातों में जमा कराया गया	जून 2010
4	प्रधानाचार्य आई.टी.आई., पुन्डरी (कैथल)	31 मार्च 2010	2.23	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा हुआ	मई 2010
5	कमाउट, पहली बटालियन हरियाणा सशस्त्र पुलिस अकादमी, अंबाला	31 मार्च 2010	40.17	डी.डी.संख्या 4058 दिनांक 8 सितंबर 2010 डी.डी.संख्या 50376 दिनांक 3 सितंबर 2010	नवम्बर 2010
6	निदेशक, हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन, करनाल	31 मार्च 2010	89.15	सिंचाई शारखा, करनाल के एस .बी.आई. के डी .सी.ओ. एस /बी. खाता संख्या , 10868331129 में पड़ा हुआ	जुलाई 2007 से जून 2008
7	उप परियोजना निदेशक, एच.ओ. पी.पी., करनाल	31 मार्च 2010	16.99	डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रखा गया और बाद में भुगतान किया	फरवरी 2011
8	पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पंचकूला	31 मार्च 2011	123.85	प्रबंध निदेशक, एच.ए.आर.टी.आर.ओ.एन. के पक्ष में तैयार किया हुआ बैंक ड्राफ्ट	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
9	पुलिस महानिदेशक हरियाणा, पंचकूला	31 मार्च 2011	269.15	आपदा प्रबंधन के लिए मदों के क्रय हेतु हरियाणा पुलिस आवास निगम के पक्ष में तैयार किया हुआ बैंक ड्राफ्ट	केन्द्रीय लेखापरीक्षा
10	महानिदेशक, हरियाणा रोडवेज, चण्डीगढ़	31 मार्च 2011	10835.00	हरियाणा परिवहन अभियान्त्रिकी, निगम गुडगांव को बसों की रवाई के लिए स्थानान्तरित किया। राशि को एफ.डी.आर. में रखा गया।	
योग			11,424.34		

स्रोत: विभागों द्वारा प्रस्तुत विवरण।

अर्थात् ` 114.24 करोड़

**प्रकरणों के विवरण जहां पूरक प्रावधान
(प्रत्येक प्रकरण में ` 50 लाख अथवा अधिक)
अनावश्यक सिद्ध हुए
(संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.7; पृष्ठ 45)**

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	पूरक
राजस्व (दत्तमत)					
1	7- योजना एवं सारिव्यकी	250.00	169.96	80.04	4.23
2	8-भवन तथा सड़कें	865.13	664.49	200.64	168.67
3	9-शिक्षा	5,788.57	5,562.55	226.02	384.52
4	10-तकनीकी शिक्षा	239.09	195.26	43.83	23.39
5	13-स्वास्थ्य	1,117.13	1,068.22	48.91	200.75
6	14-शहरी विकास	97.52	31.15	66.37	3.32
7	24-सिंचाई	1,105.31	865.59	239.72	71.76
8	25-उद्योग	69.15	62.62	6.53	1.97
9	39-सूचना एवं प्रचार	51.83	49.21	2.62	2.06
10	40-ऊर्जा तथा बिजली	2,988.24	2,964.25	23.99	237.28
11	41-इलैक्ट्रोनिक्स तथा सूचना औद्योगिकी	19.58	16.48	3.10	3.10
सह-योग		12,591.55	11,649.78	941.77	1,101.05
राजस्व (भारित)					
12	2- राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद	6.19	6.19	-	1.00
सह-योग		6.19	6.19	-	1.00
पूंजीगत (दत्तमत)					
13	8- भवन तथा सड़कें	1,213.08	1,140.50	72.58	187.90
14	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	25.00	19.12	5.88	0.86
15	23-वाच्य तथा आपूर्ति	3,816.25	3,731.05	85.20	371.53
सह-योग		5,054.33	4,890.67	163.66	560.29
पूंजीगत (भारित)					
16	लोक ऋण	5,953.99	4,641.56	1,312.43	1,913.65
सह-योग		5,953.99	4,641.56	1,312.43	1,913.65
कुल योग		23,606.06	21,188.20	2,417.86	3,575.99

**विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की तालिका जहां पूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ` एक करोड़ से अधिक अपर्याप्त सिद्ध हुए
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 45)**

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान एवं विनियोग की संख्या	वास्तविक प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल	व्यय	आधिक्य
पूंजीगत (दत्तमत)							
1.	24	सिंचाई	436.40	78.00	514.40	712.98	198.58
		योग	436.40	78.00	514.40	712.98	198.58

अधिक / अनावश्यक / अपर्याप्त निधियों का पुनर्विनियोजन का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद: 2.3.8; पृष्ठ 45)

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान औ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
1.	4	राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात इत्यादि 101 - निःशुल्क राहत 97 - बीज, खाद्य तथा कृषि क्रियान्वयन की आपूर्ति	(ओ) 16.00 (एस) 378.47 (आर) (-) 213.15 181.32	178.31	(-) 3.01
2.			106 - क्षतिग्रस्त सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनर्स्थापना	(ओ) 5.00 (एस) 71.93 (आर) (-) 42.29 34.64	5.90	(-) 28.74
3.			193 - स्थानीय निकायों / अन्य गैर सरकारी निकायों / संस्थाओं को सहायता	(ओ) 3.50 (एस) 16.50 (आर) (-) 5.00 15.00	5.00	(-) 10.00
4.			05 - राज्य विपदा प्रतिक्रिया फंड 101 - राज्य विपदा प्रतिक्रिया फंड 99 - राज्य अंशदान	(ओ) 151.18	100.30	(-) 50.88
5.			98 - राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड के अंतर्गत निर्माण के लिए सहायता अनुदान	(एस) 5.00 (आर) (-) 1.15 3.85	-	(-) 3.85
6.			01 - सूखा 101 - निःशुल्क राहत 98 - बीज, खाद्य तथा कृषि क्रियान्वयन की आपूर्ति	(ओ) 6.00 (एस) 41.28 47.28	44.65	(-) 2.63
7.			2053 - जिला प्रशासन 094 - अन्य स्थापना 99 - उप जिला स्थापना	(ओ) 11.76 (एस) 3.57 (आर) (-) 1.01 14.32	12.91	(-) 1.41
8.			3454 - जनगणना सर्वेक्षण तथा सारिव्यकी 01 - जनगणना 001 - निर्देश तथा प्रशासन 99 - जनगणना से संबंधित जिला स्टाफ लगाने का प्रावधान	(एस) 14.45 (आर) (-) 3.20 11.25	12.47	(+) 1.22
9.			2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत 02 - बाढ़, चक्रवात इत्यादि 104 - चरों की आपूर्ति	(ओ) 0.50 (आर) (-) 0.47 0.03	223.00	(+) 222.97
10.	6	वित्त	2071 - येंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01 - सिविल 101 - सेवानिवृत्ति एवं अधिवार्षिता भत्ते	(ओ) 1391.80 (एस) 725.25 (आर) 39.65 2156.70	2176.27	(+) 19.57
11.			2049 - ब्याज अदायगी 01 - बाजार ऋणों पर ब्याज 99 - ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 1186.78 (आर) (-) 322.16 864.62	1,007.30	(+) 142.68
12.			200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 92 - राष्ट्रीय पूँजी क्षेत्र योजना आयोग से ऋण पर ब्याज	(ओ) 220.48 (आर) (-) 69.41 151.07	95.75	(-) 55.32
13.			91 - राज्य सरकार के 8.5 प्रतिशत कर रहित विशेष बांड (पावर बांड)	(ओ) 107.43	-	(-) 107.43

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
14.	8	भवन एवं सड़कें	96-नाबाई के राष्ट्रीय ग्रामीण उधार (एलटीओ.) निधि से कर्जे	(ओ) 94.78 (आर) (-) 13.50 81.28	76.36	(-)4.92
15.			123-राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93-लघु बचतों पर ब्याज का संग्रहण	(ओ) 1,145.99 (आर) (-) 32.87 1,113.12	1,078.15	(-)34.97
16.			305 - देनदारियों का प्रबंधन 99 - नए ऋणों को जारी करने पर व्यय, इत्यादि	(ओ) 3.00	1.97	(-)1.03
17.			04 - केन्द्रीय सरकार से कर्जे तथा अग्रिमों पर ब्याज 101- राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ब्याज	(ओ) 49.88 (आर) (-) 13.46 36.42	32.09	(-)4.33
18.			60 - अन्य दायित्वों पर ब्याज 101 - जमा पर ब्याज	(ओ) 4.50 (आर) (-) 1.00 3.50	-	(-)3.50
19.			3054 - सड़कें तथा पुल 04 - जिला और अन्य सड़कें 337 - सड़क कार्य 98 - ग्रामीण सड़कें	(ओ.) 127.44 (एस) 127.67 (आर) (-) 101.30 153.81	155.23	(+) 1.42
20.			80 - सामान्य 797 - रिजर्व फंड और जमा खातों से /में स्थानान्तरण 99 - सी.आर.एफ. अन्तर्वाता बदलीकरण से /में स्थानान्तरण	(ओ) 150.00	50.57	(-) 99.43
21.			01 - राष्ट्रीय राजमार्ग 337 - सड़क कार्य 99 - राष्ट्रीय राजमार्गों का रख - रखाव और मरम्मत	(एस) 15.01 (आर) (-) 0.64 14.36	-	(-) 14.36
22.			03 - राज्य राजमार्ग 337 - सड़क कार्य	(ओ) 60.12 (एस) 11.98 (आर) (-) 15.80 56.30	57.35	(+)1.05
23.			2059 - लोक निर्माण 80 - सामान्य 053 - रख - रखाव और मरम्मत 99 - रख - रखाव और मरम्मत	(ओ) 40.00 (एस) 10.00 (आर) (-) 2.80 47.20	42.50	(-)4.70
24.			3054 - सड़कें और पुल 80 - सामान्य 001 - निर्देश और प्रशासन 99 - मुख्य शीर्ष 2059 - लोक निर्माण से स्थानान्तरित स्थापन व्यय का - स्थानान्तरण	(ओ) 123.52 (आर) (-) 3.52 120.00	139.95	(+)19.95
25.			2216 - आवास 05 - सामान्य पूल रिहायश 001- निर्देश और प्रशासन 99 - निर्देश और प्रशासन	(ओ) 6.76	8.61	(+)1.85
26.			2059 - लोक निर्माण 80 - सामान्य 799 - उचंत	(ओ) 2.50 (आर) 10.36 12.86	8.60	(-)4.26

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनयोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
27.			2216- आवास 05-सामान्य पूल रिहायश 053- रख - रखाव और मरम्मत 99- अन्य रख - रखाव रखें 88- सामान्य रख - रखाव व मरम्मत	(ओ) 11.86 (एस) 4.00 (आर) 1.10 16.96	14.60	(-)2.36
28.			5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04-जिला और अन्य सड़कें 337- सड़क कार्य 99- जिला सड़कें	(ओ) 179.11 (आर) (-) 20.37 158.74	149.60	(-)9.14
29.			4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105-एलोपैथी 99-भवन	(एस) 27.00 (आर) (-) 27.00 शून्य	-1.89	(-) 1.89
30.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 51-निर्माण 99- जिला प्रशासन	(ओ) 18.00 (एस) 35.00 (आर) (-)11.45 41.55	39.64	(-) 1.91
31.			60-अन्य भवन 051- निर्माण 96-जलें	(ओ) 24.18 (एस) 15.00 (आर) (-) 4.07 35.11	36.91	(+) 1.80
32.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य रखें 94-औद्योगिक प्रशिक्षण विकास के लिए मूलभूत संरचना का निर्माण	(ओ) 25.49 (एस) 25.00 (आर) (-) 5.38 45.10	39.48	(-)5.62
33.			4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01-सामान्य शिक्षा 203-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा 99- महाविद्यालय भवन	(ओ) 45.00 (आर) (-) 20.65 24.35	34.85	(+)10.50
34.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन 106- सामान्य पूल रिहायश 97- जलें	(ओ) 2.50 (आर) (-) 0.47 2.03	0.25	(-)1.78
35.			4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 104 - बहुतकनीकी 99- बहुतकनीकी भवन	(ओ) 12.68 (आर) (-) 4.75 7.93	18.52	(+)10.59
36.			5054- सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 03-राज्य राजमार्ग 337-सड़क कार्य 99-चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	(ओ) 352.48 (आर)10.79 363.27	358.75	(-)4.52
37.			4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 800-अन्य व्यय 98- आई.टी.आई. का सर्वोत्तम केन्द्र में उन्नयन (केन्द्रीय योजना)	(ओ) 5.00 (आर) (-) 0.64 4.36	9.10	(+)4.74

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान औ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
38.			4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60-अन्य भवन 051-निर्माण 99- लोक निर्माण	(ओ) 1.50 (एस) 3.50 5.00	8.43	(+)3.43
39.			4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01-सरकारी रिहायशी भवन 106-सामान्य पूल रिहायश 98- जिला प्रशासन	(ओ) 3.50 (एस) 3.00 (आर) (-) 0.75 5.75	7.32	(+)1.57
40.			4202-शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02-तकनीकी शिक्षा 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99-बहुतकनीकियों में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण	(ओ) 5.00 (आर) 9.26 14.26	4.40	(-) 9.86
41.	9	शिक्षा	2202- सामान्य शिक्षा 01- मौलिक शिक्षा 101-सरकारी प्राथमिक विद्यालय 88- कक्षा I से V तक प्राथमिक शिक्षा का स्थापना	(ओ) 1270.55 (आर) (-) 79.98 1190.56	1,105.44	(-)85.12
42.			98- कक्षा VI से VIII तक माध्यमिक शिक्षा 98- स्थापन खर्चे	(ओ) 911.06 (आर) (-) 6.28 904.77	862.16	(-)42.61
43.			02- माध्यमिक शिक्षा 99-अन्य स्थापना सहित शिक्षण स्टाफ 98- स्थापना खर्चे	(ओ) 1451.46 (आर) (-) 42.37 1409.09	1,396.66	(-) 12.43
44.			03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103-सरकारी महाविद्यालय और संस्थान 99- संस्थान	(ओ) 237.27 (आर) (-) 37.62 199.65	200.73	(+) 1.08
45.	12	कला एवं संस्कृति	2202- सामान्य शिक्षा 05-भाषा विकास 99- हरियाणा सहित्य अकादमी को सहायता	(ओ) 2.25 (एस) 0.75 3.00	1.87	(-)1.13
46.			97- पंजाबी विश्वविद्यालय का परिस्थापन	(ओ) 0.75 (एस) 0.25 1.00	2.44	(+) 1.44
47.	13	स्वास्थ्य	2210- चिकित्सा और जन स्वास्थ्य 04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य औषधीय प्रणालियां 101-आयुर्वेद 85-आयुष शाखा / आई.डी.पी. / ओ.पी.डी.पर डी.एच.एस. / एस.डी.एच.एस. / सी.एच.सीज / पी.एच.सीज का परिस्थापन	(ओ) 43.08 (एस) 18.89 (आर) (-) 8.53 53.44	51.96	(-) 1.48
48.			03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं - एलोपैथिक 103- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 91-पी.एच.सीज को जारी रखना	(ओ) 87.98 (एस) 20.46 (आर) 2.68 111.13	99.04	(-) 12.09
49.			2211-परिवार कल्याण 103- प्रसूति और बाल स्वास्थ्य 99-प्रतिरक्षण कार्यक्रम	(ओ) 21.24 (आर) (-) 2.43 18.81	17.78	(-) 1.03

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
50.			2210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य 05 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान 105 - एलोपैथिक 94 - चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा का महाराजा अग्रसेन संस्थान, अग्रोहा	(ओ) 7.00 (आर) 3.71 10.71	15.00	(+) 4.29
51.	14	शहरी विकास	4217 - शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय 60 - अन्य शहरी विकास स्कीमें 96 - पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एण्ड आर) विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(एस) 25.00 25.00	19.20	(-) 5.80
52.			92 - सिंचाई विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(एस) 4.00 4.00	2.12	(-) 1.88
53.			97 - जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रेरक पैकेज	(एस) 110.02 (आर) 60.00 170.02	171.42	(+) 1.40
54.	15	स्थानीय सरकार	2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 800 - अन्य खर्चे 80 - जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन	(ओ) 174.04 (आर) (-) 89.15 84.89	86.40	(+) 1.51
55.			81 - एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम 99 - साधारण योजना	(ओ) 51.00 (आर) (-) 51.00 NIL	21.89	(+) 21.89
56.	18	औद्योगिक प्रशिक्षण	2230 - श्रम तथा रोजगार 03 - प्रशिक्षण 003 - हस्तशिल्पों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 99 - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	(ओ) 55.37 (एस) 11.59 (आर) (-) 1.33 65.63	63.92	(-) 1.71
57.			64 - आईटी.आई. का विकास	(ओ) 27.00 (एस) 0.56 (आर) 8.07 35.63	34.35	(-) 1.28
58.			4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय 800 - अन्य व्यय 97 - मशीनरी और उपकरण का आधुनिकीकरण	(ओ) 20.00 (आर) (-) 3.18 16.82	15.78	(-) 1.04
59.	19	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन - जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 - शिक्षा 99 - अनुसूचित जातियों को मैट्रिक के बाद छात्रवृत्ति	(ओ) 39.78 (एस) 68.27 (आर) (-) 30.33 77.72	86.42	(+) 8.70
60.	20	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 03 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 102 - राष्ट्रीय परिवारिक लाभ स्कीम 99 - परिवारिक लाभ स्कीम	(ओ) 2.25 (आर) 2.30 4.55	3.40	(-) 1.15
61.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - अनुसूचित जातियों के परिवारों को परिवार लाभ स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता	(ओ) 2.25	3.40	(+) 1.15

परिशिष्ट 2.6

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
62.	21	महिला और बाल विकास	2235 -सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02 - सामाजिक कल्याण 102-बाल कल्याण 92 - एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	(ओ) 201.67 (आर) -28.16 173.51	176.06	(+)2.55
63.	23	खाद्य एवं आपूर्ति	4408 -खाद्य, भण्डार और भाण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय 01 - खाद्य सामग्री 101- प्रापण एवं आपूर्ति 99 - अनाज आपूर्ति स्कीम	(ओ) 3381.99 (एस) 371.53 (आर) (-)291.57 3461.95	3457.72	(-)4.23
64.	24	सिंचाई	2700 -बृहद् सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - सिंचाई कार्यान्वयन	(ओ) 234.34 (एस) 16.32 (आर) 12.34 263.00	120.06	(-)142.94
65.			98 - बिजली शुल्क	(ओ) 14.98	22.33	(+)7.35
66.			96 - विशेष राजस्व स्टाफ	(ओ) 44.90 (एस) 2.22 (आर) (-)3.66 43.46	16.25	(-) 27.21
67.			99 - सिंचाई का पर्यवेक्षण	(ओ) 27.98 (एस) 0.28 (आर) (-)4.53 23.72	9.23	(-) 14.49
68.			101 - रख - रखाव एवं मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 28.75 (आर) 0.88 29.63	24.72	(-) 4.91
69.			15 - चैनलों का लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 92.02	-	(-) 92.02
70.			80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 61.35	-	(-)61.35
71.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 99 - मुख्य अभियंता सामान्य स्थापना	(ओ) 27.02 (एस) 0.98 (आर) (-)5.79 22.21	3.52	(-) 18.69
72.			01 - बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निर्देश एवं प्रशासन 97 - सिंचाई का कार्यान्वयन	(ओ) 47.56 (एस) 4.87 (आर) 1.57 54.00	4.89	(-) 49.11
73.			95 - विशेष राजस्व स्टाफ	(ओ) 22.71 (एस) 1.69 (आर) (-)0.10 24.30	1.08	(-) 23.22
74.			98 - सिंचाई का पर्यवेक्षण	(ओ) 3.67 (आर) (-)0.98 2.69	0.44	(-)2.25

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक	अन्तिम आधिक्य (+) /बचत (-)
75.			101 - रख - रखाव एवं मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय 98 - पंजाब का हिस्सा	(ओ) 8.24	-	(-) 8.24
76.			99 - हरियाणा का हिस्सा	(ओ) 6.53	4.80	(-) 1.73
77.			18 - गैर - वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 - निर्देश एवं प्रशासन 97 - सिंचाई का कार्यान्वयन	(ओ) 33.46 (एस) 4.18 (आर) (-) 0.84 36.80	2.34	(-) 34.46
78.			98 - सिंचाई का पर्यवेक्षण	(ओ) 5.71 (एस) 0.85 (आर) (-) 0.36 6.20	0.23	(-) 5.97
79.			99 - मुख्य सिंचाई	(आ) 1.80	0.13	(-) 1.67
80.			101 - रख - रखाव एवं मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 4.50 (एस) 0.70 (आर) 0.28 5.48	4.36	(-) 1.12
81.			12 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 16.73	-	(-) 16.73
82.			14 - दादूपुर नालवी सिंचाई परियोजना 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 14.63	-	(-) 14.63
83.			11 - भारवडा प्रबंधन बोर्ड 800 - अन्य व्यय 98 - शेष पूंजीगत कारों सहित भारवडा डैम के लिए बी.बी.एम.बी. को अग्रिम	(ओ) 20.67	9.00	(-) 11.67
84.			99 - ब्याज	(ओ) 1.31		(-) 1.31
85.			05 - जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 9.06		(-) 9.06
86.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - कार्यकारी	(ओ) 1.51	-	(-) 1.51
87.			07 - सतलुज यमुना लिंक परियोजना (वाणिज्यिक)	(ओ) 1.01	-	(-) 1.01
88.			2701 - मध्यम सिंचाई 07 - नाबाई के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों में सुधार 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 110.92	-	(-) 110.92
89.			14 - जल संसाधन संचित परियोजना (डब्ल्यू.आर.सी.पी.) 800 - अन्य व्यय 99 - ब्याज	(ओ) 36.30	-	(-) 36.30
90.			08 - जुई नहर परियोजना 800 - अन्य व्यय 98 - बिजली शुल्क	(ओ) 12.33	6.73	(-) 5.60

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	आन्तम आधिक्य (+)/बचत (-)
91.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - अधीक्षण अभियंता	(आ) 1.34	0.01	(-) 1.33
92.			2700 - बृहद सिंचाई 01 - बहुदेशीय नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 799 - उचंत 99 - उचंत	(ओ) 0.02	1.52	(+) 1.50
93.			11 - भारवडा प्रबंधन बोर्ड 800 - अन्य व्यय 97 - शेष पूंजीगत कार्यों सहित ब्यास के लिए बी.बी.एम.बी. को अग्रिम	(ओ) 15.33	18.00	(+) 2.67
94.			2701 - मध्यम सिंचाई 10 - सेवानी लिफ्ट सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 98 - बिजली शुल्क	(ओ) 9.67	14.32	(+) 4.65
95.			4700 - बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16 - वर्तमान चैनलों/निकास प्रणाली का पुर्ण:उत्थान 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 15.17 (आर) 26.83 42.00	161.12	(+) 119.12
96.			15 - चैनलों की लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 97 - भारवडा मुख्य लाईन हांसी - बुटाना शाखा बहुदेशीय लिंक चैनल	(ओ) 1.00 (आर) (-) 0.40 0.60	32.95	(+) 32.35
97.			4701 - बृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 - नाबार्ड के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 800 - अन्य व्यय 99 - नहरों का निर्माण	(ओ) 95.00 (आर) (-) 5.00 90.00	172.55	(+) 82.55
98.			06 - जल के समान वितरण के लिए नई मार्इनर 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 70.00	113.32	(+) 43.32
99.			19 - कौशल्या डैम 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 30.00 (आर) (-) 5.00 25.00	38.01	(+) 13.01
100.			052 - मशीनरी और उपकरण	(ओ) 0.13	2.90	(+) 2.77
101.			4711 - बाढ़ नियंत्रण पर पूंजीगत परिव्यय 01 - बाढ़ नियंत्रण 201 - निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना 99 - बाढ़ संरक्षण एवं आपदा तैयारी	(ओ) 20.85 (एस) 37.55 58.40	65.79	(+) 7.39
102.			4700 - बृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13 - नहर प्रणालियों का आधुनिकीकरण और लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 15.00 (S) 25.00 (आर) -27.00 13.00	-	(-) 13.00
103.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जल संसाधनों के पुनरोत्थान में सुधार	(ओ) - 5.00 (एस) 3.00 (आर) (-) 5.00 3.00	-	(-) 3.00

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रबंधन ओ: मूल एस: परक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
104.			16 - वर्तमान चैनलों/निकास प्रणाली का पुनःउत्थान 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या में जल संसाधनों के पुनरोत्थान में सुधार	(ओ) 25.00 (आर) - 1.00 24.00	9.47	(-)14.53
105.			14 - दादूपुर नालवी सिंचाई परियोजना 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 18.00 (आर) - 9.00 9.00	10.04	(+)1.04
106.			4701 - बृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 - नाबाई के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबाई) के अंतर्गत पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार	(ओ) 30.00 (आर) - 2.10 27.90	-	(-)27.90
107.			80 - सामान्य 002 - डाटा संग्रह 99 - डाटा संग्रह	(ओ) 14.87 (आर) - 5.00 9.87	8.64	(-)1.23
108.			06 - जल के समान वितरण के लिए नई माईनर 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के लिए जल के समान वितरण के लिए नई माईनर में सुधार	(ओ) 30.00 (आर) - 0.39 29.61	12.15	(-)17.46
109			21 - राष्ट्रीय पूंजीगत क्षेत्रीय जल आपूर्ति चैनल 800 - अन्य व्यय 98 - नहरों का निर्माण	(ओ) 13.73 (आर) - 9.04 4.69	12.05	(+)7.36
110.			4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय (4) बाढ़ नियंत्रण 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के क्षेत्र में बाढ़ सरक्षण, पुनर्बहाल और आपदा प्रबंधन	(ओ) 7.55 (एस) 2.45 10.00	1.16	(-)8.84
111.			201 - निकास एवं बाढ़ नियंत्रण परियोजना 98 - शहरी आंधी पानी निकास कार्य	(ओ) 7.00 (एस) 10.00 17.00	11.08	(-)5.92
112.			4701 - बृहद एवं मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 98 - भूमि प्रतिपूर्ति का भुगतान	(ओ) 40.00 (एस) 10.80 50.80	47.63	(-)3.17
113.	27	कृषि	2401 - फसल पालन 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 97 - अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए स्कीम	(ओ) 3.60 (आर) - 2.60 1.00	-	(-)1.00

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान औ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+) / बचत (-)
114.			111 - कृषि अर्थशास्त्र और सारियकी 92 - राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम 99 - साधारण योजना	(ओ) 4.50 (आर) - 0.02 4.48	1.34	(-) 3.14
115.			2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा 01 - फसल पालन 277 - शिक्षा 99 - हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान सहायता	(ओ) 108.89	93.40	(-) 15.49
116.			99 - साधारण योजना	(ओ) 68.95 (एस) 25.17 94.12	92.30	(-) 1.82
117.			2402 - मृदा और जल संरक्षण 102 - मृदा संरक्षण 86 - वर्ष के दौरान राज्य में जलआच्छादित भूमि के समतल करने के लिए पायलट परियोजना हेतु स्कीम	(ओ) 4.75 (आर) (-) 0.09 4.66	1.31	(-) 3.35
118.			2401 - फसल पालन 111 - कृषि अर्थशास्त्र और सारियकी 90 - परिवर्तित प्राकृतिक कृषि बीमा योजना	(आर) 3.60	-	(-) 3.60
119.	28	पशुपालन	2403 - पशुपालन 101 - पशु चिकित्सा सुविधाएं तथा पशु स्वास्थ्य 93 - पशु चिकित्सा औषधालय/स्टाक मेन केन्द्रों का अस्पताल - सह - प्रजनन केन्द्रों में परिवर्तन	(ओ) 37.69 (एस) 9.21 (आर) (-) 0.96 45.94	44.76	(-) 1.18
120.			800 - अन्य व्यय 97 - हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार को अनुदान सहायता	(ओ) 8.00	9.32	(+) 1.32
121.	30	बन एवं बन्य जीवन	2406 - वानिकी एवं बन्य जीवन 01 - वानिकी 102 - सामाजिक तथा फार्म वानिकी 76 - सामाजिक तथा फार्म वानिकी स्कीम	(ओ) 24.25 (आर) (-) 0.07 24.18	10.98	(-) 13.20
122.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - परिमंडल/मंडल स्टाफ	(ओ) 37.17 (एस) 5.67 (आर) 2.28 45.12	57.52	(+) 12.40
123.	32	ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98 - अनुसूचित जातियों के लिए संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता के लिए स्कीम	(ओ) 10.00 (आर) (-) 0.04 9.96	1.46	(-) 8.50
124.			99 - अनुसूचित जातियों के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता कार्यक्रम के लिए स्कीम	(ओ) 2.00	1.00	(-) 1.00
125.			94 - केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश पर पंचायती राज संस्थाओं को सहायतानुदान 99 - साधारण योजना	(ओ) 44.64 (एस) 23.57 (आर) (-) 0.01 68.20	58.66	(-) 9.54

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: प्रक आर: पुनविनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
126.			102 - सामुदायिक विकास 89 - सीमेंट कंक्रीट गलियों की पेवमेंट हेतु स्कीम	(ओ) 8.50 (एस) 77.00 85.50	53.88	(-) 31.62
127.			86 - रोजगार उत्पादन हेतु स्कीम	(ओ) 3.23 (आर) 1.38 4.61	0.90	(-) 3.71
128.			93 - संपूर्ण स्वच्छता कैम्पेन के अंतर्गत ग्रामीण स्वच्छता 99 - साधारण योजना	(ओ) 2.00	-	(-) 2.00
129.			96 - ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कार्यक्रम 99 - साधारण योजना	(ओ) 4.00	2.00	(-) 2.00
130.			3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थान के लिए मुआवजा और सुपुर्दगी 200 - अन्य विविध मुआवजा और सुपुर्दगी 92 - पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय क्षेत्र विकास कर (एल.ए.डी.टी.) ग्राम्पि की सुपुर्दगी	(ओ) 10.60	-	(-) 10.60
131.			93 - शहरी स्थानीय निकायों को क्षेत्रीय विकास कर की राशि की सुपुर्दगी	(ओ) 10.60	-	(-) 10.60
132.			2505 - ग्रामीण रोजगार 02 - ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 101 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम 99 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट 99 - साधारण योजना	(ओ) 12.87 (आर) (-) 0.53 12.34	10.63	(-) 1.71
133.			2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 90 - सीमेंट कंक्रीट गलियों की पेवमेंट हेतु स्कीम	(ओ) 11.50 (आर) (-) 3.52 7.98	128.32	(+) 120.34
134.			95 - अनुसूचित जातियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं हेतु स्कीम (टी.एफ.सी.)	(ओ) 32.96	42.50	(+) 9.54
135.			96 - अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार उत्पादन कार्यक्रम हेतु स्कीम	(ओ) 43.00	47.61	(+) 4.61
136.			101 - पंचायती राज 82 - पंचायती राज संस्थाओं के लिए वैट पर सरचार्ज	(एस) 23.02 23.02	62.00	(+) 38.98
137.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 98 - सामुदायिक विकास 96 - जिला और खंड स्टाफ	(ओ) 62.64 (एस) 0.50 (आर) (-) 1.23 61.91	70.97	(+) 9.06
138.			94 - पंचायती राज लोक निर्माण	(ओ) 21.35 (एस) 0.72 (आर) (-) 0.06 22.01	26.21	(+) 4.20
139.			3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के लिए मुआवजा और सुपुर्दगी 200 - अन्य विविध मुआवजा और सुपुर्दगी 94 - पंचायत समितियों को भारत में बनी विदेशी शराब के विक्रय पर कर के बदले उत्पाद शुल्क का सुपुर्दगी	(ओ) 8.15 (आर) 3.51 11.66	10.04	(-) 1.62

परिशिष्ट 2.6

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: परक आर: पुनर्विनयोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य(+)/ बचत (-)
140.	36	गृह	2055 - पुलिस 104 - विशेष पुलिस 99 - हरियाणा सशस्त्र पुलिस	(ओ) 111.12 (एस) 0.08 (आर) (-) 27.68 83.52	85.09	(+) 1.57
141.			111 - रेलवे पुलिस 99 - रेलवे और कमांडो फोर्स	(ओ) 60.02 (एस) 0.14 (आर) (-) 10.64 49.52	50.52	(+) 1.00
142.	38	जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता 01 - जलापूर्ति 101 - शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम 99 - शहरी जलापूर्ति और सीवरेज अनुरक्षण 99 - विद्युत शुल्क	(ओ) 101.65 (एस) 70.55 (आर) (-) 8.58 163.62	121.42	(-) 42.20
143.			001 - निर्देश एवं प्रशासन 97 - कार्यकारी अभियंता और उनकी स्थापना	(ओ) 55.92 (एस) 24.31 (आर) (-) 9.79 70.44	60.57	(-) 9.87
144.			96 - कार्यकारी अभियंता और उनकी स्थापना नियमित/स्थाई मैकेनिकल स्टाफ	(ओ) 252.00 (एस) 94.13 (आर) (-) 16.38 329.75	333.04	(+) 3.29
145.			99 - मुख्यालय स्टाफ - मुख्य अभियंता और उनकी स्थापना 98 - स्थापन व्यय	(ओ) 8.08 (एस) 1.52 (आर) (-) 0.93 8.67	6.83	(-) 1.84
146.			98 - अधीक्षण अभियंता और उनकी स्थापना	(ओ) 7.80 (एस) 1.94 (आर) (-) 1.19 8.55	7.16	(-) 1.39
147.			92 - यमुना कार्य योजना के लिए स्टाफ	(ओ) 7.65 (आर) (-) 0.28 7.37	5.61	(-) 1.76
148.			4215 - जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय 01 - जलापूर्ति 102 - ग्रामीण जलापूर्ति 93 - ग्रामीण जलापूर्ति	(ओ) 130.00 (एस) 25.00 (आर) (-) 57.28 97.72	128.24	(+) 30.52
149.			2801 - विद्युत 05 - प्रसारण और वितरण 800 - अन्य व्यय 99 - ग्रामीण विद्युतीकरण हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के लिए सहायता	(ओ) 2964.20 (एस) 236.45 (आर) (-) 247.77 2952.88	2,939.84	(-) 13.04
150.	40	ऊर्जा और विद्युत	4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय 05 - प्रसारण और वितरण 190 - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपकरणों में निवेश 98 - साम्य पूँजी हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	(ओ) 439.59 (आर) (-) 336.20 103.39	183.16	(+) 79.77

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेरवा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: परक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
151.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 98 - दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत बिजली की गुणवत्ता में सुधार और अनुसूचित जातियों को बिजली की अबाधित आपूर्ति	(ओ) 86.00 (आर) (-) 8.36 77.64	37.75	(-) 39.89
152.			97 - हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत राज्य में बिजली की गुणवत्ता में सुधार और अनुसूचित जाति जनसंख्या को अबाधित बिजली की आपूर्ति	(ओ) 100.00	59.48	(-) 40.52
153.			99 - उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत राज्य में बिजली की गुणवत्ता में सुधार और अनुसूचित जाति जनसंख्या को अबाधित बिजली की आपूर्ति	(ओ) 86.00	46.71	(-) 39.29
154.			190 - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपकरणों में निवेश 99 - साम्य पूँजी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	(ओ) 318.46 (आर) (-) 43.59 274.87	315.39	(+) 40.52
155.	42	न्याय प्रशासन	2014 - न्याय प्रशासन 102 - उच्च न्यायालय 98 - स्थापना 98 - स्थापना खर्चे	(ओ) 25.20 (एस) 4.45 (आर) 0.33 29.98	33.65	(+) 3.67
156.		लोक ऋण	6003 - राज्य सरकार के अंतरिक ऋण 110 - भारत के रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 2000.00 (आर) (-) 1693.95 306.05	670.48	(+) 364.43
157.			6004 - केन्द्रीय सरकार से ऋण और अग्रिम 02 - राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश योजना स्कीमों के लिए ऋण 101 - खंड ऋण	(ओ) 10.83 (एस) 9.32 (आर) 0.12 20.28	19.12	(-) 1.16
158.			6003 - राज्य सरकार के अंतरिक ऋण 109 - अन्य संस्थाओं से ऋण 96 - एन.सी.आर.पी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 135.94 (एस) 4.33 (आर) 6.16 146.43	150.65	(+) 4.22
159.	45	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम	6217 - शहरी विकास के लिए ऋण 60 - अन्य शहरी विकास स्कीमें 800 - अन्य ऋण 97 - सामाजिक और भौतिक मूलभूत संरचना को मजबूत करने के लिए मूलभूत संरचना विकास फंड को ऋण	(ओ) 638.79 (आर) (-) 433.81 204.98	246.81	(+) 41.83
160.			6515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों हेतु ऋण 800 - अन्य ऋण 99 - गांव के नालाब और पानी के स्रोत सुधार तथा रिमाइलिंग के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड (एच.आर.डी.एफ.) को ऋण	(ओ) 45.00	-	(-) 45.00
161.			789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - गांव के नालाब और पानी के स्रोत सुधार तथा रिमाइलिंग के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास फंड (एच.आर.डी.एफ.) को ऋण	(ओ) 30.00	-	(-) 30.00
योग					21,423.58	(-) 1,830.96 (+) 1,583.70

परिशिष्ट 2.6

सार	मामलों की संख्या	राशि (' करोड़ में)
विनियोजन से अधिक व्यय	54	1,583.70
विनियोजन में से बचत	107	1,830.96
योग	161	3,457.86

` 10 करोड़ से अधिक के मामले	मामलों की संख्या	राशि (' करोड़ में)
क्र.सं. 10, 24, 33, 35, 55, 105 और 130	7	107.91
` 10 करोड़ से अधिक की बचत के मामले		
क्र.सं. 21, 43, 48, 66, 70, 72, 80, 81, 82, 110, 112, 116, 123, 129, 138, 139 और 157	17	246.23
योग	24	354.13

` 25 करोड़ से अधिक के मामले	मामलों की संख्या	राशि (' करोड़ में)
क्र.सं. 9,11, 99, 100, 103, 104, 108, 141, 144, 156, 158, 162, 164 और 167	13	1,359.58
` 25 करोड़ से अधिक की बचत के मामले		
क्र.सं. 2, 4, 12, 13, 15, 20, 41, 42, 64, 65, 68, 69, 71, 76, 87, 88, 114, 134, 150,159, 160, 161, 168 और 169	24	1355.23
योग	37	2,714.81

वास्तविक बचतों (` 50 लाख अथवा अधिक) के आधिक्य में
अभ्यर्पित निधियों को दर्शाने वाले विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 45)

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संरब्धा	कुल अनुदान/विनियोग	बचत(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)					
1	04 - राजस्व	1,218.65	(-)273.17	394.50	121.33
2	15 - स्थानीय सरकार	945.59	(-)654.40	677.38	22.98
3	19 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	259.98	(-)60.25	67.86	7.61
4	21 - महिला एवं बाल कल्याण	469.96	(-)106.86	109.41	2.55
5	28 - पशुपालन और डेयरी विकास	325.30	(-)20.75	21.64	0.89
6	32 - ग्रामीण और सामुदायिक विकास	1,079.94	(-)69.49	169.82	100.33
7	33 - सहकारिता	172.56	(-)5.87	7.34	1.47
8	36 - गृह	1,638.04	(-)51.76	54.36	2.60
पूंजीगत (दत्तमत)					
9	38 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	1,001.70	(-)303.54	334.06	30.52
पूंजीगत (भारित)					
10	लोक ऋण	7,867.65	(-)3,226.09	3,593.95	367.86
	योग	14,979.37	(-)4,772.18	5,430.32	658.14

अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग का नाम एवं संरब्धा	कुल अनुदान/विनियोग	बचत(-)/आधिक्य(+)	अभ्यर्पित राशि	अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण
राजस्व (दत्तमत)					
2	06 - वित्त	3,119.00	(+)20.22	0.03	20.25
पूंजीगत (दत्तमत)					
10	24 - सिंचाई	514.40	(+)198.58	72.05	270.63
	योग	3,633.40	218.80	72.08	290.88

अनभ्यर्पित ` एक करोड़ एवं अधिक की बचतों का विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 45)

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदानों / विनियोजनों की संख्या एवं नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	बचतें जो अभ्यर्पित की जानी शेष रही
राजस्व (दत्तमत)				
1	7 - योजना और सारिव्यकी	84.27	82.73	1.54
2	8 - भवन एवं सड़कें	369.31	249.50	119.81
3	9 - शिक्षा	610.53	469.71	140.82
4	11 - खेल एवं युवा कल्याण	8.63	7.23	1.40
5	13 - स्वास्थ्य	249.66	237.51	12.15
6	18 - औद्योगिक प्रशिक्षण	6.93	3.76	3.17
7	24 - सिंचाई	311.48	5.33	306.15
8	27 - कृषि	54.74	17.69	37.05
9	38 - जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	73.88	25.84	48.04
10	40 - ऊर्जा और विद्युत	261.28	248.29	12.99
11	42 - प्रशासन	25.95	23.56	2.39
12	43 - जेल	2.17	1.53	0.64
राजस्व (भारित)				
13	6 - वित्त	594.25	505.71	88.54
पूंजीगत (दत्तमत)				
14	8 - भवन एवं सड़कें	260.48	245.15	15.33
15	14 - शहरी विकास	21.28	15.00	6.28
16	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	456.74	452.23	4.51
17	24 - सिंचाई	198.58	72.05	126.53
18	34 - परिवहन	1.58	0.49	1.09
19	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	880.53	847.36	33.17
पूंजीगत (भारित)				
20	24-सिंचाई	3.17	0.00	3.17
		योग	4,475.44	3,510.67
				964.77

30 एवं 31 मार्च 2011 को ` 10 करोड़ के
आधिक्य में निधियों के अभ्यर्पण का विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 45)

(` करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	प्रावधान सहित अभ्यर्पित की प्रतिशतता
राजस्व (दत्तमत)				
1	2 - राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद	59.19	15.58	26
2	4 - राजस्व	1,218.65	394.50	32
3	7 - योजना एवं सारिव्यांकी	254.23	82.72	33
4	8 - भवन एवं सड़कें	1,033.80	249.50	24
5	9 - शिक्षा	6,173.08	469.71	8
6	10 - तकनीकी शिक्षा	261.48	66.07	25
7	13 - स्वास्थ्य	1,317.88	237.51	18
8	14 - शहरी विकास	100.84	69.95	69
9	15 - स्थानीय सरकार	945.59	677.38	72
10	19 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	259.98	67.86	26
11	20 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	1,578.96	34.33	2
12	21 - सहिला और बाल विकास	469.96	109.41	23
13	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	243.41	153.58	63
14	27 - कृषि	709.27	17.69	2
15	28 - पशुपालन एवं डेयरी विकास	325.30	21.64	7
16	32 - ग्रामीण और सामुदायिक विकास	1,079.94	169.82	16
17	34 - परिवहन	1,169.94	80.57	7
18	36 - गृह	1,638.04	54.36	3
19	38 - जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	944.56	25.84	3
20	40 - ऊर्जा और विद्युत	3,225.53	248.29	8
21	42 - न्याय प्रशासन	240.20	23.56	10
राजस्व (भारित)				
22	6 - वित्त	4,018.69	505.71	13
पूंजीगत (दत्तमत)				
23	8 - भवन एवं सड़कें	1,400.98	245.15	17
24	14 - शहरी विकास	353.02	15.00	4
25	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	4,187.78	452.23	11
26	24 - सिंचाई	514.40	72.05	14
27	36 - गृह	130.50	39.60	30
28	38 - जन स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,001.70	334.06	33
29	40 - ऊर्जा और विद्युत	1,054.77	400.81	38
30	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,602.40	847.36	53
पूंजीगत (भारित)				
31	लोक ऋण	7,867.65	3,593.95	46
	योग	45,381.72	9,775.79	

परिशिष्ट

2.10

वर्ष की अन्तिम तिमाही /माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाला विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 46)

(करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेरवा शीर्ष योजना /स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	04 - राजस्व	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत (1)	280.05	186.01	66	157.97	56
2		2506 - भूमि सुधार	38.64	33.54	87	10.06	26
3		2705 - कमाण्ड क्षेत्र विकास	27.00	18.45	68	12.15	45
4		3454 - जनगणन सर्वेक्षण और सारियकी	13.24	11.77	89	11.09	84
5	06 - वित्त	2048 - ऋणों को बचाने अथवा कमी के लिए विनियोजन	105.68	105.68	100	105.68	100
6		2049 - ब्याज भुगतान	3,318.56	1,644.81	50	1,068.99	32
7	07 - योजना एवं सारियकी	3451 - सचिवालय अर्थिक सेवाएं	159.85	100.43	63	86.37	54
8	08 - भवन एवं सड़कें	2216 - आवास	23.37	13.75	59	12.13	52
9	10 - तकनीकी शिक्षा	2203 - तकनीकी शिक्षा	195.26	106.45	55	70.98	36
10	11 - खेल एवं युवा कल्याण	2204 - खेल एवं युवा सेवाएं	96.37	51.38	53	42.08	44
11	14 - शहरी विकास	4217 - शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	331.74	331.74	100	291.74	88
12	15 - स्थानीय सरकार	2217 - शहरी विकास	291.02	246.46	85	170.77	59
13	18 - औद्योगिक प्रशिक्षण	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	19.12	15.99	84	13.83	72
14	19 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225 - अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	199.72	113.64	57	92.43	46
15	24 - सिंचाई	2701 - मध्यम सिंचाई	24.79	14.10	57	9.29	37
16		2705 - कमाण्ड क्षेत्र विकास	107.13	60.91	57	37.11	35
17		4700 - बृहद् सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	222.20	135.47	61	125.38	56
18		4701 - मध्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	417.10	299.39	72	243.57	58
19		4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूँजीगत परिव्यय	121.32	97.37	80	91.30	75
20	25 - उद्योग	2851 - ग्रामीण और लघु उद्योग	39.54	28.85	73	22.40	57
21	27 - कृषि	2401 - फसल पालन	426.41	260.56	61	207.62	49
22	29 - मत्त्य पालन	2405 - मत्त्य पालन	24.62	12.52	51	8.61	35
23	32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2501 - ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	24.86	12.90	52	3.40	14
24	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	836.76	588.45	70	499.08	60	
25	3604 - स्थानीय निकायों और पंचायती राज को मुआवजा और सुरुदंगी	81.24	53.40	66	52.57	65	
26	33 - सहकारिता	2425 - सहकारिता	166.69	113.16	68	103.83	62
27	34 - परिवहन	5055 - सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	103.48	87.13	84	84.63	82
28	35 - पर्यटन	5452 - पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय	18.21	11.88	65	11.88	65
29	45 - ऋण और अधिग्र	6801 - बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण	223.56	223.56	100	65.19	29
30		6217 - शहरी विकास हेतु ऋण	246.82	134.26	54	45.04	18
31		6851 - ग्रामीण और लघु उद्योग हेतु ऋण	12.31	12.31	100	12.31	100
	योग		8,196.66	5,126.32	63	3,769.48	46

**परिशिष्ट
2.11**

**पूर्वानुमानित व्यय को वहन करने के लिए आकस्मिक
निधि से आहरित अग्रिमों को दर्शाने वाले मामलों के विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 46)**

क्र. सं.	संस्थीकृत क्रम	मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	जिस उद्देश्य के लिए निकाले गए	संस्थीकृत राशि (`)	किया गया व्यय (`)
1.	5/145/10-5ए दिनांक 11.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,66,238	2,66,238
2.	5/158/10-5ए दिनांक 15.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,99,790	2,99,790
3.	5/160/10-5ए दिनांक 15.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,74,590	1,74,590
4.	5/176/10-5ए दिनांक 17.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,62,167	1,62,167
5.	5/162/10-5ए दिनांक 17.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	91,360	91,360
6.	5/143/10-5ए दिनांक 11.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,47,592	1,47,592
7.	5/151/10-5ए दिनांक 10.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,52,525	1,52,525
8.	5/116/10-5ए	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,27,157	2,27,157
9.	5/98/10-5ए दिनांक 27.1.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,33,606	2,33,606
10.	5/98/10-5ए दिनांक 27.1.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,19,603	2,19,603
11.	5/142/10-5ए दिनांक 2.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	31,273	31,273
12.	5/143/10-5ए दिनांक 15.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,11,954	1,11,954
13.	5/87/10-5ए दिनांक 10.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	61,217	61,217
14.	पी.आर.सी./2011/59 दिनांक 7.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,67,843	2,67,843
15.	पी.आर.सी./2011/ स्पैशल	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	2,67,843	2,67,843
16.	5/156/10-5ए दिनांक 14.2.11	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	91,883	91,883
17.	5/1/11-5ए	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	96,580	96,580
18.	5/151/10-5ए	2052	सचिवालय सामान्य सेवाएं	चिकित्सा दावे	1,52,525	1,52,525
19.	652053 दिनांक 30.11.10	2014	न्याय प्रशासन	विविध शुल्क	1,35,996	1,35,996
20.	2/11/2009-2 एफ.जी.-1 दिनांक 9.12.2010	2014	न्याय प्रशासन	स्टाफ का वेतन	3,00,00,000	2,88,26,993
21.	2/31/2007-1एफ.जी.-1 दिनांक 25.6.10	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	स्टाफ का वेतन	10,00,000	7,46,552
22.	6/12/2003-5 एफ.जी.-1/202/(11) दिनांक 25.1.11	2013	मंत्रीपरिषद्	कार की खरीद के लिए	1,00,00,000	87,54,088
23.	1/121/96/3 एफ.जी.एफ.-II/2877 दिनांक 31.12.10	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं		40,00,000	40,00,000
24.	1/30/2010-2 एफ.जी.- II दिनांक 17.6.10	3454	जनगणना सर्वे		3,44,63,184	1,28,87,726
योग					8,26,54,926	5,84,07,101

(अर्थात् ` 5.84 करोड़)

दोषपूर्ण बजटिंग दर्शाने वाले मामलों का विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 2.5; पृष्ठ 46)

(करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल	पूरक	पुनर्विनियोजन	योग	वास्तविक व्यय	बचत(-)/आधिक्य (+)
1	2216 - आवास 05 - सामान्य पूल रिहायश 053 - अनुरक्षण एवं मरम्मत 99 - अन्य अनुरक्षण व्यय 88 - सामान्य अनुरक्षण एवं मरम्मत	11.86	4.00	1.10	16.96	14.60	(-)2.36
2	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 02 - तकनीकी शिक्षा 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - बहुतकनीकी में अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए होस्टलों का निर्माण	5.00	-	9.26	14.26	4.40	(-)9.86
3	2217 - शहरी विकास 80 - सामान्य 800 - अन्य व्यय 81 - संपूर्ण आवास और स्लम विकास कार्यक्रम 99 - साधारण योजना	51.00	शून्य	(-) 51.00	शून्य	21.90	21.90
4	4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 - प्रसारण और वितरण 190 - सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश 99 - सम्य पूंजी एच.वी.पी.एन.एल.	318.46	-	(-) 43.59	274.87	315.39	(+) 40.52
योग		386.32	4.00	(-) 84.23	306.09	356.29	50.20

**2010-11 के दौरान अनुमानित प्राप्तियां और व्यय तथा
उनके विरुद्ध वास्तविक आंकड़े दर्शाने वाले विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1; पृष्ठ 48)**

(करोड़ में)

प्राप्तियां			व्यय				
		बजट अनुमान	वास्तविक			बजट अनुमान	वास्तविक
क्र.	राजस्व लेरवा			क्र.	राजस्व लेरवा		
I	कर राजस्व	18,663.00	19,092.12	I	वित्तीय सेवायें	242.72	249.82
(1)	बिक्री कर*	11,500.00	11,082.01	(1)	कर संग्रहण प्रभार	241.28	248.71
(2)	राज्य उत्पाद शुल्क	2,100.00	2,365.81	(2)	अन्य वित्तीय सेवायें	1.44	1.11
(3)	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	1,900.00	2,319.28	II	सामान्य सेवायें	8,672.95	9,078.32
(4)	यात्री और माल कर	425.00	387.14	(1)	प्रशासनिक सेवाएं	2,075.13	2,191.18
(5)	अन्य कर राजस्व	544.29	636.13	(2)	ऋण सेवाएं	4,018.49	3,424.24
(6)	केन्द्रीय करों में से हिस्सा	2,193.71	2,301.75	(3)	अन्य सामान्य सेवायें	2,579.33	3,462.92
II	कर - भिन्न राजस्व	5,877.83	6,471.55	III	सामाजिक सेवायें	11,349.20	10,904.08
(1)	ऋण सेवाएं	864.70	691.81	(1)	शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति	6,132.88	5896.80
(2)	सामान्य सेवाएं	268.24	216.34	(2)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,117.29	1068.39
(3)	सामाजिक सेवाएं	1,017.14	1,363.56	(3)	श्रम एवं रोजगार	214.16	214.52
(4)	आर्थिक सेवाएं	1,394.68	1,149.22	(4)	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,149.29	2,257.00
(5)	भारत सरकार से अनुदान सहायता	2,329.31	3,050.62	(5)	अन्य सामाजिक सेवायें	1,735.64	1,467.39
(6)	अन्य कर - भिन्न प्राप्तियां	3.76	--	IV	आर्थिक सेवायें	8,141.50	7,996.73
ख.	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	15.96	8.00	(1)	ग्रामीण विकास	877.18	967.86
ग.	लोक ऋण	11,254.77	9,842.73	(2)	कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,098.13	1,360.74
(1)	बाजार उधार	4,218.73	4,450.00	(3)	उद्योग एवं खनिज	102.00	89.40
(2)	लघु बचत ऋण	700.00	1,312.42	(4)	सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	1,140.10	900.74
(3)	राज्य योजना ऋण	617.20	3,224.50	(5)	परिवहन	1,050.98	1,505.98
(4)	अन्य ऋण	5,718.84	855.81	(6)	अन्य आर्थिक सेवाएं	3,873.11	3,172.01
घ.	ऋण (वसूलियां)	228.41	233.05	V	सहायतानुदान तथा अंशदान	76.27	81.24
				ख.	पूंजीगत व्यय	3,515.81	4,031.10
				ग.	ऋण का पुनर्भुगतान	5,953.99	3,971.08
				घ.	ऋण (अधिम)	1,602.39	721.87
कुल योग (क+ख+ग+घ)		36,039.97	35,647.45		कुल योग (क+ख+ग+घ)	39,554.83	37,034.24

* बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर।

उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए व्यय ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में अनुमोदित किए गए थे किन्तु मार्च 2011 तक कोई बजट प्रदान नहीं किया गया था (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (i); पृष्ठ 50)

(लाख में)

क्र. सं.	मुख्य विकास शीर्ष	अनुमोदित लागत
कृषि		
1	हरियाणा में कृषीय मानव संसाधन विकास हेतु प्लान स्कीम	90.00
2	अनुसूचित जातियों में संकर कपास बीज उत्पादन तथा उपज का प्रचार	300.00
3	अनुसूचित जातियों को ट्रैक्टर और ट्रालियों प्रदान करना	110.00
4	जापानी बैंक का भूमि सुधार और जल प्रबंध	11,500.00
5	हरियाणा में भूमि समतल करने और भूमि को आकार देने पर अनुसूचित जाति के किसानों के लिए परिदान	100.00
पशुपालन तथा डेरी-उद्योग		
6	अनुसूचित जाति उप-प्लान (एस.सी.एस.पी.) के लिए अंबाला तथा हिसार में सुअर फार्म का सुदृढ़ीकरण	50.00
7	राज्य डेरी प्रयोगशाला, रोहतक द्वारा पशुचारा सांद्र खनिज भिश्रण और उपकरण परीक्षण में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए स्कीम	5.00
8	अनुवंशिक सुधार हेतु गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण	50.00
9	गुणक उत्पाद को सुनिश्चित करने के लिए जैविक सुरक्षा संस्थान का सुदृढ़ीकरण	250.00
मत्स्य पालन		
10	एकवाकल्चर का विकास तथा पोस्ट - हार्डेस्ट मूलभूत संरचना - बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)	7,319.00
11	मत्स्य पालन के कल्याण हेतु राष्ट्रीय स्कीम - केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम (सी.एस.एस.)	10.00
सहकारिता		
12	ग्रामीण गोदामों पर अनुसूचित जातियों (एस.सी.) के व्यक्तियों के लिए हित परिदान	200.00
13	कृषि वित्त संस्थानों में निवेश हरियाणा राज्य पशुधन विकास बोर्ड (एच.एस.एल.डी.बी.)	500.00
एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)		
14	सूक्ष्म ऊर्जा प्लान के संस्थापन की ओर वित्तीय प्रोत्साहन	380.00
15	ग्रामीण ऊर्जा प्रशिक्षणों पर प्रदर्शन	100.00
सामुदायिक विकास		
16	सीवरेज निपटान इकाईयां प्रदान करना	10.00
17	व्यक्तिगत निवास शैचालय सहित गरीबी रेवा से नीचे (बी.पी.एल.) / एस.सी.परिवारों की कुल आवृत्ति	10.00
शिवालिक विकास बोर्ड		
18	झाणियों का विद्युतीकरण	1,770.00
सिंचाई		
19	ओटटू लेक का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	6,266.00
20	लघु सिंचाई स्कीमें, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नावार्ड)	17,089.00
21	पंपों तथा नये पंपों की क्षमता सुधार	4,557.00
22	घग्गर नदी 12 के.एम. अपस्ट्रीम पंचकूला पर देवां वाला डैम का निर्माण	7,975.00
23	घग्गर नदी 25 के.एम. अपस्ट्रीम पंचकूला पर डंगराणा डैम का निर्माण	7,975.00
24	बीबीपुर लेक का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	874.00
25	कोटला लेक का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	2,278.00
26	मसानी रिजवायर का पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण	1,139.00
27	घरौंडा सिंचाई स्कीम	2,278.00
28	लाडवा सिंचाई स्कीम	2,278.00
बाढ़ नियंत्रण तथा ड्रेनेज		
29	यमुनानगर, करनाल, सोनीपत तथा फरीदाबाद में बाढ़ सुरक्षा निर्माण कार्य	17,500.00

(लाख में)

क्र.सं.	मुख्य विकास शीर्ष	अनुमोदित लागत
कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण		
30	मानोटरिंग कक्ष (75:25)	750.00
31	प्रणाली का सुधार	200.00
विद्युत		
32	पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई (हाइडल) 6x8 एम.डब्ल्यू	530.00
33	पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट 4	3,000.00
34	पानीपत थर्मल पावर स्टेज IV	1,000.00
35	फरीदाबाद थर्मल	2,500.00
36	पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट 5	4,000.00
37	विविध (एफ.टी.पी.एस. का आईटी./आर. एण्ड एम.)	1,825.00
38	सूचना प्रौद्योगिकी	600.00
39	स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एस.एल.डी.सी.)	3,704.00
बड़े और मध्यम उद्योग		
40	बाइलर्ज आर्गेनाइजेशन का सुदृढ़ीकरण	10.00
ग्रामीण तथा स्माल स्केल उद्योग		
41	रत्न एवं आभूषण विकास पार्क, गुडगांव को वित्तीय सहायता	400.00
42	औद्योगिक क्षेत्र का उन्नयन	5.00
43	कुंडली पलबल एक्सप्रेसवे	1.00
44	दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना (सी.एस.एस. 50:50)	5.00
45	आई.एफ.सी. कक्ष का सृजन	35.00
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)		
46	एच.एस.आर.डी.सी. द्वारा डिजाइन सैल की स्थापना	100.00
47	हरियाणा राज्य सड़क सुधार परियोजना - बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.)	1,00,000.00
सड़क परिवहन		
48	सड़क सुरक्षा कार्यक्रम	500.00
पर्यटन		
49	राज्य से बाहर पर्यटन स्कीम	10.00
प्राथमिक शिक्षा		
50	स्कूलों का उन्नयन तथा मिडिल स्कूलों के स्टाफ की निरंतरता तथा अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति	25.00
माध्यमिक शिक्षा		
51	पाठन वातावरण का सुधार	1,972.12
उच्चतर शिक्षा		
52	छात्रों / शिक्षकों को साफ्ट स्किलज की प्रदानगी	50.00
53	एन.जी.ओ.ज /रिसर्च स्कालरों को प्रयोजनाओं की प्रदानगी के माध्यम से संचालित किये जाने वाले अनुसंधान एवं विकास अध्ययन	25.00
54	सरकारी कालेजों में 250 सामान्य छात्रों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण	250.00
कला एवं संस्कृति		
55	22 नई उप मंडल लाइब्रेरियां खोलना	25.00
56	सी.डी. ब्लाकों में 72 लाइब्रेरियां खोलना	25.00
तकनीकी शिक्षा		
57	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्टाईफंड	700.00
58	राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड का सुदृढ़ीकरण	600.00
59	अनुसूचित जातियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिता तथा प्लेसमेंट हेतु विशेष कोचिंग	380.00
60	आंतरिक राजस्व उत्पादन	264.00

(` लाख में)

क्र. सं.	मुख्य विकास शीर्ष	अनुमोदित लागत
स्वास्थ्य		
61	जिला अंबाला, सिरसा, कुरुक्षेत्र तथा भिवानी में कोबाल्ट यूनिट स्थापित करना	100.00
62	नगरपालिका में कंप्यूटरों के पदों का सृजन	5.00
63	प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को लगाना	2.00
64	निदेशालय में खाद्य बितावट कक्ष का सुदृढ़ीकरण तथा ध्वनीय कार्यालयों के लिए सरकारी खाद्य निरीक्षकों के नये पदों का सृजन	500.00
65	ड्रग नियंत्रण प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा राज्य ड्रग प्रयोगशाला का उन्नयन	750.00
66	नागरिक पंजीकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	190.00
67	चार जिलों में दंत भोवाइल क्लीनिकों के स्थापन के माध्यम से मौखिक स्वास्थ्य सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण	2,000.00
68	क्षमता निर्माण हेतु सहायक नर्स मिड वाईफ /सामान्य नर्स मिड वाईफ, नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल खोलना /का सुदृढ़ीकरण	700.00
69	शिशु लिंगानुपात में अच्छा कार्य करने वाले पहले तीन जिलों को पुरस्कार	50.00
70	शरीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला की स्थापना	50.00
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी		
71	यमुना कार्य योजना (वाई.ए.पी.) - III	50.00
72	जलापूर्ति सीवरेज सुविधाओं का विस्तार - बाह्य सहायताप्राप्त परियोजना (ई.ए.पी.) नगर एवं ग्राम आयोजना (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	50,000.00
73	रेवाड़ी के नजदीक प्रस्तावित रेलवे फ्रेट कोरिडोर पर लोजिस्टिक पार्क का सृजन	100.00
औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा		
74	आई.टी.आईज तथा महिला स्कंध की गैस्ट क्लासिज का पूर्ण आई.टी.आईज में उन्नयन	100.00
75	जिला व्यावसायिक स्कंध	30.00
76	शिवालिक विकास बोर्ड के अंतर्गत आई.टी.आईज का विस्तार	450.00
77	बेसिक ट्रेनिंग सेंटर (प्रशिक्षुता प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में पुनःनामित) की स्थापना	7.00
78	उन्नत व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र प्रणाली	8.00
हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान		
79	होस्टल का निर्माण तथा लिफ्ट का संस्थापन	10.00
80	अनुसंधान परियोजनाएं प्रशिक्षक का विकास लेखा	2.00
81	प्रशिक्षक का विकास लेखा	2.00
अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण		
82	अनुसूचित जातियों के लिए कृषीय भूमि की खरीद	0.10
83	पूर्व - परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	165.00
84	एस.सी. /बी.सी. चौपाल /अबिंदकर भवन की मरम्मत के लिए परिदान	0.10
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
85	पाठ्य पुस्तक बिक्री डिपो, करनाल के भवन की मरम्मत	4.65
अन्य सामान्य सेवायें		
86	जेल प्रशासन	6.00
योग		2,71,735.97

अर्थात् ` 2,717.36 करोड़

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007 – 12) में अनुमोदित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ई.ए.पी.), जिनके लिए कोई बजट प्रदान नहीं किये गये थे, के विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (i); पृष्ठ 50)

(` लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत	ग्यारहवीं योजना में अनुमोदित लागत		
				राज्य का हिस्सा	केन्द्रीय सहायता	कुल
1	कृषि	जापानी बैंक अंतरराष्ट्रीय सहयोग (मृदा एवं जल) का भूमि सुधार और जल प्रबंध	93,500	2,300	9,200	11,500
2	मत्स्य पालन	एक्वाकल्चर का विकास तथा पोस्ट - हार्ड्स्ट मूलभूत संरचना	-	-	7319	7319
3	लोक निर्माण विभाग (बी. एण्ड आर.)	हरियाणा राज्य सड़क सुधार परियोजना	300 मिलियन यू.एस.डी.	-	1,00,000	1,00,000 *
4	जन स्वास्थ्य अभियानिकी	जलापूर्ति सीवरेज सुविधाओं का विस्तार	-	-	50,000	50,000
योग				2,300	1,66,519	1,68,819

*टिप्पणी: वर्ष 2008 – 09 के दौरान केवल ` 0.54 करोड़ (` 13.45 लाख राज्य का हिस्सा तथा ` 40.33 लाख केन्द्रीय सहायता) का व्यय किया गया था।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित किन्तु
छोड़ी गई स्कीमों/परियोजनाओं के विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (ii); पृष्ठ 50)

(लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	विकास का मुख्य शीर्ष	शीर्ष/कोड	ग्यारहवीं योजना	वार्षिक योजना	वार्षिक योजना
				2007-12	2007-08	2008-09
				अनुमोदित ¹ लागत	वास्तविक व्यय	वास्तविक व्यय
1	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य देखभाल डिलीवरी पर सार्वजनिक/निजी साझेदारी टेलीफोन लिए पायलट परियोजना	2210-003-103-89	300.00	9.81	-
2		सी.एच.सी./पी.एच.सी. में टेलीफोन सुविधाएं	2210-003-103-96	2.00	-	0.10
3		हस्पतालों तथा सी.एच.सीज में विस्तृत विशेषज्ञ देखभाल प्रदान करने के लिए सार्वजनिक/निजी साझेदारी	2210-001-110-56	250.00	11.00	-
4		राज्य मुख्यालय में जन्मपूर्व निदान तकनीक मानीटरिंग कक्ष की स्थापना	2210-004 - 94	500.00	-	-
योग				1,052.00	20.81	0.10

**अनुमोदित योजना 2010 – 11 में शामिल स्कीमों के विवरण किन्तु संशोधित अनुमानों के दौरान वापस ले लिए गए और कोई व्यय नहीं किया गया था
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (iii); पृष्ठ 50)**

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(‘लाख में)	
			अनुमोदित योजना 2010 - 11	अनुमोदित योजना 2009 - 10
1	पशुपालन तथा डेरी - उद्योग	सुअर फार्म तथा अंबाला एवं हिसार एस.सी.एस.पी. का सुदृढ़ीकरण	20.00	
2	मत्स्य पालन	राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड (सी.एस.एस.)	10.00	10.00
3		मत्स्य पालन शिक्षा प्रशिक्षण तथा विस्तार (सी.एस.एस. - 80:20)	1.00	5.00
4	वन एवं वन्य जीव संरक्षण	राज्य संसाधन प्रबंध तथा जीवनयापन परियोजना	2.00	5.00
5	भू - अभिलेख	राजस्व प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा भू - अभिलेखों को अद्यतन करना (हिस्सेदारी आधार 50:50)	1.50	75.00
6	सामुदायिक विकास	चौपाल का निर्माण परियोजना स्कीम - पिछड़े वर्ग	3.00	30.00
7		चौपाल का निर्माण परियोजना स्कीम - सामान्य वर्ग	7.00	70.00
8	सिंचाई	अंबाल सिंचाई स्कीम	100.00	800.00
9		सतलुज यमुना लिंक परियोजना (हरियाणा का हिस्सा)	10.00	
10	कमान क्षेत्र विकास	एडोटिव ट्रेलर्ज और कार्य अनुसंधान	3.50	2.50
11	प्राधिकरण	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम	11,000.00	
12	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	फील्ड इंटरमीडिएट एण्ड लिंक ड्रेनेज का निर्माण	20.00	30.00
13	शहरी विकास	राजीव गांधी शहरी विकास मिशन	14,500.00	
14		अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) सहित छोटे और मध्यम नगरों (यू.आई.डी.एस.एम.टी.) के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम	14358.00	
15		एकीकृत निम्न लागत स्वच्छता स्कीम (ए.सी.ए.)	200.00	
16		सेटेलाइट एण्ड काउंटर मैग्नेट टाउन (सी.एस.एस.) के विकास की स्कीम	1,000.00	
17		राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई.)	1,000.00	
18	विद्युत	दीनबंधु ढोटूराम थर्मल पावर प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.) यमुनानगर का विस्तार	30,275.00	
19		1050 एम.डब्ल्यू. (3x500) गैस आधारित परियोजना, फरीदाबाद	500.00	10371.00
20		हाइडल पावर हाउसिज तथा अन्य विविध कार्यों की मरम्मत तथा अनुरक्षण	500.00	
21		पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट - 3	1,345.00	2137.00
22		पानीपत थर्मल पावर, पानीपत - यूनिट - 5	1,000.00	
23		क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र (ए.एल.डी.सी.)	800.00	
24		कवर्ड कंडक्टर के साथ बेर कंडक्टर का प्रतिस्थापन	200.00	
25	उद्योग	खाद्य संसाधन उद्योग उन्नयन	1.00	
26		बायलर्ज आर्गेनाइजेशन का सुदृढ़ीकरण	0.80	
27		एस.सी./एस.टी. के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम	10.00	
28		स्वास्थ्य बीमा स्कीम (सी.एस.एस.)	22.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(' लाख में)	
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10
29		हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम (एच.एस.आई.डी.सी.) का पूर्जीगत हिस्सा	0.20	
30		जिला उद्योग केंद्र (डी.आई.डी.सी.) भवन का निर्माण एवं विस्तार	140.00	
31	नागरिक उड़ायन	राज्य में रनवे प्रकाश, मैदानी सहायता, एन.डी.बी.ज. तथा हवाई यातायात नियंत्रण (ए.टी.सी.) सुविधाएं प्रदान करना	2.00	5.00
32		टेनर/एडवार्स टेनर एयरक्राफ्ट का प्रापण	0.25	
33		ग्लाइडर्स/पावर ग्लाइडर्स/हेलीकार्प्टर्स का प्रापण	0.25	
34	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	एस.सी.एस.पी. (चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण सहित नाबाड़ एवं एन.सी.आर.)	21,200.00	4,000.00
35		आवास स्कीम राजस्व विभाग के आवासीय भवन	308.00	
36		आवास स्कीम न्याय प्रशासन के आवासीय भवन	221.00	
37		आवास स्कीम जेल विभाग के आवासीय भवन	220.00	
38		आवास स्कीम चंडीगढ़ तथा पंचकूला के सरकारी मकान	88.00	
39	जनगणना सर्वेक्षण	बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) अनुदान	420.00	
40	तथा सारिव्यकी	गैर - लाभ संस्थाओं, गैर - सरकारी संगठनों तथा राष्ट्रीय भवन संगठन का सर्वेक्षण	0.05	
41		आवास एवं वातावरण सारिव्यकी प्रणाली की स्थापना	0.05	
42		जिला सारिव्यकी एजेंसियों का सुदृढ़ीकरण	0.05	
43		परिवार आय एवं व्यय सर्वेक्षण	0.05	
44		आर्थिक सर्वेक्षण	0.05	
45	विकेन्द्रित/जिला	विशेष घटक उप-योजना (एस.सी.एस.पी.)	8,000.00	
46	योजना	विकेन्द्रीकृत योजना	0.90	
47	माध्यमिक शिक्षा	अनुशूलित जाति को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों	615.30	650.00
48		एस.सी. लड़कियों तथा लड़कों को निःशुल्क सार्विकिलें	50.00	564.00
49		राज्य में सार्विस म्यूजियम की स्थापना	10.00	
50		कक्षा - IX-X (ड्यूल डैस्क) सुविधाओं का विस्तार	800.00	
51		सूचना संचार तथा तकनीकी स्कीम (कंप्यूटर शिक्षा)	850.00	
52		छात्रा का नजदीकी स्थलों पर भ्रमण	500.00	
53		गैर - सरकारी कालेजों में मूलभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण	100.00	100.00
54	उच्चतर शिक्षा	राज्य में शैक्षिक सिटी की स्थापना	100.00	
55		एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	1,100.00	
56		एस.सी. के लिये विभिन्न प्रतियोगिता एवं प्लेसमेंट के लिए विशेष कोचिंग	10.00	10.00
57		वाई.एम.सी.ए. अभियांत्रिकी संस्थान, फरीदाबाद का आधुनिकीकरण (आईटी. के लिए 2 प्रतिशत)	7.00	10.00
58		सेटेलाइट (एजूसेट) तथा ई.टी.चिंग/लर्निंग के माध्यम से शिक्षा	5.00	10.00
59		छात्राओं को मेरिट बेस नकद पुरस्कार/स्कालरशिप एवं स्टाइफड की स्कीम	20.00	70.00
60		आन्तरिक राजस्व उत्पादन	1.00	1.00
61		राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी. बी.) में नये सरकारी पोलाटेक्नीक की स्थापना	6,000.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	('लाख में)	
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10
62	स्वास्थ्य	रसायन प्रयोगशाला, करनाल का उन्नयन	10.00	
63		एस.सी. जनसंख्या की बहुलता वाले गांवों में उप - केन्द्रों को खोलना /निर्माण (एस.सी.एस.पी.)	30.00	
64		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1.00	
65		अतिरिक्त निर्माण सहित पी.एच.सी.ज के भवनों का निर्माण	1.00	
66		उप - केन्द्रों को खोलना	1.00	
67		उप - केन्द्रों के भवनों का निर्माण	1.00	
68		निवेशालय में खाद्य मिलावट कक्ष का सुदृढ़ीकरण तथा फील्ड कार्यालयों के लिए जी.एफ.आई. के नए पदों का सृजन	1.00	
69		नागरिक पंजीकरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण	1.00	1.00
70		एस.सी. रोगियों के लिए आरोग्य कोष	1.00	21.00
71		पी.जी.आई.एम.एस., रोहतक में आयूष के विशिष्ट धैरापी केंद्र की स्थापना	5.00	
72		आवश्यक दवाओं की आपूर्ति (85:15)	2.00	
73		पी.एच.सी.ज में आयूष बाह्य रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) क्लीनिकों की स्थापना (85:15)	2.00	
74		सी.एच.सी. में आयूष अंतः रोगी विभाग (आई.पी.डी.) क्लीनिकों की स्थापना (85:15)	2.00	
75		सी.एच.सी.ज में आयूष आई.पी.डी. क्लीनिकों की स्थापना आवर्ती अनुदान (85:15)	2.00	
76		जिला अस्पतालों में आयूष स्कंध की स्थापना (85:15)	2.00	
77		जिला /उप - जिला स्तर पर आयूष अस्पताल का उन्नयन (85:15)	2.00	
78		कार्यक्रम प्रबंध इकाइयों की स्थापना (पी.एम.यू./डी.एम.यू.ज - 4) (50:50)	2.00	
79	पुलिस आवास एवं आधुनिकीकरण	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.डी.)	9,000.00	
80	महिला एवं बाल विकास	स्वैच्छिक संगठन को सहायतानुदान	35.00	
81		आशियाना	1.00	
82		स्वावलम्बन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	8.00	10.00
83	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	साप्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	0.10	
84		गुडगांव में भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी.) की स्थापना	0.10	
85	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	बायोटेक्नोलोजी एप्लीकेशन के विकास एवं हस्तांतरण हेतु केंद्र	1.00	20.00
86	कर्मचारी राज्य बीमा	कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.) डिस्पेंसरी खनक, भिवानी को खोलना	1.50	
87	अन्य सामान्य सेवायें	बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) (न्याय प्रशासन)	2,484.00	
88	कृषि	राज्य विस्तार कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	100.00	
89	पंचायत	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	139.00	

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	(लारव में)	
			अनुमोदित योजना 2010-11	अनुमोदित योजना 2009-10
90	नवीकरण योग्य ऊर्जा	विकेन्द्रित सौर ऊर्जा पैक/प्लांट का डेमोस्ट्रेटिंग एप्लीकेशन	5.00	
91		आम जनता के लिए सौर जल तापन प्रणाली के प्रतिष्ठापन को प्रोत्साहन	20.00	
92		ऊर्जा दक्षता अभियंक्रम का उन्नयन	10.00	
93		प्रचार एवं जागरूकता कार्यक्रम	10.00	
94		हरित ऊर्जा निधि	395.00	
95		सौर टार्च	3.00	
96		ऊर्जा के अपव्यय तथा औद्योगिक अवशेष पर आधारित प्रदर्शन परियोजना की स्थापना	0.10	
97	सड़क परिवहन	चालकों का प्रशिक्षण	15.00	
98	कला एवं संस्कृति	राज्य पुरातत्व संग्रहालयों की स्थापना	0.05	
99		पदों का सृजन	7.83	
100	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	फरीदाबाद तक नैट्रो का विस्तार	4,372.73	
101		कर्मचारियों के लिए मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी.)	20.00	
102	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	अन्य पिछड़े वर्गों (ओबी.सी.) के लड़कों एवं लड़कियों के लिए होस्टलों का निर्माण (50:50)	70.00	
103		उन बच्चों के लिए मैट्रिक से पहले छात्रवृत्तियों की प्रदानगी जिनके माता - पिता मरीन व्यवसाय में सलिल्प हैं (50:50)	0.10	
104	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	स्थानीय स्तर की समितियों का निधिकरण	4.00	
105		अक्षमों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष स्कूल तथा मनोरंजन की स्थापना	25.00	
106		वरिष्ठ नागरिकों को ऐनके प्रदान करने की स्कीम	45.00	
107		हरियाणा में नशामुकित केंद्रों की स्थापना	100.00	
108	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	आतिथ्य भवन	5.00	
109		आबकारी एवं कराधान भवनों, चैक बैरियर्स इत्यादि	50.00	
110	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	सूचना प्रौद्योगिकी	1.00	
111		मनोरंजन सुविधाएं	1.00	
112		उद्यम विकास के लिये केंद्र	1.00	
		कुल	1,34,655.46	19,007.50

टिप्पणी: 112 स्कीमों में से क्रम सं. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 19, 21, 31, 34, 47, 48, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 69, 70, 82 और 85 पर 25 स्कीमें वार्षिक योजना 2009 - 10 में ` 190.08 करोड़ की लागत पर अनुमोदित की गई थी किन्तु वर्ष 2009 - 10 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

**उन स्कीमों के विवरण जहां संशोधित अनुमानों
में किये गये प्रावधानों को घटाया गया था
किन्तु कोई व्यय नहीं किया गया था**
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (iv); पृष्ठ 51)

(` लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 – 11	संशोधित अनुमान 2010 – 11
1	बागवानी	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	80.00	1.00
2	वन तथा वन्यजीव संरक्षण	वन आवरण का पुनरुद्धार एवं पुनःउत्पादन का त्वरित कार्यक्रम (ए.सी.ए.)	151.00	77.91
3	चिकित्सा शिक्षा	भगत फूल सिंह महिला चिकित्सा महाविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत की स्थापना	350.00	300.00
4	स्वास्थ्य	सामान्य अस्पतालों में स्वच्छता/सुरक्षा/हाउसकीपिंग/ केटरिंग/लैंडस्केपिंग इत्यादि के अनुरक्षण हेतु सहायक सेवाएं	250.00	10.00
5	आयुष	डिस्पेंसरियों का माडल डिस्पेंसरियों में उन्नयन	10.00	5.10
6		योगा केन्द्रों की स्थापना	4.00	0.05
7	कर्मचारी राज्य बीमा	ई.एस.आई. अस्पताल, एन.एच., फरीदाबाद का 200 से 300 बिस्तरों तक उन्नयन	4.00	0.76
8	अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण	निजी संस्थाओं के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में एस.सी. अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	50.00	0.10
9		बी.सी. तथा अल्पसंख्यकों के लिए आवास वित्त स्कीम	500.00	0.10
10		विभागीय स्कीम के प्रशासनिक व्यय के लिए बजट प्रावधान	10.00	0.10
11	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	विकलांगों के लिए एच.बी.सी. तथा ई.डब्ल्यू.एस.के.एन. को शेयर कैपिटल	141.60	141.50
12	महिला एवं बाल विकास	लिंग संवेदनशीलता कार्यक्रम	40.00	1.00
13		निदेशालय के लिए भवन का निर्माण (नया भवन)	1.50	1.00
14		महिला शक्ति सदन	0.50	0.35
15	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	कोषालय और लेखा भवन	20.00	7.00
16	मत्स्य पालन	ताजा पानी झींगा पालन का विकास	5.00	1.00
17	विद्युत	विश्वसनीयता सुधार	900.00	875.00
18	उद्योग	ओद्योगिक मूलभूत संरचना उन्नयन स्कीम (आई.आई.यू.एस.)	200.00	31.00
योग			2,717.60	1,452.97

टिप्पणी: 18 स्कीमों में से क्रम संख्या 3, 5 तथा 16 पर तीन स्कीमें वार्षिक योजना 2009 – 10 में ` 4.62 करोड़ की लागत के साथ अनुमोदित की गई थी किन्तु वर्ष 2009 – 10 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

उन स्कीमों के विवरण जहां बजट अनुमान बढ़ाये
गये थे किंतु कोई व्यय नहीं किया गया था
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (v); पृष्ठ 51)

(लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 – 11	संशोधित अनुमान 2010 – 11
1	माध्यमिक शिक्षा	अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (सी.एस.एस. - 50:50)	62.81	69.91
2	उच्चतर शिक्षा	हरियाणा साहित्य अकादमी को सहायता	225.00	300.00
3		हरियाणा उर्दू अकादमी को सहायता	125.00	150.00
4		पंजाबी साहित्य अकादमी की स्थापना	75.00	100.00
5		संस्कृत अकादमी की स्थापना	75.00	100.00
6	तकनीकी शिक्षा	अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति	10.00	50.00
7	स्वास्थ्य	अस्पतालों का सुधार एवं विस्तार (मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद)	1.00	1,251.00
8		चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा स्टाफ के लिए प्रवेश और प्रोत्साहन प्रशिक्षण संकाय - प्रजनक बाल स्वास्थ्य (आर.सी.एच. - II)	3.00	203.00
9	महिला एवं बाल विकास	किशोरियों के सुधार के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.आई.ए.जी.) - सबला (नई स्कीम)	1.00	100.00
10	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वृद्धों और दुर्बलों के लिए घर	4.00	100.00
योग			581.81	2,423.91

उन स्कीमों के विवरण, जहां बजट अनुमान बढ़ाये गये थे किंतु व्यय मूल प्रावधानों से कम था (संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (vi); पृष्ठ 51)

(` लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 – 11	संशोधित अनुमान 2010 – 11	व्यय 2010 – 11
1	कृषि	कृषीय विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण	150.00	175.00	69.97
2	पशुपालन तथा डेरी - उद्योग	दूध, अंडा, ऊन तथा मांस के उत्पादन के नमूना सर्वेक्षण अनुमान के लिए स्कीम (50:50 हिस्सेदारी आधार)	60.00	68.00	55.86
3	संरक्षण	सामाजिक एवं फार्म वानिकी	2,425.00	2,428.71	2,418.44
4		सिविल बनों सहित डीग्रेडिंग बनों का पुनर्वास	293.14	295.14	283.82
5		कार्ययोजना	87.08	88.48	76.18
6		आयोजना एवं मूल्यांकन कक्ष	31.57	35.07	29.84
7		औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए वन्य प्रजातियों का पौधारोपण	148.28	152.28	144.27
8		शीघ्र उगने वाले मसालों का पौधारोपण	95.30	98.85	94.64
9		वानिकी विस्तार (रेल, सड़क तथा नहर)	1,157.67	1,173.67	1,066.16
10	ग्रामीण विकास	ईंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) (75:25)	2,000.00	2,080.00	1,952.06
11	भू - अभिलेख	राष्ट्रीय भू - अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	1,452.00	1,458.05	1,447.02
12	मेवात विकास बोर्ड	औद्योगिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा	100.00	127.38	75.60
13		पशुपालन	30.00	30.50	20.00
14		सामुदायिक कार्य	150.00	216.22	116.32
15	सिंचाई	नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण एवं लाइनिंग (ए.आई.बी.पी.)	2,000.00	6,000.00	1,600.00
16	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण - राज्य राजमार्ग तथा प्रमुख ज़िला मार्ग	13,900.00	18,647.00	11,242.95
17	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कल्पना चावला प्लेनेटरियम, कुरुक्षेत्र	30.00	35.00	27.00

(` लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदित प्लान 2010 – 11	संशोधित अनुमान 2010 – 11	व्यय 2010 – 11
18	प्राथमिक शिक्षा	शारा प्राथमिक और प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय और जूनियर बेसिक टीचरों के अतिरिक्त पदों का उन्नयन	23,500.00	23,945.30	12,565.00
19	उच्चतर शिक्षा	सरकारी महाविद्यालयों को खोलना तथा वर्तमान कालेजों में अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान / उन्हें उत्कृष्ट एवं सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों में बदलना	3,385.50	3,862.50	3,141.81
20	कर्मचारी राज्य बीमा	स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए वेतन का प्रावधान इंदिरा गांधी पेयजल योजना	5.00	6.26	3.87
21	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	इंदिरा गांधी पेयजल योजना (एस.सी.एस.पी.) - ग्रामीण	3,000.00	3,700.00	2,805.50
22		जलापूर्ति का संवर्धन - ग्रामीण स्कीम	5,800.00	7,800.00	5,519.78
23		इंदिरा गांधी पेयजल योजना (एस.सी.एस.पी.) - शहरी	1,200.00	1,500.00	832.13
24	सूचना एवं प्रचार	प्रेस सूचना सेवाएं	904.00	914.00	810.43
25	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवाएं संघ / नेटवर्क के स्थापन की स्कीम	18.00	53.00	3.60
26	आयुर्वेद, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपेथी	आयुष निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	18.40	39.09	17.30
27	कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	किसानों का प्रशिक्षण (75:25)	4.50	6.75	2.97
28	नागर विभानन	सी. और ए. इंजनों, एयर फ्रेम तथा इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण औवरहालिंग वर्कशाप के लिए मशीनरी तथा उपकरणों का प्राप्त	10.00	12.00	0.87
योग			61,955.44	74,948.25	46,423.39

(लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	संशोधित अनुमान में प्रावधान 2010 – 11	व्यय 2010-11
1.	कृषि	मिट्टी स्वास्थ्य तथा ऊर्वरक स्कीमों के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना	140.00	70.00
2.	कृषि	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	360.00	शून्य
3.	पंचायत	पंचायती राज संस्थाओं हेतु वैट पर अधिभार	6,200.00	6,200.00
4.	कमाण्ड एरिया विकास प्राधिकरण	डब्ल्यूयूएज (बैकलॉग) को संरचनात्मक समर्थन	1,297.27	402.37
5.	इलैक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	भारतीय विशेष पहचान विकास प्राधिकरण (एस.यू.आई.डी.ए.आई.) अंतर्गत राज्य नागरिक को विशेष आई.डी.	642.00	321.00
6.	प्राथमिक शिक्षा	बारहवां वित्त आयोग (टी.एफ.सी.)	4,000.00	4,000.00
7.	माध्यमिक शिक्षा	राज्य में स्वतंत्रता सेनानियों के नाती विद्यार्थियों (लड़कों एवं लड़कियों) को प्रोत्साहन प्रदान करना	16.17	16.16
8.	उच्चतर शिक्षा	एजुकेट	35.00	34.52
9.	उच्चतर शिक्षा	इतिहास एवं संस्कृति अकादमी का संस्थापन	90.00	शून्य
10.	कला एवं संस्कृति	जिला पुस्तकालय का निर्माण /पूर्णता	80.00	56.31
11.	तकनीकी शिक्षा	चौथरी देवीलाल भेमोरियल इंजीनियरिंग कालेज, पन्नीवाला मोटा(सिरसा)	600.00	600.00
12.	स्वास्थ्य	आपैथैलमिक सैल का संस्थापन	15.00	3.80
13.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	राष्ट्रीय अन्पसंरच्यक विकास वित्तीय निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) को राज्य वैनलाईजिंग एजेसियों के सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता अनुदान (जी.आई.ए.)	0.14	0.14
14.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	हरियाणा पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिकतः कमज़ोर वर्ग कल्याण निगम को एन.एम.डी.एफ.सी. के ऋण के भुगतान हेतु विशेष जी.आई.ए.	416.00	शून्य
15.	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	राज्य सूचना आयोग भवन सूचना हेतु अधिकार (आर.टी.आई.)	25.09	25.09
16.	शहरी विकास	स्थानीय निकायों हेतु वैट पर अधिभार का हिस्सा	24,846.00	शून्य
17.	श्रम	श्रम न्यायालय की अदालत	300.00	शून्य
18.	महिला एवं बाल विकास	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	1,600.00	शून्य
19.	महिला एवं बाल विकास	एसिड पीड़ितों को राहत एवं पुनरुद्धार	2.00	शून्य
20.	महिला एवं बाल विकास	राज्य महिला सशक्तिकरण मिशन	1.00	शून्य
21.	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सारिव्यकी	राज्य एवं जिला स्तर पर राज्य सारिव्यकीय नीति (केन्द्रीय एवं राज्य शेयरिंग आधार)	1.00	शून्य
योग			40,666.67	11,729.39

नोट: 21 स्कीमों में से क्रम संख्या 2, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 20 तथा 21 पर नौ स्कीमें 276.16 करोड़ के परिव्यय के साथ आर.ई. 2010 – 11 में अनुमोदित की गई परन्तु ये स्कीमें कार्यान्वित नहीं की गई थी।

**उन स्कीमों के विवरण, जहां बजट अनुमानों में
प्रावधानों के बिना व्यय किया गया था
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (viii); पृष्ठ 51)**

(‘लाख में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	स्कीम का नाम	व्यय 2010-11
1	रिन्यूएबल ऊर्जा	अन्य स्कीमें	474.15
2	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	रोहतक में मंडलीय प्रशिक्षण केन्द्र भवन हेतु भूमि का क्रय	20.01
योग			494.16

**चौथरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
द्वारा 2010 – 11 के दौरान योजनेतर से योजनागत शीर्षों
में परिवर्तित उप – स्कीमों की सूची**
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.3 (ix); पृष्ठ 51)

(‘लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना
1.	डी.टी.ई. आर. - 4, चौथरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (सी.सी.एस.एच.ए.यू.), हिसार में आयोजना, समन्वय, मानोटरिंग मूल्यांकन तथा मार्गदर्शन अनुसंधान	347.18
2.	एग्रीमेट - 1, हरियाणा में एग्रो – मेटियोरोलोजिकल अध्ययन	29.52
3.	एग्रोन - 3, एग्रो इकोसिस्टम, एग्रोनोमिक अनुसंधान (ए), बीड प्रबंधन, शाकनाशी प्रतिरोध तथा शाकनाशी अवशेष तथा संसाधन संरक्षण, (बी) कायमयोग्य कृषि, विपथन तथा विभिन्न क्षेत्र फसलों की एग्रोनोमिक प्रथाएं	248.83
4.	इकोन - 1, हरियाणा फार्मिंग से संबंधित प्रकट विषयन एवं उत्पादन समस्या में आर्थिक अध्ययन	57.73
5.	एन्टो - 1, हरियाणा में कायम योग्य कृषि हेतु हानिकारक एवं लाभदायक कीटों का प्रबंधन	95.66
6.	ई.ई. - 2, कृषि में विपथन के अपनाने में बाधाएं	31.00
7.	एफ.एफ. - 1, फार्म फोरेस्ट्री, नर्सरी विकास एवं प्रबंधन तथा रेतीले टीलों के प्रबंधन पर अनुसंधान	59.67
8.	होर्ट - 2, फल फसलों में सुधार उत्पादन एवं भण्डारण प्रौद्योगिकी	175.99
9.	होर्ट - 3, एन.ए.आर.पी. क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन, बुड़िया का सुदृढ़ीकरण	31.61
10.	नेम - 2, फसल हानियों का मूल्यांकन चिन्हीकरण तथा विभिन्न फसलों का प्रबंधन निगरानी सर्वेक्षण	46.85
11.	पी.बी. - 1, सिरलज, दालों, तिलहनों, कपास, फोरेज, चारा, औषधीय एवं अवप्रयुक्त पौधों का जैनैटिक सुधार	360.8
12.	पी.पी. - 2, आर्थिकतः महत्वपूर्ण पौधा बीमारियों तथा मशरूम उत्पादन प्रौद्योगिकी पर अध्ययन	122.76
13.	एस.एस.आई. - 1, विभिन्न फसलों / कृषि हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (पूर्ववर्ती पी.बी. - 3)	92.24
14.	मिट्टी - 1, कायम योग्य कृषि हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	219.83
15.	वेज - 2, सब्जियों एवं मसाला फसलों के सुधार एवं उत्पादन पर अनुसंधान	163.88
16.	सी.आर.एस. - 1, कपास एवं कपास आधारित क्रोपिंग प्रणाली पर अनुसंधान	106.74
17.	आर.एस.बी. - 1, दक्षिण पश्चिम हरियाणा हेतु विभिन्न फार्मिंग प्रणालियों का उत्पादन एवं परिष्करण प्रौद्योगिकी	313.00
18.	आर.एस. कौल - 1 चावल एवं चावल आधारित क्रोपिंग प्रणालियों का सुधार	201.33
19.	आर.एस. के - 1, गन्ना एवं गन्ना आधारित, चावल / गेहूं / मक्की क्रोपिंग प्रणालियों पर अनुसंधान	263.23

(‘लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना
20.	आर.एस.आर. - 2, हरियाणा के पूर्वी सेमी – एरिड उप – जोन (रोहतक, झज्जर, सोनीपत तथा फरीदाबाद) में भिट्टी, जल एवं फसल प्रबंधन	23.35
21.	ए.बी.टी. - 2, ब्लू टंग वायरस तथा पेस्टडस्पाइट्स समीनेंट्स वायरस हेतु मोलक्यूलर डायग्नोस्टिक्स का विकास	29.57
22.	ए.बी.टी. - 3, फार्म पशु जननक्षमता के सुधार हेतु पुनरुत्पादन जीव - तकनीक का विकास	10.66
23.	वी.सी.एल. - 2, हरियाणा में पशुओं में स्तनशोथ एवं संक्रामक गर्भपात का निदान तथा निदानशास्त्र	26.58
24.	वी.ई.पी.एम. - 2, हरियाणा में लाइवस्टाक तथा पोल्ट्री की बीमारियों की जांच एवं रोग विज्ञान	75.07
25.	वी.पी.टी. - 2, निदानशास्त्र एवं संक्रामक गर्भपात का नियंत्रण तथा मेटाबोलिक मूल की बीमारियों सहित पोषणिक अनियमितताओं में अध्ययन	8.12
26.	टी.वी.सी.एस.सी. - 2, आपात निदानशास्त्र निरूपण तथा पशुओं में त्वचा रोगों के उपचार पर अध्ययन	10.24
27.	वी.ए.एच. - 1, रूमीनेंट्स तथा पिगज (आर.टी.) में विभिन्न शरीर सिस्टमज पर सकल लाइट एवं इलेक्ट्रान - सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन	7.03
28.	वी.बी.सी. - 1, कुपोषण एवं परजीवी बिमारियों में जीव रासायनिक परिवर्तन	4.58
29.	वी.सी.एम. - 1, निदानशास्त्र प्रचार, रोगनिदान उपचार तथा पशुओं में स्तनशोथ तथा मेटाबोलिक/पोषणिक कमी अनियमितताओं की जांच	9.34
30.	वी.एम.आई. - 1, हेमरहेजिक सेप्टीसीमिया तथा ब्लूटंग बीमारियों के संबंध में संक्रमण एवं प्रतिरक्षण पर अध्ययन	52.56
31.	वी.पी.एच. - 1, खाद्य - उत्पन्न संक्रमण, यर्सीनियोसिस के विशेष सदर्भ सहित, पर अध्ययन	12.18
32.	वी.पी.एस. - 1, एपीडेमियोलॉजी पैथो - बायलॉजी तथा पशुओं तथा पोल्ट्री पैरासाइट्स के एकीकृत प्रबंधन पर अध्ययन	13.78
33.	वी.पी.टी.एक्स. - 1, भैंसों में औषधियों पर फार्माकोकीनेटिक तथा फार्माकोडिनेमिक अध्ययन	16.47
34.	वी.पी.वाई. - 1, भैंसों की, इसकी उत्पादकता बढ़ाने हेतु पाचन एवं सेल फिज्योलॉजी पर अध्ययन	13.04
35.	वी.आर.एस. - 1, घरेलू पशुओं में सर्जीकल अनियमितताओं के प्रबंधन पर अध्ययन	14.58
36.	वी.यू.के. - 1, करनाल में वेटरनरी यूनिट की स्थापना	45.66
37.	ए.बी. - 4, लाइवस्टॉक के पोल्ट्री एवं विभिन्न किस्मों में प्रजनन सुधार	131.82
38.	ए.एफ.टी. - 1, रूमीनेंट्स तथा पोल्ट्री हेतु मितव्ययी गुणवत्ता फीड विनिर्माण	16.61
39.	ए.पी.पी. - 2, फार्म लाइव स्टाक तथा पोल्ट्री में प्रजनन एवं जनन संवर्धन हेतु शारीरिक जांच	12.73
40.	ए.एन. - 2, लाइव स्टाक तथा पोल्ट्री में पोषणिक अध्ययन	71.76
41.	ए.ल.पी.एम. - 3, लाइव स्टाक तथा पोल्ट्री हेतु प्रबंधन प्रथाओं की प्रमात्रा	107.48
42.	ए.पी.टी. - 3, मीट एवं पोल्ट्री उत्पादनों हेतु प्रक्रिया प्रौद्योगिकी का मानकीकरण	22.72

(लाख में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	अनुमोदित योजना
43.	बी.सी. - 2, फील्ड, वेजीटेबलस एवं फ्रूट फसलों के सुधार के संबंध में जीवरसाधन अध्ययन	97.2
44.	बी.एम.बी - 4, प्लांट बहुगणन तथा सुधार हेतु बायोटेक्नोलॉजी एवं मोलक्यूलर बायलॉजी का अनुप्रयोग	55.94
45.	बी.ओ.टी - 2, विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों अधीन उत्पादनता सुधारने हेतु हरियाणा की महत्वपूर्ण फसलों में मोफो - फिज्योलाजिकल अध्ययन	37.67
46.	एफ.एस.टी. - 2, खाद्य प्रक्रिया प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन प्लांट एवं पशु उत्पाद	0.57
47.	जेनेट - 2, क्रोप प्लांट्स एवं कृषीय रूप से महत्वपूर्ण माइक्रो ओरगेनिजमज पर जेनटिक उद्ययन	84.87
48.	गणित एवं स्टे - 1, हरियाणा में फील्ड प्लांट तकनीक अनुमानन का निश्चयन तथा मुख्य फसलों की प्राप्तियों की भविष्यवाणी	16.15
49.	माइक्रो - 2, कृषि उद्योग एवं पर्यावरण में प्रयोग हेतु माइक्रो - ओरगेनिजम का विकास एवं सुधार	73.99
50.	एस.ओ.सी - 1, हरियाणा में ग्रामीण समाज में सामाजिक - आर्थिक स्थिति पर कृषि प्रौद्योगिकी का प्रभाव	15.92
51.	जूल - 2, ताजा एवं खारा जल मत्स्यों का प्रजनन एवं संस्कृति	31.81
52.	सी.टी - 2, गारमेंट्स ब्लॉक का मानकीकरण	5.36
53.	एफ.आर.एम - 2, धूआं रहित चूल्हे का संशोधन एवं मानकीकरण	4.12
54.	एच.डी.एफ.एस - 2, बच्चों एवं किशोरों (आर.टी.) का सामाजिक विकास	11.67
55.	एच.एस.ई - 2, संशोधित गृह व्यवहारिक हेतु ग्रामीण महिलाओं तथा किशोर लड़कियों के प्रशिक्षण से संबंधित अनुसंधान गतिविधि	17.39
56.	एफ.एन. - 3, पौष्टिक रेसिपीज के निर्धारण एवं विकास	0.12
57.	ए.ई - 1, कृषीय, मशीनों एवं उपकरणों का विकास, परीक्षण एवं प्रचार	8.56
58.	एस.डब्ल्यू.ई - 1, तल एवं उप - तल जल पट्ट का मानोटरिंग एवं विकास तथा मिट्टी लवणता का नियंत्रण	11.24
योग		4,176.36

अर्थात् 41.76 करोड़

अनुदान संख्या 8 के अधीन बजट प्रावधानों,
बचतों इत्यादि के ब्यौरे
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 पृष्ठ 52)

(‘करोड़ में)

बजट अनुमान	राजस्व (दत्तमत)	राजस्व (भारित)	पूंजीगत (दत्तमत)	पूंजीगत (भारित)	योग
मूल प्रावधान	865.13	0.05	1,213.08	8.00	2,086.26
पूरक प्रावधान	168.67	0.00	187.90	0.00	356.57
योग	1,033.80	0.05	1,400.98	8.00	2,442.83
व्यय	664.49	0.00	1,140.50	5.85	1,810.84
बचतें	369.31	0.05	260.48	2.15	631.99
अभ्यर्पित बचतें	249.50	0.05	245.15	2.21	496.91

उन स्कीमों के विवरण, जहां कोई व्यय नहीं किया गया था

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 (v); पृष्ठ 53)

(लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
योजनेतर स्कीमें								
1	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य, 51 - निर्माण, 96 - कोषालय एवं लेखा प्रशासन	17 - लघु कार्य	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
2	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य, 51 - निर्माण, 98 - सचिवालय	17 - लघु कार्य	16.00	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00
3	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य, 52 - मशीनरी एवं उपकरण, 96 - मशीनरी,	99 - क्रय	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00
4	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य, 105 - लोक निर्माण कार्यशालाएं, 99 - पी.डब्ल्यू.डी. कार्यशालाएं	01 - वेतन	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
योजनागत स्कीमें								
5	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - कार्यालय भवन, 51 - निर्माण, 72 - राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु स्कीम, 99 - राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन हेतु भूमि का क्रय	16 - बृहद् कार्य	40.00	0.00	40.00	10.00	0.00	40.00
6	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - कार्यालय भवन,	01 - वेतन	160.00	350.00	510.00	515.00	0.00	510.00
7	परिव्यय, 01 - कार्यालय भवन,	17 - लघु कार्य	32.00	0.00	32.00	103.00	0.00	32.00
8	51 - निर्माण, 99 - जिला प्रशासन	19 - मशीनरी एवं उपकरण (एम. एवं ई.)	200.00	70.00	270.00	200.00	0.00	270.00
9	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 72 - योजना भवन, पंचकुला का निर्माण हरियाणा (एन.-वी.)	01 - वेतन	5.00	21.00	26.00	26.00	0.00	26.00
10	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 72 - योजना भवन, पंचकुला का निर्माण हरियाणा (एन.-वी.)	19 - मशीनरी एवं उपकरण (एम एवं ई)	1.00	4.20	5.20	5.20	0.00	5.20
11	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 72 - कोषालय एवं लेखा प्रशासन	01 - वेतन	2.00	0.00	2.00	0.70	0.00	2.00
12	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 72 - कोषालय एवं लेखा प्रशासन	16 - बृहद् कार्य	17.60	0.00	17.60	6.16	0.00	17.60
13		19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.40	0.00	0.40	0.14	0.00	0.40
14	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 96 - जेल	01 - वेतन	139.40	150.00	289.40	289.40	0.00	289.40
15	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 96 - जेल	19 - मशीनरी एवं उपकरण	27.88	30.00	57.88	57.88	0.00	57.88
16	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 97 - आबकारी एवं कराधान	01 - वेतन	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
17	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 97 - आबकारी एवं कराधान	16 - बृहद् कार्य	44.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00
18		19 - मशीनरी एवं उपकरण	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
19	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 98 - न्याय प्रशासन	01 - वेतन	146.00	100.00	246.00	246.00	0.00	246.00
20	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 051 - निर्माण, 98 - न्याय प्रशासन	19 - मशीनरी एवं उपकरण (एम एवं ई)	29.20	20.00	49.20	49.20	0.00	49.20
21	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, 99 - लोक निर्माण (एन-वी)	01 - वेतन	0.00	35.00	35.00	35.00	0.00	35.00
22	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, 99 - लोक निर्माण (एन-वी)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00

(` लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
23	4059 - लोक निर्माण पर पूँजीगत	01 - वेतन	0.50	0.00	0.50	0.30	0.00	0.50
24	परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण,	16 - बृहद् कार्य	4.40	0.00	4.40	2.64	0.00	4.40
25	94 - मंत्रालय कार सैक्षण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.10	0.00	0.10	0.06	0.00	0.10
26	4059 - लोक निर्माण पर पूँजीगत	01 - वेतन	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50
27	परिव्यय - 80 - सामान्य - 051 - निर्माण,	16 - बृहद् कार्य	4.40	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40
28	96 - आतिथ्य (हरियाणा निवास)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.10	0.00	0.10	0.06	0.00	0.10
29	4059 - लोक निर्माण पर पूँजीगत	01 - वेतन	1.50	0.00	1.50	1.00	0.00	1.50
30	परिव्यय - 80 - सामान्य - 051 - निर्माण - 97 - हरियाणा लोक सेवा आयोग	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.30	0.00	0.30	0.20	0.00	0.30
31	4059 - लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, 98 - न्याय प्रशासन	16 - बृहद् कार्य	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00
32	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	50.00	10.00	60.00	149.00	0.00	60.00
33	पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 202 - माध्यमिक शिक्षा, 99 - माध्यमिक स्कूल भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	10.00	2.00	12.00	29.86	0.00	12.00
34	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00
35	पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा - 98 - पंचकूला में शिक्षा सदन के भवन का निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00
36	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
37	पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा - 99 - महाविद्यालय भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	90.00	0.00	90.00	90.00	0.00	90.00
38	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	126.80	0.00	126.80	131.48	0.00	126.80
39	पर पूँजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा - 104 - बहुतकनीकी, 99 - बहुतकनीकी भवन	19 - मशीनरी एवं उपकरण	25.36	0.00	25.36	26.30	0.00	25.36
40	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	50.00	0.00	50.00	167.0	0.00	50.00
41	पर पूँजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा - 789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (एस.सी.) - 99 - एस.सी. विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण	19 - मशीनरी एवं उपकरण	10.00	0.00	10.00	33.40	0.00	10.00
42	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	10.00	15.00	25.00	28.20	0.00	25.00
43	पर पूँजीगत परिव्यय - 03 - खेल एवं युवा सेवाएं - 101 - युवा छात्रावास - 99 - भवन (युवा छात्रावास)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	2.00	3.00	5.00	5.64	0.00	5.00
44	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	01 - वेतन	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00	8.00
45	पर पूँजीगत परिव्यय - 04 - कला एवं संस्कृति 105 - पञ्चिक लाइब्रेरी - 99 - भवन (पञ्चिक लाइब्रेरी)	19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	1.60	1.60	1.60	0.00	1.60
46	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर	01 - वेतन	80.00	250.00	330.00	0.00	0.00	330.00
47	पूँजीगत परिव्यय - 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं 110 - अस्पताल एवं डिस्पेंसरी 99 - भवन - 51 अस्पताल एवं डिस्पेंसरीज	19 - मशीनरी एवं उपकरण	16.00	50.00	66.00	0.00	0.00	66.00

(लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीष/लघु शीष स्कीमें	विषय शीष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचते
48	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 91 - श्री कृष्ण राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय / अस्पताल, करुक्षेत्र के भवन का निर्माण	01 - वेतन	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.80
49		16 - बृहद् कार्य	7.04	0.00	7.04	8.00	0.00	7.04
50		19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
51	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 92 - सरकारी आयुर्वेदिक / यूनानी / हैमियोपैथिक डिस्पेंसरियों का निर्माण तथा भरम्मत	01 - वेतन	0.50	.00	0.50	0.00	0.00	0.50
52		16 - बृहद् कार्य	4.40	0.00	4.40	5.00	0.00	4.40
53		19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10
54	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 98 - आई.एस.एम. एवं आर, पंचकूला के सरकारी संस्थान के भवन तथा संस्थान (एन.वी.) के परिसर में आयुर्वेद के निदेशालय का निर्माण	01 - वेतन	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
55		16 - बृहद् कार्य	2.64	0.00	2.64	3.00	0.00	2.64
56		19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60
57	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 101 - आयुर्वेद - 99 - भवन	01 - वेतन	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
58		19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00
59	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय - 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान - 105 - एलौपैथी - 99 - भवन	01 - वेतन	0.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00
60		16 - बृहद् कार्य	0.00	2376.00	2376.00	0.00	0.00	2376.00
61		19 - मशीनरी एवं उपकरण	0.00	54.00	54.00	0.00	0.00	54.00
62	4216. - आवास पर पूँजीगत परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश - 96 - लोक निर्माण	01 - वेतन	10.00	40.00	50.00	116.00	0.00	50.00
63		19 - मशीनरी एवं उपकरण	2.00	8.00	10.00	23.20	0.00	10.00
64	4216. - आवास पर पूँजीगत परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश, 97 - जेल	01 - वेतन	25.00	0.00	25.00	52.00	0.00	25.00
65		19 - मशीनरी एवं उपकरण	5.00	0.00	5.00	10.40	0.00	5.00
66	4216. - आवास पर पूँजीगत परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश, 98 - जिला प्रशासन	01 - वेतन	35.00	30.00	65.00	60.00	0.00	65.00
67		19 - मशीनरी एवं उपकरण	7.00	6.00	13.00	12.00	0.00	13.00
68	4216. - आवास पर पूँजीगत परिव्यय - 01 - सरकारी आवास - 106 - जनरल पूल रिहायश, 99 - न्याय प्रशासन	01 - वेतन	13.70	40.00	53.70	52.60	0.00	53.70
69		19 - मशीनरी एवं उपकरण	2.74	8.00	10.74	10.52	0.00	10.74
70	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण - 102 - बालक कल्याण - 99 - आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	01 - वेतन	45.50	0.00	45.50	53.50	0.00	45.50
71	4235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय - 02 - समाज कल्याण - 103 - महिला कल्याण 98 - निदेशालय हेतु भवन का निर्माण	16 - बृहद् कार्य	1.20	0.00	1.20	0.88	0.00	1.20

(‘लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष स्कीमें	विषय शीर्ष	बजट अनुमान	पूरक प्रावधान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
72	4235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - 02 – समाज कल्याण – 103 – महिला कल्याण, 99 – किशोर लड़कियों/महिलाओं के लिए गृह – सह वोकेशनल प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र	16 – बृहद् कार्य	7.40	0.00	7.04	24.29	0.00	7.04
73	4235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - 02 – समाज कल्याण – 104 – बुजुर्ग, दुर्बल तथा निस्सहाय कल्याण 99 – अनाथ एवं बुजुर्ग के कल्याण हेतु गृह	16 – बृहद् कार्य	3.52	0.00	3.52	88.00	0.00	3.52
74	4235 – सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय - 02 – समाज कल्याण, 800 – अन्य व्यय – 81 – जे.जे एकट का कार्यान्वयन 98 – रिमांड/प्रेक्षण गृह	01 – वेतन	45.00	0.00	45.00	20.00	0.00	45.00
75		19 – मशीनरी एवं उपकरण	9.00	0.00	9.00	4.00	0.00	9.00
76	4250 – अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 51 – निर्माण – 201 – श्रम, 96 – श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण	16 – बृहद् कार्य	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	300.00
77	4405 – मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय - 51 – निर्माण – 101 – अन्तर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन – 99 – कार्यालय भवन का निर्माण	16 – बृहद् कार्य	30.00	0.00	30.00	43.00	0.00	30.00
योग			2,492.44	4,294.80	6,786.88	4,070.27	0.00	6,786.88

अर्थात् 67.88 करोड़

**उप - शीर्षों, जहां व्यय वर्ष 2010 - 11 हेतु प्रावधान से अधिक
(` 10 लाख से अधिक) था, को दर्शने वाली विवरणी
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 (vi); पृष्ठ 53)**

(` लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष विस्तृत शीर्ष/स्कीमवार	योग	पुनर्विनियोजन बचतें (-) आधिक्य (+)	अंतिम अनुदान अथवा विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
1	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य, 799 - उचंत, 96 - निष्पादन (स्टेट नॉन - प्लान)	18,581.76	(-) 1,323.99	17,257.77	17,457.33	199.56
2	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 001 - निदेशन एवं प्रशासन, 99 - निदेशन (स्टेट नॉन प्लान)	1,548.61	(-) 378.07	1170.54	1,185.70	15.16
3	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 51 - सड़क कार्य, 93 - लोक निर्माण (स्टेट नॉन प्लान)	16.00	(-) 2.00	14.00	79.44	65.44
4	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 97 - जिला प्रशासन (स्टेट नॉन - प्लान)	18.00	2.61	20.61	47.15	26.54
5	2216 - आवास - 05 - सामान्यपूल आवास - 99 - निदेशन एवं प्रशासन (स्टेट नॉन प्लान)	676.00	0.00	676.00	860.83	184.83
6	3054 - सड़कें एवं पुल, 03 - राज्य राजमार्ग, 337 - सड़क कार्य, 51 - सड़क कार्य (स्टेट नॉन प्लान)	7,210.29	(-) 1,580.28	5,630.01	5,734.63	104.62
7	3054 - सड़कें एवं पुल, 04 - जिला एवं अन्य सड़कें, 337 - सड़क कार्य, 98 - ग्रामीण सड़कें (स्टेट नॉन प्लान)	25,511.50	(-) 10,130.25	15,381.25	15,523.48	142.3
8	3054 - सड़कें एवं पुल, 04 - जिला एवं अन्य सड़कें, 337 - सड़क कार्य - 99 - जिला सड़कें (स्टेट नॉन प्लान)	3,009.50	(-) 618.74	2,390.76	2,486.57	95.81
9	3054 - सड़कें एवं पुल, 80 - सामान्य - 99 - मुख्य शीर्ष 2059 - लोक निर्माण से अंतरित स्थापना प्रभारों का आनुपातिकतः अंतरण (स्टेट नॉन प्लान)	12,352.00	(-) 352.00	12,000.00	13,994.55	1,994.55
10	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत व्यय, 01 - कार्यालय भवन, 51 - निर्माण, 96 - जेलज (स्टेट प्लान)	3,150.00	(-) 407.13	2,742.87	3,691.44	948.57
11	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, 98 - प्रशासन एवं न्याय (राज्य प्लान)	2,660.00	(-) 817.92	1,842.08	2,083.62	241.54
12	4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय, 60 - अन्य भवन, 51 - निर्माण, - 99 - लोक निर्माण (स्टेट प्लान)	500.00	0.00	500.00	843.30	343.30
13	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - यूनिवर्सिटी एवं उच्चतर शिक्षा, 99 - कालेज भवन (स्टेट प्लान)	4,500.00	(-) 2,065.37	2,434.63	3,485.04	1,050.41
14	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा, 104 - बहुतकनीकी, 99 - बहुतकनीकी भवन (राज्य प्लान)	1,268.00	(-) 475.22	792.78	1,851.59	1,058.81
15	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 99 - भवन (स्टेट प्लान)	1.00	0.00	1.00	28.68	27.68

(` लाख में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष विस्तृत शीर्ष/स्कीमवार	योग	पुनर्विनियोजन बचतें (-) आधिक्य (+)	अंतिम अनुदान अथवा विनियोजन	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
16	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं, 104 - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 99 - भवन (रेटेट प्लान)	1.00	0.00	1.00	11.31	10.31
17	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 03 - चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, 101 - आयुर्वेद, 98 - आई.एस.एम. एवं आर, पंचकूला के सरकारी संस्थान के भवन तथा संस्थान के परिसर में आयुर्वेद के निदेशालय का निर्माण (राज्य प्लान)	3.00	(-) 3.00	0.00	11.10	11.10
18	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, 98 - एस.सी. विंग के लिए प्रशिक्षण भवन (राज्य प्लान)	1,000.00	(-) 603.01	396.99	479.25	82.26
19	4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 800 - अन्य व्यय, 98 - आई.टी.आई. का उत्कृष्ट केन्द्र में उन्नयन (राज्य प्लान)	125.00	(-) 64.05	60.95	910.15	849.20
20	5054 - सड़कों एवं पुलों पर पूँजीगत परिव्यय - 03 राज्य राजमार्ग - 101 - पुल, 99 - अंबाला - नारायणगढ़ सड़क पर टांगरी नदी पर एच.एल. पुल का निर्माण (राज्य प्लान)	2,700.00	(-) 523.16	2,176.84	2,226.23	49.39
21	4405 - मत्स्य पालन पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - अन्तर्रेशीय मत्स्य पालन, 99 - कार्यालय भवन का निर्माण (राज्य प्लान)	30.00	(-) 30.00	0.00	38.65	38.65
योग		84,861.66	(-) 19,371.58	65,490.08	73,030.04	7,539.96

अर्थात् ८ 75.40 करोड़

**वर्ष के अंतिम तिमाही/माह में व्यय वाली स्कीमों
का विवरण (अनुदान संख्या 8)**
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 (vii); पृष्ठ 53)

(लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीमवार विस्तृत शीर्ष	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
नान - प्लान							
1	2059 - लोक निर्माण, 60 - अन्य भवन, 053 - अनुरक्षण एवं मरम्मत	17 - लघु कार्य	3,925.58	3,900.63	99	3,900.00	99
2	2059 - लोक निर्माण, 80 - सामान्य - 799 - उच्चत	32 - उच्चत	1,286.26	999.31	78	999.31	78
प्लान							
3	2059 - लोक निर्माण 80 - सामान्य मशीनरी	19 - मशीनरी	23.61	23.61	100	23.61	100
4	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - सामान्य शिक्षा, 203 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	16 - बृहद् कार्य	220.10	124.88	57	103.8	47
5	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 02 - तकनीकी शिक्षा, 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, 99 - बहुतकनीकियों में एस.सी. विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण	16 - बृहद् कार्य	1,426.00	1,086	76	1,086	76
6	4202 - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 04 - कला एवं संस्कृति, 105 - पब्लिक लाइब्रेरी	16 - बृहद् कार्य	56.31	22.26	40	17.41	31
7	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 02 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	16 - बृहद् कार्य	61.62	32.07	52	23.61	38
8	4210 - चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 03 - चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान, 101 - आयुर्वेद	16 - बृहद् कार्य	339.45	144.59	43	136.57	40
9	4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 01 - सरकारी रिहायशी भवन, 106 - सामान्य पूल आवास, 98 - जिला प्रशासन	16 - बृहद् कार्य	574.62	266.06	46	266.06	46
योग			7,913.55	6,599.41	83	6,556.37	83

**उन स्कीमों का विवरण, जहां स्कीमों के अकार्यान्वयन/नीति के अनन्तिमकरण/प्रस्ताव के कारण कोई व्यय नहीं किया गया था
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.2 (iii); पृष्ठ 54)**

(‘लाख में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/स्कीमवार	बजट अनुमान	योग	संशोधित अनुमान	व्यय	बचतें
1	2202-सामान्य शिक्षा 02 - माध्यमिक शिक्षा (प्लान)	107 - छात्रवृत्तियां, 86 - 9वीं से 12वीं कक्षाओं के सामान्य वर्ग के छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना	100.00	100.00	0.00	0.00	(-)100.00
2		109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 98 - राजकीय उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में डबल डैस्क का प्रावधान	800.00	800.00	800.00	0.00	(-)800.00
3		109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 98 - राज्य में साईंस म्यूजियम का संस्थापन	10.00	10.00	0.00	0.00	(-)10.00
4		109 - राजकीय माध्यमिक विद्यालय, 93 - निकटवर्ती स्थानों पर छात्रों का मनोरंजन	500.00	500.00	500.00	0.00	(-)500.00
5		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 99 - 9वीं तथा 11वीं कक्षाओं में एस.सी. लड़की एवं लड़के छात्रों को 2000 प्रति छात्र की दर पर मुफ्त साईंकिल प्रदान करना	50.00	50.00	0.00	0.00	(-)50.00
6		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 98 - 9वीं से 12वीं कक्षाओं के एस.सी. छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान करना	615.30	615.30	0.00	0.00	(-)615.30
7		96 - गैर - सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मूलभूत संरचना का मजबूतीकरण	100.00	100.00	0.00	0.00	(-)100.00
8		94 - उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने वाले बी.पी.एल. एवं बी.सी. (ए.) छात्रों हेतु स्टाइपंड स्कीम	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	(-)2,200.00
योग			4,375.30	4,375.30			(-) 4,375.30

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय के वेग वाली स्कीमों के विवरण (अनुदान संख्या - 9)

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.2 (v); पृष्ठ 54)

(लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2011 के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	2202 - सामान्य शिक्षा (नॉन - प्लान)	101 - राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 99 - सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटरीकरण)	324.21	267.41	82	89.24	28
2	01 - प्राथमिक शिक्षा	102 - गैर - सरकारी प्राथमिक विद्यालय, 92 - गैर - सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को सहायतानुदान (वेतन अनुदान)	800.00	297.96	37	297.96	37
3	2202 - सामान्य शिक्षा (प्लान) 01 - प्राथमिक शिक्षा	001 - निदेशन एवं प्रशासन, 97 - कंप्यूटरीकरण तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधीन प्राथमिक शिक्षा विभाग का नेटवर्किंग	19.91	19.91	100	9.95	50
4		101 - राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 95 - 2950 प्रति डबल डैस्क की दर पर मिडिल स्कूलों में डबल डैस्क का प्रावधान	1,000.00	1,000.00	100	1,000.00	100
5		109 - छात्रवृत्तियां - 84 - पिछड़े वर्षों कक्षा I - VI II में ए विद्यार्थियों हेतु मासिक स्टाईपंड स्कीमें	7,405.36	3,702.68	50	3,702.68	50
6		109 - छात्रवृत्तियां - 85 - कक्षा I - VIII में गरीबी रेखा से नीचे विद्यार्थियों हेतु मासिक स्टाईपंड स्कीमें	2,567.42	1,283.71	50	1,283.71	50
7		109 - छात्रवृत्तियां - 88 - कक्षा VI - VIII में बच्चों को पाठ्यपुस्तकों एवं कार्य पुस्तकों की आपूर्ति	900.00	900.00	100	900.00	100
8		112 - मध्याहन - भोजन, 99 - प्राथमिक विद्यालय में मध्याहन - भोजन (राज्य हिस्सा)	6,473.82	3,134.45	48	1,962.02	30
9		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 98 - कक्षा I - VIII में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए नकद पुरस्कार स्कीमें (वर्ष में एक बार नकद)	8,472.55	8,472.55	100	8,472.55	100

(` लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2011 के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
10		789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना, 99 - एस.सी.लडके छात्रों को मुफ्त साईकिल प्रदान करना	188.76	188.76	100	188.76	100
11		800 - अन्य व्यय 94 - तेरहवां वित्त अनुदान	4,000.00	4,000.00	100	0.00	
12		800 - अन्य व्यय 95 - एजुकेट उपकरण की मरम्मत	100.00	100.00	10	100.00	100
13	2202 - सामान्य शिक्षा (नॉन-प्लान)	86 - राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर.ए.एस.ए.)	2,500.00	2,500.00	100	2,500.00	100
14	02 - माध्यमिक शिक्षा	85 - शैक्षिकतः पिछड़े ब्लाक्स में माडल स्कूलों का खोलना	205.00	205.00	100	205.00	100
15		800 - अन्य व्यय 98 - शिक्षक कल्याण की राष्ट्रीय फाऊंडेशन को सहायतानुदान	0.25	0.25	100	0.25	100
16	2202 - सामान्य शिक्षा (प्लान) 03 - विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	102 - विश्वविद्यालयों को सहायता 92 - भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुर कलां, सोनीपत को सहायता	2,086.00	1,036.70	50	1,036.70	50
17		001 - निदेशन एवं प्रशासन, 103 - राजकीय महाविद्यालय एवं संस्थान - राजकीय महाविद्यालयों को खोलना, राजकीय महाविद्यालयों को जारी करना तथा विद्यमान महाविद्यालयों में अतिरिक्त स्टाफ	2,500.32	987.00	39	707.60	28
18		राजकीय महाविद्यालयों में लाइब्रेरी सेवाओं का मजबूतीकरण (103)	145.00	125.03	86	68.14	47
19		97 - सूचना प्रौद्योगिकी (001)	86.74	74.98	86	72.00	83
20		105 - 99 - छात्राओं का सशक्तीकरण	41.10	25.24	61	16.86	41
21		105 - 99 - छात्राओं के लिए शैक्षणिक एवं मनोरंजन यात्रा	61.32	34.49	56	18.83	31
22		93 - राजकीय महाविद्यालयों में नियोक्ता कक्ष	29.87	22.18	74	16.55	55
23		विद्यार्थियों का मानव संसाधन विकास (आप जब सीरें अर्जित करें) (92)	113.96	84.33	74	55.80	49

(` लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेरवा शीर्ष	विस्तृत शीर्ष स्कीमवार	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष के अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता	मार्च 2011 के दौरान व्यय	कुल व्यय की प्रतिशतता
24		प्रयोगशालाओं का संवर्धन (92)	144.22	97.41	68	58.14	40
25		90 – राजकीय महाविद्यालयों में खेल गतिविधियाँ	96.58	83.28	86	70.97	73
26		89 – हरियाणा राज्य में एज्यूकेट	34.52	34.52	100	32.83	95
27		87 – छात्रों के लिए शैक्षिक एवं मनोरंजन यात्रा	56.30	35.20	63	21.00	37
28		107 – छात्रवृत्तियाँ, 98 – छात्रवृत्ति (महाविद्यालय) – स्वतंत्रता सेनानियों के नातियों के कल्याण हेतु स्कीम	19.54	11.94	61	11.94	61
29		789 – 94 – राजकीय महाविद्यालयों में सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्टाइपंड	3,195.13	2,083.15	65	1,563.16	49
योग			43,567.88	30,808.13	71	24,462.64	56

**वर्ष 2010-11 हेतु वित्त विभाग को बजट अनुमानों
के प्रस्तुतिकरण में विलम्बों को दर्शाने वाले विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.3; पृष्ठ 55)**

क्र. सं.	मांग संख्या एवं नामावली	मुख्य लेखा शीर्ष	विभाग का नाम	बजट अनुमानों की प्राप्ति की तिथि	वित्त विभाग को प्रस्तुतिकरण की देय तिथि	दिनों में विलम्ब
1	8-भवन एवं सड़कें	2059 - लोक निर्माण प्रमुख अभियंता	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	22 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	76
2		2216 - आवास		25 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	79
3		3054 - सड़कें एवं पुल - प्रमुख अभियंता		20 दिसंबर 2009	06 नवंबर 2009	43
4	9-सामान्य शिक्षा	2202 - सामान्य शिक्षा	01 - प्राथमिक शिक्षा	22 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	76
5			02 - माध्यमिक शिक्षा	25 जनवरी 2010	06 नवंबर 2009	79
6			03 - उच्चतर शिक्षा	22 दिसंबर 2009	06 नवंबर 2009	45

31 मार्च 2011 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोग प्रमाण – पत्रों के विवरण (संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 57)

(` लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान दिया गया		उपयोग प्रमाण – पत्र देय ¹		उपयोग प्रमाण – पत्र प्राप्त		उपयोग प्रमाण – पत्र बकाया	
			मद्दें	राशि	मद्दें	राशि	मद्दें	राशि	मद्दें	राशि
1.	पीडब्ल्यूडी. बी.एण्डआर.	2008-09	01	150.00	01	150.00	01	150.00		
		1998-99	601	38,075.97	04	259.99	-	-	04	259.99
		1999-2000	864	41,141.77	70	499.16	04	86.65	66	412.51
		2000-01	1,388	51,217.52	100	928.45	13	114.41	87	814.04
		2001-02	1,803	66,846.07	405	1,212.57	34	55.20	371	1,157.37
		2002-03	1,852	60,779.91	231	3,300.31	26	448.23	205	2,852.08
		2003-04	1,592	13,665.44	121	2,082.81	20	427.51	101	1,655.30
		2004-05	212	4,837.81	02	907.79	-	-	02	907.79
		2005-06	561	10,127.05	12	3,392.19	03	2.26	09	3,389.93
		2006-07	201	11,914.72	65	8,714.63	03	117.67	62	8,596.96
	शहरी विकास	2007-08	123	35,407.20	13	31,098.92	01	380.16	12	30,718.76
		2008-09	41	46,445.31	34	41,096.53	06	3,408.95	28	37,687.58
		2009-10	38	30,623.78	38	30,623.78	08	185.97	30	30,437.81
	सिंचाई	2003-04	5	4,285.23	2	2,139.62	-	-	2	2,139.62
		2004-05	9	2,732.12	6	2,418.86	-	-	6	2,418.86
		2005-06	10	7,070.77	1	1,022.89	-	-	1	1,022.89
		2006-07	11	5,487.37	5	932.82	-	-	5	932.82
		2008-09	17	8,826.00	5	600.00	-	-	5	600.00
	कृषि	2009-10	28	12,521.71	28	12,521.71	-	-	28	12,521.71
		2006-07	11	10,865.67	06	10,155.67	-	-	06	10,155.67
		2008-09	08	14,025.65	08	14,025.65	-	-	08	14,025.65
		2009-10	09	16,045.77	09	16,045.77	09	16,045.77	-	-
	ग्रामीण विकास	2001-02	-	-	1	13.53	-	-	1	13.53
		2002-03	27	4,444.69	1	1.69	-	-	1	1.69
		2004-05	41	4,518.96	7	1,120.65	-	-	7	1,120.65
		2005-06	248	3,617.80	127	2,919.17	-	-	127	2,919.17
		2006-07	47	6,812.89	47	6,812.89	14	290.47	33	6,522.42
		2007-08	330	7,796.33	330	7,796.33	16	193.53	314	7,602.8
		2008-09	416	4,002.20	416	4,002.20	19	113.52	397	3,888.68
		2009-10	376	5,112.75	376	5,112.75	-	-	376	5,112.75
	विकास एवं पंचायत	2002-03	-	-	03	502.06	-	-	03	502.06
		2003-04	19	10,597.24	15	10,050.67	-	-	15	10,050.67
		2004-05	14	6,891.70	12	6,843.11	-	-	12	6,843.11
		2005-06	44	15,811.82	40	3,433.14	अंशतः	544.77	40	2,888.37
		2006-07	09	12,853.83	09	7,190.61	अंशतः	11.09	09	7,179.52
		2007-08	04	35,842.00	04	33,823.60	अंशतः	1,679.76	04	32,143.84
		2008-09	72	57,865.20	72	57,764.32	01	2,766.76	71	54,997.56
		2009-10	69	38,605.63	69	38,605.63	अंशतः	46.20	69	38,559.43
	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	2004-05	36	15.00	02	0.51	02	0.51	-	-
		2005-06	60	20.83	10	0.10	10	0.10	-	-
		2006-07	20	2,000.00	09	61.52	09	61.52	-	-
		2007-08	20	3,500.00	20	3,500.00	20	3,500.00	-	-
		2008-09	40	10,062.00	40	10,062.00	40	10,062.00	-	-
		2009-10	82	26,831.04	82	26,831.04	44	14,585.56	38	12,245.48
	चिकित्सा	2003-04	68	1,228.52	1	3.30	-	-	1	3.30
		2008-09	31	2,442.21	26	82.91	22	42.46	4	40.45
		2009-10	43	9,502.92	43	9,502.92	10	3,414.07	33	6,088.85

1

31 मार्च 2009 को वस्तुतः बकाया उपयोग प्रमाण – पत्रों के आधार पर 2006 - 07 एवं पूर्ववर्ती वर्ष के सम्बन्ध में देय, दर्शाएं गए हैं।

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	कुल अनुदान दिया गया		उपयोग प्रमाण- पत्र देय		उपयोग प्रमाण- पत्र प्राप्त		उपयोग प्रमाण- पत्र बकाया	
			मद्दें	राशि	मद्दें	राशि	मद्दें	राशि	मद्दें	राशि
9.	शिक्षा	2005-06	305	20,992.22	1	37.20	1	37.20	-	-
		2006-07	296	21,476.00	33	1,619.55	15	664.26	18	955.29
		2007-08	259	43,415.20	25	24.10	25	24.10	-	-
		2008-09	325	52,707.64	254	43,897.59	24	1,369.86	230	42,527.73
		2009-10	353	43,150.64	353	43,150.64	12	609.50	341	42,541.14
10.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2008-09	01	1.34	01	1.34	-	-	01	1.34
		2009-10	08	415.00	08	415.00	-	-	08	415.00
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2000-01	-	-	07	514.00	-	-	07	514.00
		2001-02	-	-	05	537.64	-	-	05	537.64
		2003-04	260	7,132.37	07	154.97	-	-	07	154.97
		2004-05	28	1,706.66	12	1,393.64	-	-	12	1,393.64
		2005-06	74	1,480.26	25	772.16	-	-	25	772.16
		2006-07	53	1,536.08	08	1,233.18	-	-	08	1,233.18
		2007-08	48	2,128.20	46	2,099.32	-	-	46	2,099.32
		2008-09	76	2,238.20	74	2,205.72	10	201.02	64	2,004.70
		2009-10	49	3,076.18	49	3,076.18	-	-	49	3,076.18
12.	खेल	2005-06	4	15.27	3	15.00	0	0	3	15.00
		2006-07	11	341.54	11	341.54	4	23.32	7	318.22
		2007-08	11	270.00	11	270.00	0	0	11	270.00
		2008-09	70	1,141.66	70	1,141.66	2	11.00	68	1,130.66
		2009-10	89	1,452.84	89	1,452.84	1	11.00	88	1,441.84
13.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2007-08	30	515.53	04	97.75	04	97.75	-	-
		2008-09	32	568.50	20	392.60	19	368.03	01	24.57
		2009-10	33	2,745.93	33	2,745.93	32	2,720.93	01	25.00
14.	पर्यावरण	2007-08	06	79.15	02	6.50	02	6.50	-	-
		2008-09	07	50.00	06	49.50	03	18.08	03	31.42
		2009-10	10	117.00	10	117.00	07	49.00	03	68.00
15.	पशु - पालन	2009-10	07	796.27	07	796.27	07	796.27	-	-
16.	मत्स्य - पालन	2005-06	54	352.59	02	4.15	02	4.15	-	-
		2007-08	42	220.62	07	33.77	01	3.38	06	30.39
		2008-09	36	236.25	18	72.73	18	72.73	-	-
		2009-10	85	323.35	85	323.35	38	149.75	47	173.60
17.	नवीकरण योग्य ऊर्जा	1993-94			01	1.99	-	-	01	1.99
		2004-05	12	108.79	01	11.70	अंशतः	6.26	01	5.44
		2005-06	25	397.56	01	0.74	-	-	01	0.74
		2006-07	22	391.99	05	112.79	04	104.89	01	7.90
		2007-08	17	817.99	03	73.72	02	21.72	01	52.00
		2008-09	17	782.50	10	272.68	02	112.70	08	159.98
		2009-10	10	490.72	10	490.72	03	64.25	07	426.47
		2000-01	-	-	01	0.14	-	-	01	0.14
		2005-06	10	1,613.24	5	1,041.71	-	-	5	1,041.71
18.	उद्योग	2006-07	26	12,409.40	11	1,077.91	-	-	11	1,077.91
		2007-08	27	1,777.50	15	1,254.20	05	646.54	10	607.66
		2008-09	23	2,652.26	14	2,023.07	02	157.95	12	1,865.12
		2009-10	29	1,784.76	29	1,784.76	10	758.40	19	1,026.36
		2009-10	03	22.00	03	22.00	-	-	03	22.00
19.	नागरिक उड़डयन	2009-10	02	9.00	02	9.00	-	-	02	9.00
20.	मंत्री परिषद्	2009-10	03	861.00	03	861.00	-	-	03	861.00
21.	श्रम एवं रोजगार	2009-10	05	180.00	05	180.00	-	-	05	180.00
22.	सहकारिता	2009-10								
योग			14,394	9,98,449.60	4,333	5,38,377.72	590	67,845.64	3,743	4,70,532.08

**निकाय एवं प्राधिकरण, जिनके लेखे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, के नाम दर्शानेवाली विवरणी
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 58)**

(‘लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
1.	नगर पालिका, अम्बाला	2002-03	26.43
		2005-06	239.80
		2007-08	56.85
		2008-09	901.03
		2009-10	1042.66
		2010-11	1915.94
2.	नगर पालिका, नरायणगढ़	2009-10	174.96
		2010-11	38.65
3.	नगर पालिका, कैथल	2007-08	72.78
		2009-10	392.60
		2010-11	268.16
4.	नगर पालिका, पुण्डरी	2009-10	118.25
		2010-11	92.38
5.	नगर पालिका, चीका	2003-04	158.28
		2004-05	81.00
		2009-10	153.32
		2010-11	75.39
6.	नगर पालिका, कलायत	2006-07	47.05
		2009-10	173.26
		2010-11	35.91
7.	नगर निगम, यमुनानगर	2007-08	1,841.67
		2008-09	37.00
		2009-10	392.09
		2010-11	770.61
8.	नगर पालिका, जगाधरी	2004-05	33.46
		2005-06	54.92
		2007-08	37.10
		2009-10	424.22
9.	नगर पालिका, थानेसर	2003-04	31.01
		2004-05	163.32
		2005-06	89.72
		2006-07	51.00
		2007-08	29.33
		2009-10	220.09
		2010-11	703.33
10.	नगर पालिका, शाहबाद	2009-10	234.78
		2010-11	219.21
11.	नगर पालिका, लाड्वा	2000-01	45.16
		2009-10	114.84
		2010-11	131.25

(` लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण /निकाय का नाम	वर्ष जिनके लिए प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
12.	नगर पालिका, पेहोचा	2009 -10 2010 -11	125.04 72.22
13.	नगर पालिका, कुरुक्षेत्र	1998 -99 2005 -06 2006 -07 2007 -08 2008 -09	33.75 133.48 180.00 375.00 200.00
14.	नगर निगम, करनाल	1982 -83 1988 -89 2009 -10 2010 -11	7.00 32.61 606.46 583.87
15.	नगर पालिका, तरावड़ी	2009 -10 2010 -11	198.18 47.73
16.	नगर पालिका, नीलोखेड़ी	2009 -10 2010 -11	188.93 35.26
17.	नगर पालिका, घरौंडा	2009 -10 2010 -11	244.85 62.15
18.	नगर पालिका, असंध	1999 -2000 2003 -04 2004 -05 2009 -10 2010 -11	120.00 74.54 44.06 372.46 49.19
19.	नगर पालिका, इन्द्री	2003 -04 2005 -06 2006 -07 2009 -10 2010 -11	74.01 54.21 46.51 139.58 35.22
20.	नगर पालिका, निसिंग	2009 -10 2010 -11	30.87 36.15
21.	नगर निगम, पानीपत	2003 -04 2004 -05 2005 -06 2006 -07 2007 -08 2008 -09 2009 -10 2010 -11	78.09 57.06 238.95 50.23 145.86 51.00 574.20 562.20
22.	नगर पालिका, समालखा	2009 -10 2010 -11	172.68 64.53
23.	नगर निगम, रोहतक	2004 -05 2007 -08 2008 -09 2009 -10 2010 -11	140.58 1,215.88 1,166.54 3,444.86 1,588.30

(' लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण /निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
24.	नगर पालिका, मेहम	2009-10 2010-11	129.23 42.54
25.	नगर पालिका, कलानौर	1999-2000 2009-10 2010-11	40.00 276.86 38.09
26.	नगर पालिका, सांपला	2009-10 2010-11	100.71 144.20
27.	नगर परिषद्, पंचकूला	2001-02 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	116.06 160.54 27.04 51.61 27.00 359.08 459.50
28.	नगर पालिका, कालका	2006-07 2009-10 2010-11	25.06 154.04 30.33
29.	नगर पालिका, पिंजौर	2003-04 2006-07 2009-10 2010-11	34.60 73.93 148.09 29.23
30.	नगर पालिका, सोनीपत्त	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	178.73 41.00 382.04 514.22
31.	नगर पालिका, गन्नौर	2002-03 2006-07 2009-10 2010-11	41.16 40.00 161.77 118.96
32.	नगर पालिका, गोहाना	2005-06 2006-07 2009-10 2010-11	69.99 116.98 311.03 250.46
33.	नगर पालिका, खरखोदा	1998-99 2005-06 2009-10 2010-11	50.00 46.41 178.25 44.27
34.	नगर पालिका, झज्जर	2008-09 2009-10 2010-11	121.40 266.91 93.72
35.	नगर पालिका, बहादुरगढ़	1986-87 1993-94 1996-97 1997-98 1999-2000 2000-01 2003-04	35.93 34.08 50.00 25.95 49.50 48.93 304.10

(‘ लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
		2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	33.12 221.34 51.00 223.47 1,171.40 517.13 579.11
36.	नगर पालिका, बेरी	2009 - 10 2010 - 11	286.20 34.78
37.	नगर पालिका, फरीदाबाद	1995 - 96 1996 - 97 1997 - 98 1998 - 99 1999 - 2000 2000 - 01 2002 - 03 2003 - 04 2004 - 05 2005 - 06 2006 - 07 2007 - 08 2008 - 09 2009 - 10 2010 - 11	39.38 50.00 30.00 669.00 394.00 111.61 93.29 175.14 121.80 404.28 202.45 4,443.62 16,395.00 2,170.75 10,708.06
38.	नगर पालिका, पलवल	2007 - 08 2009 - 10 2010 - 11	60.19 617.50 199.66
39.	नगर पालिका, होड़ल	2006 - 07 2009 - 10 2010 - 11	40.00 240.45 86.10
40.	नगर पालिका, हथीन	2009 - 10 2010 - 11	120.75 28.75
41.	नगर पालिका, गुड़गांव	2006 - 07 2007 - 08 2008 - 09 2009 - 10 2010 - 11	38.72 173.69 39.00 413.45 522.62
42.	नगर पालिका, सोहना	2009 - 10 2010 - 11	233.77 63.71
43.	नगर पालिका, हेलीमण्डी	2009 - 10 2010 - 11	164.93 38.06
44.	नगर पालिका, पाटौदी	2009-10 2010-11	133.23 39.39
45.	नगर पालिका, फारूख नगर	2009-10 2010-11	147.90 22.41

(‘लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लिए प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
46.	नगर पालिका, रेवाड़ी	1996 -97 1997 -98 1999 -2000 2000 -01 2003 -04 2004 -05 2005 -06 2007 -08 2009 -10 2010 -11	50.00 38.82 229.73 84.17 48.40 35.70 133.45 191.91 458.43 182.91
47.	नगर पालिका, बावल	2006 -07 2009 -10 2010 -11	40.00 152.13 27.04
48.	नगर पालिका, धारूहड़ा	2008 -09 2009 -10 2010 -11	47.40 59.67 51.00
49.	नगर पालिका, फिरोजपुर झिरका	2009 -10 2010 -11	246.56 39.19
50.	नगर पालिका, नूह	2006 -07 2009 -10 2010 -11	40.00 195.03 25.21
51.	नगर पालिका, तावडू	1999 -2000 2005 -06 2009 -10 2010 -11	40.00 59.95 201.62 36.81
52.	नगर पालिका, पुन्हाना	2009 -10 2010 -11	92.57 49.22
53.	नगर पालिका, नारनौल	1988 -89 1989 -90 2005 -06 2006 -07 2007 -08 2008 -09 2009 -10 2010 -11	25.30 28.63 192.58 201.00 25.90 351.81 314.78 135.75
54.	नगर पालिका, महेन्द्रगढ़	2005 -06 2007 -08 2009 -10 2010 -11	61.26 48.77 214.08 72.65
55.	नगर पालिका, कनीना	2009 -10 2010 -11	97.32 23.62
56.	नगर पालिका, अटेली मण्डी	2009 -10 2010 -11	60.28 15.15
57.	नगर पालिका, भिवानी	1987 -88 1988 -89 1989 -90 1995 -96	36.40 33.25 36.00 50.00

(लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेरवे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
		1997 -98 1998 -99 1999 -2000 2000 -01 2007 -08 2009 -10 2010 -11	27.56 72.00 1,156.87 247.58 48.45 562.44 1,299.76
58.	नगर पालिका, चरखी दादरी (भिवानी)	1995 -96 1999 -2000 2009 -10 2010 -11	33.33 50.00 292.51 590.53
59.	नगर पालिका, सीवानी	2009 -10 2010 -11	194.70 35.17
60.	नगर पालिका, बवानी खेड़ा	1998 -99 1999 -2000 2009 -10 2010 -11	32.03 40.00 198.25 39.19
61.	नगर पालिका, तोशाम	1999 -2000	28.40
62.	नगर पालिका, लोहारू	2009 -10 2010 -11	237.05 29.71
63.	नगर पालिका, हिसार	2008 -09 2009 -10 2010 -11	200.00 739.17 571.24
64.	नगर पालिका, हांसी	2006 -07 2009 -10 2010 -11	51.17 274.66 313.87
65.	नगर पालिका, बरवाला	2009 -10 2010 -11	419.12 79.79
66.	नगर पालिका, नारनौद	2009 -10 2010 -11	209.15 78.45
67.	नगर पालिका, फतेहाबाद	2000 -01 2002 -03 2004 -05 2006 -07 2009 -10 2010 -11	50.23 40.16 89.71 33.33 147.05 138.30
68.	नगर पालिका, टोहाना	2009 -10 2010 -11	448.82 275.95
69.	नगर पालिका, रतिया	2009 -10 2010 -11	285.98 60.36
70.	नगर पालिका, सिरसा	2006 -07 2007 -08 2009 -10 2010 -11	30.85 58.87 452.09 744.98

(` लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण /निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
71.	नगर पालिका, डबवाली	2002-03 2003-04 2007-08 2009-10 2010-11	140.23 158.58 69.71 351.52 122.31
72.	नगर पालिका, रानिया	2009-10 2010-11	261.13 46.16
73.	नगर पालिका, कलांवाली	2009-10 2010-11	292.03 49.35
74.	नगर पालिका, एलनाबाद	2000-01 2009-10 2010-11	43.10 301.38 73.42
75.	नगर पालिका, जींद	2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2009-10 2010-11	57.39 25.01 41.85 133.74 26.35 102.82 328.22 320.28
76.	नगर पालिका, नरवाना	2000-01 2007-08 2009-10 2010-11	60.58 43.41 224.03 114.70
77.	नगर पालिका, सफीदों	2009-10 2010-11	138.68 57.51
78.	नगर पालिका, उचाना	1999-2000 2006-07 2009-10 2010-11	30.00 46.22 101.77 30.78
79.	नगर पालिका, जुलाना	2009-10 2010-11	173.26 35.27
80.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
81.	अरावली विकास संगठन, गुडगांव	1995-96	100.00
82.	भारतीय प्रौद्योगिक तकनीकी पार्क, नई दिल्ली	2002-03	250.00
83.	हरियाणा झुग्गी झोपड़ी सफाई बोर्ड, चण्डीगढ़	1998 -99	700.48
84.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
85.	मत्स्य पालन विकास परिषद्, गुडगांव	2000-01	45.85
86.	धर्मार्थ स्थायी निधि, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00
87.	आईटी. के लिए प्राथमिक निधि, ई- गवर्नेंस, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00

(‘लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण / निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
88.	हरियाणा ऊर्जा विकास अभिकरण, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
89.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
90.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
91.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
92.	मछली पालन विकास अभिकरण, हिसार	2005-06	42.54
93.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद्	2005-06	170.00
94.	हरियाणा रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
95.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
96.	निदेशक, इलैक्ट्रोनिक, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
97.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
सहायता प्राप्ति निजी महाविद्यालय			
98.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10 2010-11	68.40 84.20
99.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	66.58 61.35 105.29 180.78
100.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2009-10 2010-11	116.20 221.16
101.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2009-10 2010-11	338.50 344.58
102.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11	535.53 531.96
103.	गुरु नानक कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11	455.80 508.83
104.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, साढ़ौरा (यमुनानगर)	2009-10 2010-11	100.42 108.71
105.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24 93.58
106.	बी.एल.जे. सूर्ईवाला महाविद्यालय, तोशाम (भिवानी)	2010-11	127.78
107.	डी.ए.वी. सैटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11	307.72
108.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2010-11	188.38
109.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी (हिसार)	2010-11	142.33

(लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण /निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
110.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11	67.45 109.53
111.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुण्डरी (कैथल)	2010-11	158.44
112.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2008-09 2009-10 2010-11	86.65 164.28 278.41
113.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	85.75 132.93
114.	गुरु हरि सिंह महाविद्यालय, जीवन नगर, सिरसा	2010-11	142.60
115.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	67.35 77.67 156.34 172.90
116.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत्त	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	34.41 41.45 60.13 98.71
117.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, फतेहपुर युण्डरी (कैथल)	2008-09 2009-10 2010-11	89.80 154.41 181.52
118.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	25.06 31.85 51.18 87.72
119.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2009-10 2010-11	49.01 53.98
120.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16
121.	कन्या महाविद्यालय, खररखौदा (सोनीपत्त)	2009-10 2010-11	68.80 112.62
122.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11	52.04 69.09
123.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2009-10 2010-11	409.25 498.11
124.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11	236.47 197.27
125.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11	200.00 212.01
126.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11	255.30 416.50
127.	डी.एन. महिला महाविद्यालय, कुरुक्षेत्र	2009-10 2010-11	209.55 305.77
128.	एम.ए.न. महाविद्यालय, शाहबाद	2009-10 2010-11	161.05 157.90

(` लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
129.	आर्य कन्या महाविद्यालय, शाहबाद	2009 -10 2010 -11	186.65 261.63
130.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2009 -10 2010 -11	418.57 481.70
131.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, ढांड डडवान	2009 -10 2010 -11	139.69 195.64
132.	सी.एम.के. नैशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2010 -11	257.26
133.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, डबवाली	2010 -11	161.89
134.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009 -10 2010 -11	502.40 552.19
135.	एफ.सी. महिला महाविद्यालय, हिसार	2009 -10 2010 -11	281.53 322.53
136.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009 -10 2010 -11	227.94 237.59
137.	हिन्दू महाविद्यालय, सोनीपत	2010 -11	559.84
138.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2009 -10 2010 -11	526.03 482.36
139.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखीदादरी	2009 -10 2010 -11	90.75 144.63
140.	एम.एल.आर.एस. शिक्षा महाविद्यालय, चरखीदादरी	2009 -10 2010 -11	76.08 97.86
141.	वैश्य आर्य कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़	2009 -10 2010 -11	78.83 117.67
142.	के.एल. मेहता डी.एन. महिला महाविद्यालय, फरीदाबाद	2009 -10 2010 -11	232.16 342.69
143.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009 -10 2010 -11	425.93 359.29
144.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009 -10 2010 -11	131.90 229.20
145.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009 -10 2010 -11	47.97 76.93
146.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009 -10 2010 -11	26.99 35.06
147.	अखिल भारतीय जाट शूरमा ममौरियल महाविद्यालय, रोहतक	2009 -10 2010 -11	581.55 672.91
148.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009 -10 2010 -11	83.09 104.20
149.	एल.एन. हिन्दू महाविद्यालय, रोहतक	2009 -10 2010 -11	216.74 218.58
150.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010 -11	373.44
151.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010 -11	541.52
152.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010 -11	405.76
153.	एम.डी.एस.डी. कन्या महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2010 -11	202.69
154.	एस.एम.एस. लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़	2009 -10 2010 -11	134.05 160.65
155.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेन्योला	2010 -11	112.58

(‘लाख में)

क्र.सं.	प्राधिकरण/निकाय का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं	प्राप्त अनुदान
156.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010 -11	210.39
157.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010 -11	289.36
158.	गुरु नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2010 -11	177.92
159.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2010 -11	441.40
160.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा	2010 -11	85.98
161.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना	2010 -11	112.28
162.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2010 -11	555.77
163.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2010 -11	369.85
164.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी	2010 -11	324.59
165.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर	2010 -11	138.21
166.	आई.जी. नैशनल महाविद्यालय, लाडला	2010 -11	275.16
167.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहोचा	2010 -11	252.96
168.	आई.जी. महाविद्यालय, कैथेल	2010 -11	110.12
169.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल	2010 -11	178.64
170.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चौका	2010 -11	172.63
171.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2010 -11	282.64
172.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली(सिरसा)	2010 -11	53.71
173.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2010 -11	510.71
174.	हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010 -11	138.94
175.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2010 -11	133.75
176.	गीता विद्या मन्दिर के.एम.वी., सोनीपत	2010 -11	469.00
177.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2010 -11	428.85
178.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2010 -11	374.31
179.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2010 -11	88.25
180.	जे.वी.एम. जी.आर.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी	2010 -11	344.82
181.	महिला महाविद्यालय, झोड़ूकलां	2010 -11	30.45
182.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूह	2010 -11	118.02
183.	एन.बी.जी.एस. मैमोरियल महाविद्यालय, सोहना	2010 -11	186.80
184.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिंधरावली	2010 -11	95.25
185.	जी.जी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010 -11	387.34
186.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़	2010 -11	405.77
187.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली	2010 -11	35.04
188.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010 -11	317.14
189.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2010 -11	334.40
190.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर	2010 -11	219.11

**स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा सी.ए.जी. को लेरवे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 59)**

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. लेरवाओं की लेरवापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेरवे बनाए गए	वर्ष जब तक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जब तक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेरवे देय है	लेरवाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजारा, चण्डीगढ़	2007-08 से 2011-12	2004-05	2004-05	2004-05	2005-06 से 2010-11	छ: वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, पंचकूला	2008-09 से 2012-13	2008-09	2006-07	2006-07	2010-11	दो वर्ष
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकूला	2007-08 से 2011-12	2008-09	2009-10	2006-07	2010-11	एक वर्ष
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2004-05 से 2008-09	2008-09	2007-08	2007-08		आगे सुपुर्दगी प्राप्त नहीं हुई
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2005-06 से 2009-10	2008-09	2007-08	2004-05	2010-11	एक वर्ष
6.	हरियाणा उर्दू अकादमी, पंचकूला	1996-97 से 2005-06	1996-97 से 2005-06	-	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	-	2006-07 से अनुच्छेद 19(1) अधीन लेरवापरीक्षा की जा रही है
7.	हरियाणा बकफ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2008-09 से 2012-13	2008-09	2008-09	प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित नहीं थे	2009-10 2010-11	दो वर्ष
8.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं क्योंकि लेरवापरीक्षा सी.ए.जी. के अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2005-06	2005-06	2005-06	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	पांच वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुडगांव	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2010-11	तीन वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	सी.ए.जी. लेरवाओं की लेरवापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जब तक लेरवे बनाए गए	वर्ष जब तक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जब तक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विद्यायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेरवे देय है	लेरवाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि
16.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोनीपत	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
20.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	- सम -	-	-	-	1996-97 से 2010-11	14 वर्ष
21.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2010-11	तीन वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनाल	- सम -	2009-10	2009-10	-	2007-08 से 2010-11	तीन वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	- सम -	2006-07	2006-07	-	2007-08 से 2009-10 2010-11	तीन वर्ष
24.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	- सम -	2007-08		-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	- सम -	2007-08		-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	- सम -	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2010-11	तीन वर्ष
28.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	- सम -	2008-09	-	-	2009-10 से 2010-11	दो वर्ष
29.	मुख्य न्यायिक मंजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	- सम -	-	-	-	2009-10 से 2010-11	दो वर्ष

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेरवाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी
 (संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 60)

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	लेरवे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेरवाओं के अनुसार निवेश (‘करोड़ में)	लेरवाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ²	1987-88	- *	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
2.	कृषि	कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण	1985-86	2.53	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2006-07	25.20	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2009-10	2,792.88	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2005-06	402.67	विलम्ब हेतु कारण सूचित नहीं किए गए हैं
कुल				3,223.28	

* विभाग से सूचना प्रतीक्षित है।

² ये स्कीमें 1986-87 (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

दुर्विनियोजन, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्यवाही 30 जून 2011
को लम्बित थी, के प्रकरणों का विभाग - वार / अवधि - वार विश्लेषण
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं 'लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्षों से अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	3 (7.04)	-	3 (3.22)	-	-	6 (10.26)
2	शिक्षा	2 (0.92)	8 (4.62)	9 (8.54)	2 (1.12)	2 (0.93)	5 (2.13)	28 (18.26)
3	मत्स्य पालन	-	1 (8.06)	-	-	-	-	1 (8.06)
4	लोक सम्पर्क	2 (4.29)	1 (0.08)	-	-	-	-	3 (4.37)
5	वन	3 (0.44)	1 (0.15)	8 (11.55)	1 (0.55)	6 (1.12)	1 (0.15)	20 (13.96)
6	श्रम एवं रोजगार	-	-	-	-	-	-	-
7	चिकित्सा		4 (2.04)	-	1 (1.50)	2 (11.92)	-	7 (15.46)
8	तकनीकी शिक्षा	2 (0.85)	12 (35.11)	1 (0.93)	1 (0.19)	-	1 (0.03)	17 (37.12)
9	राजस्व	-	2 (10.52)	-	-	-	-	2 (10.52)
10	पुलिस	-	1 (3.79)	-	-	-	-	1 (3.79)
11	समाज कल्याण	-	-	-		1 (0.00)	-	1 (0.00)
12	खेल एवं युवा कल्याण	1 (0.00)	1 (0.87)	-	-	-	-	2 (0.87)
13	महिला एवं बाल विकास	-	-	-	1 (0.12)	-	-	1 (0.12)
14	परिवहन	2 (0.41)	-	1 (3.17)	-	1 (0.60)	-	4 (4.17)
15	सिंचाई	11 (6.09)	9 (2.16)	5 (0.48)	7 (0.25)	7 (1.13)	8 (0.94)	47 (11.05)
16	लोक निर्माण (बी. एण्ड आर.)	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
17	जन स्वास्थ्य अभियानिकी	8 (17.03)	5 (3.54)	-	-	1 (0.00)	-	14 (20.57)
कुल		29 (29.58)	49 (77.99)	24 (24.67)	16 (6.95)	20 (15.7)	15 (3.25)	153 (158.14)

अर्थात् १.58 करोड़

**चोरी, दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि के कारण सरकार को हानियों के प्रकरणों के संबंध में विभाग/श्रेणीवार विवरण
(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 60)**

(‘लाख में)

विभाग का नाम	चोरी प्रकरण		दुर्विनियोजन/सरकारी सामग्री की हानि		योग	
	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	4	9.95	2	0.31	6	10.26
शिक्षा	20	14.24	8	4.02	28	18.26
मत्स्यपालन	-	-	1	8.06	1	8.06
लोक सम्पर्क	2	4.29	1	0.08	3	4.37
वन	3	4.70	14	8.82	17	13.52
चिकित्सा	2	0.01	5	15.45	7	15.46
तकनीकी शिक्षा	15	25.49	2	11.63	17	37.12
राजस्व	-	-	2	10.52	2	10.52
परिवहन	1	0.36	3	3.81	4	4.17
खेत एवं युवा कल्याण	2	0.87	-	-	2	0.87
पुलिस	-	-	1	3.79	1	3.79
महिला एवं बाल विकास	1	0.12	-	-	1	0.12
समाज कल्याण*	-	-	1	-	1	-
सिंचाई	36	10.50	11	0.55	47	11.05
लोक निर्माण (बी. एण्ड आर.)*	2	-	-	-	2	0.00
जन स्वास्थ्य अभियानिकी	11	8.78	3	11.79	14	20.57
कुल	99	79.31	54	78.83	153	158.14

अर्थात् 1.58 करोड़

* हानि की राशि सुनिश्चित नहीं की गई थी (अगस्त 2011)।

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
ए. एण्ड ई.	लेरवा एवं हकदारी
ए.सी.	आकस्मिक सार
ए.ई.	कुल व्यय
ए.आई.ए.	अखिल भारतीय औसत
ए.पी.	अनुमोदित योजना
ए.पी.डी.आर.पी.	त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
ए.आर.बी.पी.	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.	त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति स्कीम
बी.ई.	बजट अनुमान
बी.आर.जी.एफ.	पिछळा क्षेत्र अनुदान निधि
सी.ए.जी.	भारत के नियंत्रक - महालेरवापरीक्षक
सी.ई.	पूंजीगत व्यय
सी.ओ.	पूंजीगत परिव्यय
डी.सी.सी.	विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक
डी.सी.आर.एफ.	ऋण समेकन एवं राहत सुविधा
डी.डी.पी.	मस्थल विकास कार्यक्रम
डी.ई.	विकास व्यय
डी.एच.बी.वी.एन.एल.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
डी.आर.डी.ए.	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
ई.ए.पी.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
ई.डी.यू.एस.ए.टी.	सैटेलाईट के माध्यम से शिक्षा
एफ.सी.पी.	राजकोषीय सुधार पथ
एफ.आर.बी.एम.	राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2005
जी.ओ.आई.	भारत सरकार
जी.एस.डी.पी.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
एच.ए.आर.टी.आर.ओ.एन.	हरियाणा राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम
एच.पी.जी.सी.एल.	हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
एच.एस.ए.एम.बी.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
एच.एस.आई.आई.डी.सी.	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं मूलभूत संरचना विकास निगम

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
एच.यू.डी.ए. (हुडा)	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
एच.वी.पी.एन.एल.	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड
आई.ए.वाई.	इन्दिरा आवास योजना
आई.पी.	ब्याज भुगतान
आई.डब्ल्यू.डी.पी.	एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम
जे.एन.एन.यू.आर.एम.	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
के.जी.बी.वी.	कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय
एम.आई.एस.	सूक्ष्म सिंचाई स्कीम
एम.ओ.यू.	समझौता ज्ञापन
एम.पी.एल.ए.डी.	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमें
एम.टी.एफ.पी.एस.	मध्यम अवधि राजकोषीय नीति विवरणी
एन.ए.बी.ए.आर.डी. (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एन.सी.आर.पी.बी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड
एन.एफ.एस.एम.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
एन.जी.ओ.	गैर - सरकारी संस्था
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय बागबानी मिशन
एन.पी.ई.जी.ई.एल.	प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एन.पी.आर.ई.	योजनेतर राजस्व व्यय
एन.पी.आर.आर.	योजनेतर राजस्व प्राप्तियां
एन.आर.ई.जी.ए.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एन.आर.एच.एम.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
ओ. एण्ड एम.	परिचालन एवं अनुरक्षण
पी.ए.सी.	लोक लेखा समिति
पी.ए.जी.	प्रधान महालेखाकार
पी.सी.सी.ई.	प्रति व्यक्ति पूँजीगत व्यय
पी.सी.डी.ई.	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पी.सी.एस.एस.ई.	प्रति व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र व्यय
पी.डी.ए.	वैयक्तिक जमा खाता
पी.जी.आई.एम.एस.	स्नातकोन्तर चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रोहतक
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सङ्क योजना
पी.पी.पी.	सार्वजनिक निजी साझेदारी
पी.आर.ई.	योजनागत राजस्व व्यय

संकेताक्षर	पूर्ण रूप
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक
आर.ई.	संशोधित अनुमान
आर.जी.जी.वी.वाई.	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना
आर.आर.	राजस्व प्राप्तियां
एस. एण्ड डब्ल्यू.	वेतन एवं मजदूरी
एस.ए.आर.	पृथक लेरवापरीक्षा प्रतिवेदन
एस.जी.आर.वाई.	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एस.जी.एस.वाई.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
एस.एल.एम.ए.	राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण
एस.एल.एस.	शिक्षा लोक समिति
एस.एस.ए.	सर्व शिक्षा अभियान
एस.एस.ई.	सामाजिक क्षेत्र व्यय
टी.ई.	कुल व्यय
टी.एफ.सी.	बारहवां वित्त आयोग
टीएच.एफ.सी. (ते.वि.आ.)	तेरहवां वित्त आयोग
यू.सी.	उपयोगिता प्रमाण - पत्र
यू.एच.बी.वी.एन.एल.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड
यूटी.के.ए.आर.एस.एच. (उत्कर्ष)	हरियाणा में ज्ञान बढ़ाने तथा अध्ययन के पुनर्नुकूलन हेतु प्रौद्योगिकी का प्रयोग
वी.ए.टी. (वैट)	मूल्य वर्धित कर